लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIBRARY

सत्यमेव जयते

Preservation ... Fumigated ... Parliament Library

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 24 मार्च, 1972/4 चैत्र, 1894 (शक)

No. 10, Friday, March 24, 1972/Chaitra 4, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
141. विदेश सहायता पर निर्भरता को कम से कम करने के उपाय	Steps to Minimise Dependence on Foreign Aid ..	1—4
145. वायुसेना के अधिकारियों को भत्ते	Allowance to Air Force Officers ..	4—6
146. युद्ध में भारतीय पनडुब्बियों का कार्य	Performance by Indian Submarins during War ..	6—7
149. सरकारी उद्योगों को हुए लाभ और हानि	Profit earned and losses incurred by Government Undertakings ..	7—10
151. सरकारी उपक्रमों में कच्चे माल का आवश्यकता से अधिक भंडार किया जाना	Overstocking of Raw Materials in Public Uundertakings ..	10—12
152. केरल में बाढ़राहत कार्यों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Flood Relief Works in Kerala ..	12—13
154. आयकर तथा अन्य करों की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Arrears of Income Tax and other Taxes ..	13—15
155. लेखापरीक्षण कार्य का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Audit ..	15—16
157. भारत में काला धन	Black Money in India ..	17—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
142. जीवन बीमा निगम में ब्याज की दर	Interest Rate in Life Insurance Corporation ..	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
143. पर्यटक होटलों के निर्माण के लिये तमिलनाडु में उद्यमकर्ताओं को दिये गये ऋण	Loans given to Entrepreneurs in Tamil Nadu for Construction of Tourist Hotels ..	19—20
144. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में "स्वत:माल निकालने की पद्धति" विषयक समिति	Committee on self-Removal Procedure in Central Excise ..	20
147. इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और उनके परिवारों को रियायत देना	Concession to Officers and Families of Armed Forces by Indian Airlines ..	20
148. पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात बन्द करना	Stoppage of Imports under PL 480 Programme ..	21
150. औद्योगिक वित्त निगम का कार्यकरण	Working of Industrial Finance Corporation ..	21
153. कलकत्ता स्थित सिलवररिफाइनरी	Silver Refinery Calcutta ..	22
156. बेरोजगार पायलटों को उपयुक्त रोजगार प्रदान करने में हुई प्रगति	Progress made to provide suitable jobs to unemployed Pilots ..	22—23
158. भूतपूर्व सैनिकों को मनीआर्डर द्वारा पेन्शन देना	Payment of Pension to Ex-servicemen through Money Order ..	23
159. बिहार में पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने वाले स्थान	Places in Bihar proposed to be Devcloped as Tourist Centres ..	23
160. केन्द्र राज्य के मध्य वित्तीय सम्बन्ध	Centre State Financial Relations ..	23—24
अता० प्रा० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1097. रिजर्व बैंक अहमदाबाद में भर्ती	Recruitment in Reserve Bank, Ahmedabad ..	24
1098. केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा की स्थापना	Setting up of Branch of R. B. I. in Kerala ..	24
1099. जैलसमेर में तेल के संसाधनों की खोज	Exploration of Oil Resources in Jaisalmer ..	25
1100. औद्योगिक क्षेत्र में निवेशों में कमी होने से उत्पन्न संकट	Crisis of Lagging Investment in the Industrial Sector ..	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1101.	नयी पैट्रोलियम परियोजना के लिये एक नयी कम्पनी का बनाया जाना	Formation of a New Company for New Petroleum Projects ..	26
1102.	यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा बेचे गये यूनिट	Units sold by Unit Trust of India ..	26—27
1103.	बिहार को ऋण	Loans to Bihar ..	27—28
1104.	गैर सरकारी कम्पनियों में ऊंचे पदों पर काम कर रहे मनेजिंग एजेंट	Managing Agents working on Higher Posts in Private Companies ..	28
1105.	अमरीका को ब्याज और ऋणों का भुगतान बन्द किया जाना	Moratorium on payment of Interest and Loans to USA ..	28
1106.	विदेशों से हवाई टैक्सियों की खरीद	Purchase of Air Taxis from Abroad ..	28—29
1107.	पर्यटक यातायात में सुधार के लिये छोटे हवाई अड्डों के बीच हवाई टैक्सी सेवा	Air taxis between smaller airports to improve Tourist Traffic ..	29
1108.	धातुकर्मक कोयले का उत्पादन करने वाली कोयला खानों को दिया गया ऋण	Loans sanctioned to collieries Producting Metallurgical coal ..	29
1109.	पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों के विकास हेतु ऋण	Loans for Development of Coal Mines in West Bengal and Bihar ..	30
1110.	दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मरे श्री फौजी राम के सन्तप्त परिवार के लिये राहत	Relief to the Bereaved Family of Shri Fauji Ram killed in Road Accidents in Delhi ..	30
1111.	आयातकर्ताओं को सुविधायें	Facilities to Importers ..	30—31
1112.	विदेशी फर्मों का विस्तार	Expansion of Foreign Firms ..	31
1113.	अमरीका तथा कुछ अन्य देशों द्वारा सहायता देना बन्द कर देने के कारण उद्योगों पर कुप्रभाव	Set back to Industries due to suspension of Aid from USA and other countries ..	31—32
1114.	त्रिवेणी टिश्यूज लिमिटेड और मोलिन्स इंडिया लिमिटेड	Triveni Tissues Ltd., and Mollins India Ltd. ..	32
1115.	वर्ष 1971-72 की योजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for 1971-72 Plan ..	32—33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1116.	डाक तार कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for P&T Employees ..	33
1117.	हिन्द महासागर में अमरीकी युद्ध पोतों द्वारा युद्धाभ्यास	Exercises of US Ships in Indian Ocean ..	33—34
1118.	सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों में आरक्षण	Reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Undertakings	34—35
1119.	तूफान ज्वार भाटे और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa to meet situation created by Cyclone Tidal bore and floods	35—36
1120.	जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिये कार्यवाही	Steps to bring down prices of Life saving drugs ..	36
1121.	सैनिक अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें	Medical facilities in Military Hospitals ..	36—37
1122.	आसाम में काजरिंगा वन जन्तु शानस्थल को राष्ट्रीय पार्क में बदलने का प्रस्ताव	Proposal to Transform Kaziranga Sanctuary in Assam into a National Park ..	37
1123.	अफीम का निर्यात	Export of Opium ..	37—38
1124.	युगोस्लाविया को ऋण का भुगतान	Repayment of Debt Liabilities to Yugoslavia ..	38—39
1125.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House rent Allowance to Central Government Employees	39
1126.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से मकान किराये की रसीद लेना	Obtaining of House Rent Receipts from Central Government Employees ..	40
1127.	आत्म-निर्भरता	Self Reliance ..	40—41
1129.	पालम हवाई अड्डे में राष्ट्र विरोधी तत्वों का आ जाना	Infiltration of Anti—National Elements in Palam Air Port	41
1130.	पुलिस द्वारा मद्रास में अधिकार में लिये गये जाली करेंसी नोट	Fake notes seized by Police in Madras ..	41

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1131.	कटक में जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय में प्रीमियम अदायगियों का समायोजन न किया जाना	Non-adjustment of premium deposits in the Divisional Office of LIC Cuttack ..	41—42
1132.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पुरस्कार देना	Rewards to employees of Life Insurance Corporation ..	42
1133.	पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये तमिलनाडु में व्यय किया गया धन	Amount spent in Tamil Nadu for Development of Tourist Centres ..	42
1134.	तमिलनाडु में स्वेच्छा से दिवालिया हुई कम्पनियां	Companies gone into voluntary liquidation in Tamil Nadu ..	42—43
1135.	गैर-सरकारी तेलशोधक कारखानों में शोधन क्षमता को कम करना	Reduction in refining capacity by private refineries ..	43
1136.	आयकर अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति	Ad-hoc appointments of Income tax Officers ..	43—44
1137.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के आयात में कमी करना	Reduction in crude import by foreign oil companies ..	44
1138.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को आवंटित राशियां	Allocations made by Financial Institutions in Backward Regions ..	44
1139.	बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियां	Assets of big business houses ..	44—45
1140.	पश्चिम बंगाल में फर्मों और व्यक्तियों पर केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Arrears of Central Taxes outstanding against firms and individuals in West Bengal ..	45
1141.	युद्ध के दौरान पकड़े गये व्यापारी जहाजों के बारे में न्याय निर्णय करने के लिये एक सदस्यीय प्राइज कोर्ट्स की स्थापना	Setting up of Single member Prize courts to adjudicate on seizure of Merchantships during war ..	45
1142.	पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से पर्यटन उद्योग को हुई हानि	Loss suffered by tourist industry due to war with Pakistan ..	46
1143.	महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में पर्यटन दुकानें खोलने की योजना	Scheme to run tourist shops at important Tourist centres ..	46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1144.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में किसानों और दुकानदारों को दिये गये ऋण	Loans advanced by nationalised banks to farmers and shopkeepers in Kerala ..	46—47
1145.	केरल में छोटे कृषकों को ऋण देना	Loans to small cultivators in Kerala ..	47—48
1146.	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Comptroller and Auditor General of India ..	48
1147.	इंडियन एयरलाइंस और एयर-इंडिया की उड़ानों में धूम्रपान न किये जाने वाले सेक्सन बनाना	Introduction of non smoking sections in Indian Airlines and Air India flights ..	48
1148.	विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial assistance from World Bank ..	49
1149.	औषधियों का लागत ढांचा	Cost structure of drugs ..	49
1150.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में डाके, लूट और धोखाधड़ी के मामले	Incidents of Dacoity, loot and cheating in Nationalised Banks ..	50
1151.	कलकत्ता में पर्यटक यातायात	Tourist Traffic to Calcutta ..	50
1152.	उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in the manufacture of Fertilisers	50—51
1153.	पेंशनभोगियों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयां	Difficulties experienced by Pensioner ..	51
1154.	गणतन्त्र दिवस समारोह पर व्यय	Expenditure on Republic Day Celebration ..	51—52
1155.	विदेशों से प्राप्त सहायता	Assistance Received from Abroad ..	52
1156.	रिजर्व सैनिकों को पेंशन	Pension to Reservists	52
1157.	भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां	Defence Colonies for Ex-Servicemen ..	52
1158.	बिहार में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये दिया गया ऋण	Loan given for setting up of Industries in Backward areas of Bihar ..	52—53
1159.	मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं के समारोह और वितरण के लिये एक स्वायत्तशासी निगम की स्थापना	Setting up of Autonomous Corporation for procuring and Distributing Essential Commodities to check Rise in Prices ..	53
1160.	राष्ट्रीय बैंकों में ग्रामीण ऋण सेवा योजनाएं	Rural Credit Service Schemes in Nationalised Banks ..	53—54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1161.	डाबका (बड़ौदा) में तेल मिलना	Oil Struck at Dabka (Baroda) ..	54
1162.	जोराजन (आसाम) में तेल तथा गैस का पाया जाना	Oil and Gas Found at Jorajan (Assam) ..	54—55
1163.	वर्ष 1971 के दौरान स्थापित किये गये उर्वरक संयंत्र	Fertiliser Plants set up during 1971 ..	55—56
1164.	बर्मा शैल द्वारा एक भारतीय को मुख्य प्रबन्धक के रूप में नियुक्त करना	Decision to appoint an Indian as Chief Executive by Burmah Shell ..	56
1165.	राष्ट्रीय कृत बैंकों में जमा राशि में वृद्धि और नई शाखाओं का खोला जाना	Increase in Deposits and Opening of Branches by Nationalised Banks ..	56—57
1166.	जम्मू और काश्मीर में सीमाओं की रक्षा	Defence of Borders in Jammu and Kashmir ..	57
1167.	सैनिक स्कूलों में दाखिला	Admission to Sainik Schools ..	57
1168.	1962 और 1965 के युद्धों से प्रभावित लोगों को सुविधाएं	Facilities to Victims of Wars of 1962 and 1965.	58
1169.	भारत स्थित विदेशी पूंजी निवेशकों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा निश्चित करना	Ceiling on Remittances by Foreign Investors in India	58
1170.	कम्पनी अधिनियम में संशोधन	Amendments to Companies Act	58
1171.	देश की रक्षा के सम्बन्ध में रक्षा सेनाओं की क्षमता का निर्धारण	Assessment of the Capacity of Defence Forces to defend the Country	58—59
1172.	रक्षा सेनाओं के लिये आधुनिक शस्त्रों की आवश्यकता	Need of Modern Arms for Defence Forces ..	59
1173.	कलकत्ता से कूच बिहार तक छोटे मार्ग द्वारा दैनिक विमान सेवा	Daily Air Service from Calcutta to Cooch Behar by the Shortest Route ..	59—60
1174.	दार्जिलिंग को लोकप्रिय बनाने के लिये योजना	Scheme for Popularising Darjeeling ..	60
1175.	दार्जिलिंग में पन्द्रह दिवसीय पर्यटन मेला आयोजित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों को धनराशि का भुगतान	Payment to Local Officials at Darjeeling for arranging Tourism Festival Fortnight ..	60

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1176.	कूच बिहार हवाई अड्डे के विकास की योजना	Scheme to Develop Cooch Behar Airport ..	60—61
1177.	एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत का अंशदान	India's Contribution to Asian Development Bank ..	61
1178.	तेल संसाधनों की खोज और विकास के लिये नाइजीरिया को तकनीकी सहायता	Technical Assistance to Nigeria for Exploration and Development of Oil Resources	61
1179.	आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income tax	61—62
1180.	आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax ..	62—63
1181.	गोहाटी बरौनी पाइप लाइन पर अधिक पम्प और उपकरण लगाना	Installing of more Pumps and Equipment on Gauhati Barauni Pipeline ..	63
1182.	बंगला देश के शरणार्थियों की सहायतार्थ लगाये गये कर	Taxes levied for relief to refugees from Bangla Desh	63—64
1183.	कोवलम तट विश्रामस्थल परियोजना प्रशासन की स्थापना	Setting up of Project Administration for Kovalam Beach Resort Project	64
1184.	आयुध कारखानों में औद्योगिक कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Industrial workers in Ordnance Factories	64
1185.	बम्बई के सामान्य बीमा कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token strike by General Insurance Employees of Bombay	64—65
1186.	कानपुर में नये हवाई अड्डे का निर्माण	Constrcution of a new Airport at Kanpur ..	65
1187.	कानपुर से बम्बई तक विमान सेवा	Air Service from Kanpur to Bombay ..	65
1188.	पाक सैनिक विमान का जबरदस्ती भारत लाया जाना	Hijacking of Pak Military Aircraft to India ..	66
1189.	ऋणों पर ब्याज की अलग-अलग दरें	Differential rates of interest on loans ..	66
1190.	केन्द्रीय करों की वसूली	Collection of Central Taxes	66—67
1191.	केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Arrears of Central Taxes ..	67—69
1192.	मीठापुर में टाटा उर्वरक परियोजना	Tata's fertilizer Project at Mithapur ..	69

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

1193. भुज के निकट तेल छिद्रण कार्य	Commencement of Oil drilling near Bhuj	..	69
1194. रक्षा उत्पादन में आयात प्रति-स्थापन	Import substitution in Defence production	..	70—71
1195. भारतीय जहाजों के लिये स्वीडन से प्राप्त अनुरोध	Request by Sweden for Indian Ships	..	71
1196. भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये नये आर्कषण	New Attractions for Tourists visiting India	..	71—72
1197. जब्त किये गये सामान का वितरण करने सम्बन्धी समिति	Committee on Distribution of Confiscated Goods	..	72
1198. पिछले दो वर्षों के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी	Decline in Tourist Traffic to India during the last two years	..	72
1199. पृथक निगम बनाने से एयर इण्डिया की विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि	Increase in Air India's Foreign Exchange earning due to Formation of a Separate Corporation	..	73
1200. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन सम्बन्धी मालवीय समिति का प्रतिवेदन	Report of Malviya Committee on reorganisation of Oil and Natural Gas Commission	..	73
1201. फ्रांसीसी फर्म द्वारा बम्बई के ऊंचे और संलग्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा किया जाना	Completion of Survey of Bombay High and Adjoining Areas by French Firm	..	73—74
1202. कम्पनियों का परिसमापन	Liquidation of Companies	..	74
1203. सेना के कर्मचारियों की विधवाओं और रिश्तेदारों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन तथा तत्सम्बन्धित व्यापार करने के अधिकार देना	Allotments of Petrol Pumps and Dealerships to Widows and Relatives of Armed Personnel	..	74—75
1204. अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के प्रतिनिधियों द्वारा भारत स्थित युद्धबन्दी शिविरों का दौरा	Visit to POWs Camps in India by International Agency	..	75
1205. भारत में विदेशी स्वामित्व वाली औषध निर्माण कम्पनियों द्वारा दिया गया आय कर	Income tax paid by Foreign owned drug Manufacturing Companies India	..	75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
1206. भारत में विदेशी स्वामित्व वाली औषध निर्माण कम्पनियों में विदेशी तथा भारतीय कर्मचारी	Foreigners and Indians Working in Foreign owned Drug Manufacture Companies in India ..	77
1207. इण्डियन एयरलाइन्स को हो रही अतिरिक्त आय	Additional Revenue being Earned by Indian Airlines ..	77
1208. राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य	Performance of Nationalised Bank ..	78
1210. उन्नत शास्त्रों के निर्माण में धीमी प्रगति	Slow Progress in Production of Sophisticated Arms ..	78—79
1211. बंगाल की खाड़ी में एक फ्लैग शिप भेजने का ब्रिटिश प्रस्ताव	British Proposal to send a Flagship to Bay of Bengal ..	79
1212. भारत पाकिस्तान युद्ध में जनरल नियाजी द्वारा आत्म-समर्पण	Surender by Gen. Niazi during Indo Pak War ..	79
1213. रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया की शाखाओं के सामने मजदूरों के प्रदर्शन	Demonstration by Labourers before the Branches of Reserve Bank of India ..	79—80
1214. पटना सिटी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का ज्ञापन	Memorandum from Gurudwara Prabhandhak Committee for Development of Patna City as a Tourist Centre ..	80
1215. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधाओं को देने के विचार से खगोल का पटना में मिलाया जाना	Inclusion of Khagaul in Patna for Grant of Facilities to Central Government Employees ..	80—81
1216. रक्षा उत्पादन कारखानों में विदेशी पूंजी का लगाया जाना	Foreign Capital investment in Defence Production Units ..	81
1217. कास्टिक सोडा की कमी को पूरा करने के लिये कार्यवाही	Steps to Meet the Shortage of Caustic Soda ..	81—82
1218. वेली से कोवलम (केरल) तक एक मेरिन ड्राइव जैसी योजना	Scheme for a Marine Drive from Veli to Kovalam, Kerala ..	82
1219. भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास के लिये योजनायें	Schemes for Resettlement of Ex-service Personnel ..	82—83
1220. रक्षा अनुसन्धान प्रयोगशालाओं द्वारा अनुसन्धान	Research by Defence Research Laboratories ..	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject		पृष्ठ/Pages
1221.	चल चित्र अभिनेताओं से आयकर की वसूली	Realisation station of Income tax from Film Stars ..	83—84
1222.	एस्सो कम्पनी	ESSO Company ..	84
1223.	पेट्रो रसायन उद्योगों में एस्सो के शेयर	Shares held by ESSO in Patro Chemical Industries ..	84—85
1224.	पी० एल० 480 निधि का उपयोग	Utilisation of P. L.—480 Funds ..	85—86
1225.	दानापुर में कार्य करने वाले रेल श्रमिकों को मकान किराया भत्ता देना	House Rent Allowance for Railway Labourers Working at Danapur ..	86
1226.	इंडियन आयल कारपोरेशन (मार्किटिंग डिवीजन) के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की शर्तें	Terms and Conditions for Appointment of Managing Director of Indian Oil Corporation (Marketing Division) ..	87
1227.	कोचीन में एक नये हवाई अड्डे का प्रस्ताव	Proposal for a New Airport at Cochin ..	88
1228.	उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये अतिरिक्त धन नियत करने का प्रस्ताव	Proposal to Earmark Additional Funds for Development of Tourism in Uttar Pradesh ..	88
1229.	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Hill Districts of Uttar Pradesh ..	88
1230.	सरकारी उद्यमों सम्बन्धी ब्यूरो का सरकारी उपक्रमों के बारे में प्रतिवेदन	Bureau of Public Enterprises' Report on Public Undertakings ..	89—90
1231.	भारत की एंग्लो फ्रेंच सुपरसानिक जगुआर विमान बेचने की ब्रिटेन की योजना	British Plan to Sell Anglo French supersonic Jaguar Aircraft to India ..	90
1232.	गोरखपुर स्थित परियोजना की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal to Expand the Capacity Fertilizer Project, Gorakhpur ..	90
1233.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में सिविल हवाई अड्डे का निर्माण करने के बारे में प्रस्ताव	Proposal to Construct a Civil Airport at Gorakhpur (Uttar Pradesh) ..	90—91
1234.	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के भूतपूर्व सैनिकों को सुविधायें	Facilities to Ex-servicemen of Hill Districts of U. P. ..	91

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		

1235. उत्तर भारत में सीमा सड़कों के निर्माण में धीमी प्रगति	Slow Progress in Construction of Border Roads in Northern India ..	91—92
1236. त्रिवेन्द्रम में महालेखापाल के कार्यालय में आग लगना	Fire in A. G. Office Trivandrum ..	92
1237. अधिकृत विनिमय दर से अधिक कीमत पर आयातित पुस्तकों की बिक्री	Sale of Imported Books at Rates higher than prescribed Exchanges Rate ..	92
1238. औषध मूल्य निर्धारण सम्बन्धी फार्मूले में पुनरीक्षण का प्रस्ताव	Proposal to revise the Formula for fixation of Prices of Drugs ..	93
1240. जमाकर्ताओं के हिन्दी हस्ताक्षर से चैक का भुनाया जाना	Encashment of Cheques with signature of Depositors in Hindi ..	93
1241. डिगबोई रिफाइनरी द्वारा तैयार किये गये शोधित मोम का निर्यात	Export of Refined and Wax produced by Digboi Refinery ..	93—94
1242. केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Central Government Pensioners ..	94
1243. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index	94—95
1244. भारत में बन्दी पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों द्वारा भागने का प्रयास	Escape Bid by Pak POW's in India	95
1245. फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में अनियमितताएं	Irregularities in Fertilisers and Chemicals Travancore Limited ..	95
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices (Query) ..	95—99
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	99—102
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	102
सामान्य बजट, 1972-73—सामान्य चर्चा	General Budget, 1972-73—General Discussion ..	102—112
श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे	Shri Vasantrao Purushottam Sathe ..	102—103
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	103—104
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha ..	104—106
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel ..	106—108
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani ..	108—109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ..	109—110
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	110—112
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	112
बेरोजगारी समस्या के बारे में संकल्प— वापस लिया गया	Resolution Re. Unemployment Problem— Withdrawn ..	112—117
श्री मूलचंद डागा	Shri M. C. Daga ..	113
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	113
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	113—114
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey ..	114
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandaya	114—115
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	115
श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	115
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	115—116
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	116—117
औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम नीति के बारे में संकल्प	Resolution Re. Industrial Relations and Lobour Policy ..	117—124
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	117—121
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen ..	121—123
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	123—124
श्री मूल चंद डागा	Shri M. C. Daga ..	124

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 24 मार्च, 1972/4 चैत्र, 1894 (शक)
Friday, March 24, 1972/Chaitra 4, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at one minute past eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम से कम करने के लिए उपाय

+

*141. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि हाल ही में कुछ देशों ने सहायता देना बन्द कर दी है, सरकार ने विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम से कम करने के लिए क्या उपाय किये हैं या करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, 16 मार्च, 1972 के अपने बजट भाषण के पैरा 27 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें मैंने विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का संकेत दिया है। सरकार, देशी उत्पादन में वृद्धि करके तथा आयात-प्रतिस्थापन और निर्यात-प्रोत्साहन के द्वारा विदेशी सहायता से उत्तरोत्तर अधिक स्वतंत्र होने के सभी प्रयत्न कर रही है। संयुक्त राज्य द्वारा हाल में आर्थिक सहायता के एक भाग को रोक दिये जाने से भी यह बात स्पष्ट होती है कि जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य को जोरदार तरीके से पूरा किये जाने की आवश्यकता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 में विदेशी सहायता का मूलत: कितना अनुमान लगाया गया था और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास के बाद इन दो वर्षों में क्रमश: कितनी कम विदेशी सहायता हमें उपलब्ध हो सकी जिससे हम और अधिक आत्मनिर्भर हो जायें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक सहायता को रोकने का प्रश्न है, केवल अमरीका ने ही ऐसा किया है अन्य देशों द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में ऐसी स्थिति नहीं है। अन्य देशों के साथ जो समझौते किये थे, चाहे वे द्विपक्षीय थे अथवा बहुपक्षीय, वे विश्व बैंक के माध्यम से किए गए थे अतः इनसे कोई असर नहीं पड़ता।

जहां तक अमरीकी सहायता का सम्बन्ध है, अमरीका से प्राप्त होने वाली 870 लाख डालर की सहायता पर असर पड़ता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा प्रश्न कुछ अधिक विशिष्ट है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं जानता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : बजट पत्रों के साथ मिले 'आर्थिक समीक्षा' जैसे दस्तावेज पढ़ने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारे आत्मनिर्भर होने के सब प्रयासों की तुलना श्री राम के परेशानी में घूमने से की जा सकती है। जैसाकि बजट दस्तावेजों से विदित है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 4595 करोड़ रुपये अथवा चौथी पंचवर्षीय योजना के मूल प्रारूप में उल्लिखित 464 करोड़ रुपये अधिक आवश्यक थे। हमारा निर्यात भी लक्ष्य के अनुसार नहीं रहा है।

वह कम हो गया है और जहां तक आयात की गई वस्तुओं के स्थान में देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग करने का प्रश्न है, यह लक्ष्य भी आशानुकूल नहीं रहा है। हमें और 464 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं वित्त मंत्री से विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। वर्ष 1972-73 और 1973-74 में और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त की अवधि में हमें कितनी कम विदेशी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन मामलों में धनराशि बताना कठिन है। लेकिन सदा यह प्रयास रहे हैं कि हम अपने निर्यात में वृद्धि करें। दूसरे, आयात की वस्तुओं के स्थान में अन्य वस्तुओं का प्रयोग किये जाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

धनराशि का उल्लेख नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रत्येक मद पर निर्भर है। मैं जब यह कहता हूं कि हम सहायता पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब हम यह कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और अपने निर्यात में वृद्धि करनी होगी, तो इसका अभिप्राय यह है कि हमें अपने लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी पड़ेगी। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हमें अपने को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से पृथक रखना होगा। लेकिन मेरे लिये सहायता की धनराशि बताना बहुत कठिन होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : समस्या की जटिलता को देखते हुए क्या सरकार अनेक ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगी जिनका वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया था ?

हमारा देश अधिक से अधिक विदेशी सहयोग प्राप्त कर रहा है। उक्त अवधि में देश में विदेशी विनियोजन की वृद्धि हो रही है और हम अन्य देशों को लगभग 100 करोड़ रुपया लाभ, लाभांश, कमीशन, रायल्टी फीस आदि के रूप में भुगतान कर रहे हैं। यदि सरकार एक निर्णय लेती है, मुझे नहीं पता कि आप इस सहायता को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए नीति अपना सकते हैं। विदेशी

ऋणों का भुगतान हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है। हमारे ऊपर बड़ी मात्रा में विदेशी ऋणों का बोझ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बढ़ते हुए विदेशी सहयोग समाप्त करने और विदेशी ऋणों का भुगतान देरी से करने की हमारी कोई नीति है। हमारा 400 करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार शेष है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य प्रश्न के सम्बन्ध में बोलें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या सक्रिय कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं सरकारी नीति के बारे में उल्लेख कर रहा था। वास्तव में इस बारे में पैरा 2 में उल्लेख कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने ठीक ही उल्लेख किया है कि देश से बहुत बड़ी मात्रा में धन विदेशों में जा रहा है। अतः हम आत्मनिर्भरता के बारे में विचार कर रहे हैं। मैं इसकी आवृत्ति के बारे में उल्लेख करूंगा। उदाहरण के तौर पर गत तीन या चार वर्षों में अन्ततः शुद्ध सहायता प्रतिवर्ष कम होती जा रही है।

इससे यह विदित होता है कि किस सीमा तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। जहां तक विदेशों से सहयोग का सम्बन्ध है, हम विदेशी सहयोग के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अर्थव्यवस्था के विकास सम्बन्धी क्षेत्रों में यदि हमें अन्य देशों से किसी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो हमें इस बात से इंकार नहीं करना चाहिये, लेकिन हमें इस पर निर्भर नहीं करना चाहिये। हमें उन देशों, विशेषकर ऐसे देशों को, जो हम पर सहायता का दबाव डालते हैं यह सोचने का मौका नहीं देना चाहिये कि हम उनकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hon. Finance Minisier has stated that the policy of the Government is to depend less on foreign aid. But the figures of the budget tell a different story. On page 63 of the Explanatory memorandum, it is written "External and (other than P. L. 480) 1971-72 Budget : 540 crore ; 1972-73 Budget ; 614.73 crore" we are having 75 crores more foreign aid as compared, to last year. The same position is in relation to America. The Finance Minister has stated that efforts are being made to press us and there are certain countries who utilise the foreign aid to effect our foreign policy. It is written in it "External date non. P. L. 480 loans : U. S. A. Budget 1971-72 : 1,36,90 lakhs".

Mr. Speaker : Hon. Member may please ask the question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : From this explanatory memorandum it is clear that we are expecting more aid from America.

Shri Yeshwant Rao Chawan : We were expecting.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Are these figures not correct ?

Shri Yeshwant Rao Chavan : They were drawn earlier.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether the Finance Minister will admit that taking the advantage of the present atmosphere, steps are not being taken to stop the foreign aid but discussion is going on behind the curtain with those countries who are able to give aid to us. Will it not pollute the atmosphere ? If we do not promise to stop the foreign aid now then when who will do it ? The hon. Finance Minister has stated that the most of it is being spent on paying loans. Can't we decide that we will take all the foreign money we require from the international market and we will not accept any conditional aid ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारा आशय और प्रयास संस्थाओं से ऋण लेने का है और द्विपक्षीय ऋणों पर निर्भर करने का नहीं है। हमारी यही नीति है। उन्होंने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है। जो योजना बनाई गई थी, वह योजना है। लेकिन यह उनके राजनीतिक रवैये पर निर्भर है और हम भी कुछ राजनीतिक रवैया अपना सकते हैं। अनेक नामलों पर विचार करना आवश्यक है लेकिन हमें उनको आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आप सरकार को परेशानी से बचाना चाहते हैं। अनेक विशिष्ट मामले हैं। हम अध्यक्षपीठ से ऐसी आशा नहीं रखते। यदि आप यह चाहते हैं कि मैं प्रश्न न पूछूं, तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ? आप एक भद्र पुरुष हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेशी व्यापार में निर्यात से होने वाली आय से कितनी राशि का वार्षिक ब्याज और सेवा-भार के रूप में भुगतान किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा चल रही है। यदि बजट में इसका अवसर प्राप्त नहीं होता तो मैं इसकी अनुमति दे सकता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया प्रश्नकाल समाप्त करें।

वायुसेना के अधिकारियों को भत्ते

*145. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मन्त्री वायु सेना अधिकारियों के भत्ते के सम्बन्ध में 14 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारी वर्ग से निचले स्तर के कर्मचारियों की योग्यता भत्ता, विशेष अशान्ति भत्ता और युद्ध-क्षेत्र सेवा लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अन्य रैंकों के वेतन तथा भत्तों के ढांचे में एकरूपता नहीं है। अतः अफसर रैंक से नीचे के सैनिक कार्मिकों को कुछ भत्ते तथा लाभ ग्राह्य हैं, वह कमीशन प्राप्त अफसरों को उपलब्ध नहीं हैं और इसी प्रकार विलोमतः भी। यह मुख्यतः (क) सेवा शर्तों के कारण,

(ख) विभिन्न सूत्र जिनके आधार पर वित्तीय लाभ का हक दिया जाता है (ग) कार्यों में अन्तर के कारण है ।

2. "योग्यता भत्ता" कमीशन प्राप्त अफसरों को उस समय मंजूर किया जाता है जब वह रक्षा सेवा के लिए कोई विशेष योग्यता अर्जित कर लेते हैं ।

3. कमीशन प्राप्त अफसरों को विशेष अशान्ति भत्ता इसलिए ग्राह्य है क्योंकि उनके स्थानान्तरण प्रायः होते रहते हैं और इसलिए उन्हें अपने परिवारों को भेजने में अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है ।

4. युद्ध क्षेत्र सेवा लाभ अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को भी उपलब्ध हैं । उन्हें नियुक्ति भत्ता नहीं मिलता है किन्तु विशेष प्रति पूरक भत्ता जो कमीशन प्राप्त अफसरों को नहीं मिलता है, दिया जाता है । वियुक्त भत्ता अफसरों तक सीमित है, क्योंकि अफसरों से नीचे रैंक के कार्मिकों को विश्व में कहीं भी सेवा करने के दायित्व को उनके वेतन के लेखे में पहले से ही शामिल किया गया है ।

5. तृतीय वेतन आयोग सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के परिलब्धियों के ढांचे पर उनकी सेवा शर्तों पर ध्यान रखते हुए विचार कर रहा है । निस्संदेह आयोग वर्तमान व्यवस्थाओं को युक्तियुक्त बनाने पर विचार करेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनेक ऐसे मामलों में चौंका देने वाले असमानता के उदाहरण मिले हैं जिनमें सेवा, जोखिम और क्षमता एक जैसी है । एक कमीशन अधिकारी को, जिसकी सेवा 6 वर्ष अथवा उससे अधिक है, 880 रुपये प्राप्त होते हैं, ए सी-2 वायुसैनिक को लगभग 62 रुपये प्राप्त होते हैं । उनके वेतन में इतनी अधिक असमानता होने का क्या औचित्य है ? उनके वेतनमानों में इतनी अधिक असमानता को देखते हुए क्या सरकार एक समिति की नियुक्ति करेगी जो विशेषरूप से अधिकारियों तथा अन्य पदों के बीच की असमानता को यथाशीघ्र दूर करने के बारे में जांच करे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उक्त अन्तर को कम करने के बारे में उचित तर्क दिये गये हैं और इस बारे में हमने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर दी है । यदि वह वक्तव्य के पैरा 5 को देखें, तो उन्हें पता लगेगा कि हमने समस्त योजना वेतन आयोग को सौंप दी है और वह इस मामले में जांच कर रहा है । मुझे विश्वास है कि वह इन सब मामलों पर विचार करेगा । यदि इस सम्बन्ध में कोई अन्तर अथवा कठिनाई होगी, तो वेतन आयोग उन मामलों की सूचना देगा । मुझे विदित है कि ऐसा अनेक वर्षों से चल रहा है । ऐसा अनेक बातों तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । अतः हमारा यह विचार है कि जब तक वेतन आयोग इस मामले में अपने विचार प्रकट न कर दे, हमें इस बारे में और कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वित्त मंत्री सदन में अनेक बार बता चुके हैं कि प्रतिवेदन के शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की आशा है । मैं यह नहीं बता सकता कि वास्तव में प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का आशय अधिकारियों और जवानों को उनकी आवश्यकतानुसार वेतन देने का है और उनके पदों के अनुसार नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में वेतनमानों पर विचार करने से पूर्व इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

युद्ध में भारतीय पनडुब्बियों का कार्य

+

*146. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारतीय पनडुब्बियों का कार्य संतोषजनक रहा ; और

(ख) क्या पनडुब्बियों का वर्तमान बेड़ा भारत के विस्तृत क्षेत्र की रक्षा करने के लिये पर्याप्त है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) पनडुब्बियों के वर्तमान बेड़े को पर्याप्त प्रभावी समझा जा रहा है । पनडुब्बी दल को और शक्तिशाली बनाने का कार्य हाथ में है ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : बेड़े की शक्ति कितनी है अर्थात् उसमें कितनी पनडुब्बियां हैं और क्या सब पनडुब्बियां आधुनिक हथियारों से लैस हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे दु:ख है कि मैं पनडुब्बियों की संख्या के बारे में सूचना नहीं दे सकता क्योंकि यह गुप्त वर्गीकृत मामला है । उनमें लगे उपकरणों के बारे में भी सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि वह भी गुप्त वर्गीकरण का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उनमें आधुनिक उपकरण लगे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये पनडुब्बियां आधुनिक हैं और हाल ही के संघर्ष के दौरान इन्होंने दुश्मन के और विरोधियों को तट से दूर रखने और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जहाजों की गतिविधियों को रोकने के लिये प्रभाव कारी कार्यवाही की है ।

श्री पी० वी० जी० राजू : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम परमाणु पनडुब्बियां रख सकते हैं और क्या रूस सरकार के सहयोग से हमारे अधिकारियों और नाविकों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि हमारी उनसे इस सम्बन्ध में सन्धि हुई है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय परमाणु पनडुब्बी प्राप्त करने और परमाणु पनडुब्बी रखने का

कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक पनडुब्बी चलाने वाले अधिकारियों या नाविकों का सम्बन्ध है, हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को पनडुब्बी चलाने के बारे में प्रशिक्षण देते रहते हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या माननीय मंत्री पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने और कुछ पनडुब्बियों को दक्षिण भारत में सामरिक महत्व के स्थानों पर तैनात करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर की रक्षा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उत्तर भारत में पनडुब्बियों की आवश्यकता नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुख्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मैंने बताया कि "पनडुब्बी दल को और शक्तिशाली बनाने का काम हाथ में है।"

इस से माननीय सदस्य को अपने प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर मिल जाता है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम हमेशा सुविधाजनक स्थानों पर पनडुब्बियां रखने की व्यवस्था करते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Hon. Minister be pleased to state whether it is a fact that our men and officers in submarines are being given training alongwith our trainees from Arab countries. Has care been taken to see that our security is in no way jeopardised ?

Shri Vidya Charan Shukla : I will verify if all that you have said is true but as far as I know there is nothing like that. I want to assure the Hon. member that in all matters how so ever big or small they may be, we give topmost consideration to our security.

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैंने पनडुब्बियों में काम करने वाले अधिकारियों और नाविकों की उन कठिन परिस्थितियों को देखा है, जिनमें वे काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि व्यक्तियों का मूल्य मशीनों से अधिक है। अतः सरकार इन व्यक्तियों को क्या सुख सुविधाएं प्रदान कर रही है। यदि नहीं कर रही, तो क्या सरकार इन बहादुर युवकों के लिए कुछ करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पनडुब्बियों में काम करने वाले अधिकारियों और नाविकों ने कुछ विशेष भत्तों या विशेष सुविधाएं देने की मांग की है। जहां तक मुझे पता है, किसी विशेष मामले के बारे में कोई असंतुष्ट नहीं है। उनमें से अधिकांश स्वेच्छा से नौसेना में जाते हैं और जहां तक अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें कोई कठिनाई नहीं है।

Profit Earned and Losses Incurred by Government Undertakings

*149. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the profit earned or loss incurred by Government-run industries during the year 1970-71 ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

31 मार्च, 1971 को केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन 97 उपक्रम थे, जिसमें 8 उपक्रम निर्माणाधीन थे, जो अभी चालू नहीं हुए थे और एक उपक्रम ने अभी काम करना शुरू ही किया था। इन्हें और जीवन बीमा निगम को छोड़कर 87 चालू उपक्रमों के सम्पन्नकार्य में (जिनमें प्रोत्साहक उपक्रम भी शामिल हैं) पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक सुधार हुआ है; कुल मिलाकर वास्तविक हानि 3.4 करोड़ रुपये की हुई, जबकि पिछले वर्ष 4.9 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। मूल्यह्रास, ब्याज और करों की व्यवस्था करने के बाद, 50 उद्यमों को 74.91 करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ हुआ, जबकि 37 उपक्रमों को 78.29 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई।

जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, 31 मार्च, 1971 को अर्थात् 1-4-1969 से 31-3- 1971 तक की अवधि के आठवें मूल्यांकन के परिणामस्वरूप यह प्रकट हुआ कि 115.98 करोड़ रुपये की लाभ की रकम का वितरण किया जा सकता है। इसमें से, 110.18 करोड़ रुपये की रकम, भाग लेने वाले पालिसी-धारकों को आवंटित कर दी गयी है और 5.80 करोड़ रुपये की रकम केन्द्रीय सरकार को आवंटित कर दी गयी है।

Shri Phool Chand Verma : What is the total investment in 87 undertakings which are in operation ?

श्री के० आर० गणेश : 1970-71 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के 97 उपक्रमों में कुल 4,682 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई।

Shri Phool Chand Verma : By when such a situation would arise when there is profit on capital investment and the steps so far taken or proposed to be taken in future in this regard ?

श्री के० आर० गणेश : विभिन्न उपक्रमों में हुए लाभ तथा हानि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हानि की कुल राशि पिछले वर्ष की हानि की राशि 4.9 करोड़ रुपये की तुलना में 3.4 करोड़ रुपये रही। इनमें से 50 उपक्रमों को 74.91 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जबकि पिछले वर्ष यह लाभ 70.97 करोड़ रुपये का था। मूल्य ह्रास और परिशोधन के लिये 188 करोड़ रुपये ब्याज अदायगी पर 126 करोड़ रुपये और कराधान पर 23 करोड़ रुपये के व्यय का हिसाब लगाने के पश्चात 3.38 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि रही। इसके अतिरिक्त इन उपक्रमों ने कुछ लाभांश भी दिये हैं। 1970-71 के दौरान 28 उपक्रमों ने 16.08 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। गत वर्ष लाभांश 12.65 करोड़ रुपये था। लाभांश की दर 1 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत थी।

श्री सुबोध हंसदा : वक्तव्य में कहा गया है कि 37 उपक्रमों को 78.29 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई। क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इतनी हानि क्यों हुई तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्री के० आर० गणेश : हम समय समय पर सदन के उन विभिन्न उपायों की सूचना देते रहे हैं जोकि सरकारी उपक्रमों में लाभ बढ़ाने हेतु किए जाते रहे हों। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए प्रत्येक उद्योग का अध्ययन करना पड़ेगा और यह अध्ययन विभिन्न समितियों तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। हाल ही में सरकार ने एक उच्चस्तरीय कार्यवाही समिति की स्थापना की है जोकि सरकारी उपक्रमों में हुई हानि के बारे में अध्ययन करेगी।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन सरकारी उपक्रमों में हुई हानि की राशि के आकलन के समय उन विशेष सुविधाओं, जैसे कर से मुक्ति तथा ऐसी अन्य कई रियायतें, को भी ध्यान में रखा गया है, जो केवल सरकारी उपक्रमों को ही उपलब्ध हैं और गैर सरकारी उपक्रमों को इससे वंचित रखा गया है। यदि आप इन सभी रियायतों को न दें, तब इन उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ या हानि की राशि क्या होगी ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने एक अत्यंत विशिष्ट प्रश्न पूछा है और यही कारण है कि मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मूल्यह्रास, ब्याज और करों की व्यवस्था करने के बाद 3.38 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या आपने उन सुविधाओं का खर्चा निकाल कर, जोकि केवल सरकारी उपक्रमों को उपलब्ध है और जिससे गैर सरकारी उपक्रम वंचित है, लाभ या हानि का पता लगाया है ?

श्री के० आर० गणेश : जी, हां। उदाहरण के लिए सरकारी उपक्रमों में भारी पूंजी का निवेश किया जाता है जबकि गैर सरकारी उद्योगों में इतनी पूंजी नहीं लगाई जाती। नगरीय प्रशासन पर 34 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं जबकि गैर सरकारी क्षेत्र इन मदों पर एक पैसा भी व्यय नहीं करता।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि 37 उपक्रमों को 78.29 करोड़ रुपये की हानि हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि कब से इन उपक्रमों को हानि हो रही है और इस दर से कब तक सारी पूंजी समाप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 1970-71 के बारे में है। यह एक स्पष्ट प्रश्न है और मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री के० आर० गणेश : यह एक अत्यंत निराशावादी प्रश्न है। हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि पिछले वर्ष के 4.9 करोड़ रुपये की तुलना में 1970-71 में हमें 3.74 करोड़ रुपये की हानि हुई है। 50 उपक्रमों को लाभ हुआ है जबकि पिछले वर्ष केवल 48 उपक्रमों को ही लाभ हुआ था।

Shri R. S. Pandey : There has been loss of 78 crores and 28 lakh in the 37 undertakings of strategic importance. I want to know whether any action can be taken against those who are responsible for the loss ?

श्री के० आर० गणेश : सरकारी उद्यम ब्यूरो, विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों ने हानि के सम्बन्ध में अध्ययन किया है तथा इसके लिए कुछ कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इन कमियों को दूर करने हेतु कुछ निर्देश भी दिये हैं। जहां तक कर्मचारियों और प्रशासन का सम्बन्ध है यह निर्देश उन्हें दे दिए गए हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन विशाल उपक्रमों में, जिनमें कि 4000 करोड़ रुपये से भी अधिक पूंजी लगी है, हानि के लिये किसी व्यक्ति विशेष को दण्ड नहीं दिया जा सकता। सभी कारणों को ध्यान में रखना होगा।

Shri Jagnnath Rao Joshi : What is the total investment of the country in the 37 undertakings which are running at loss ?

Mr. Speaker : He has already said about it.

श्री के० आर० गणेश : मेरे पास उन 37 उपक्रमों के, जिन्हें नुकसान हुआ हैं, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैंने सभी 97 उपक्रमों के कुल विनियोग के बारे में बता दिया है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : जब तक हमें घाटे में चल रही इन 37 उपक्रमों में लगी पूंजी के बारे में पता नहीं चलता तब तक.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत सामान्य था। मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय बाद में और जानकारी देने में समर्थ होंगे।

सरकारी उपक्रमों में कच्चे माल का आवश्यकता से अधिक भण्डार किया जाना

\+

*151. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 सरकारी उपक्रमों की वस्तु सूची से पता लगता है कि वे आवश्यकता से अधिक कच्चा माल का भण्डार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) वे मुख्य कारण, जिनके आधार पर आवश्यकता से अधिक माल का भण्डार करना पड़ा है ये हैं :—

(1) आयोजित उत्पादन के कार्यक्रम में गत्यान्तर।

(2) मासिक उत्पादन कार्यक्रम के अनुकूल सुपुर्दगियों के काम को विभिन्न दौरों में विभाजित न किया जाना।

(3) दुर्लभ सामग्री अर्थात् इस्पात, अलौह धातुओं आदि के सम्बन्ध में, जिनकी सुपुर्दगी अनिश्चित होती है, (निर्बाध उत्पादन का सुनिश्चियन करने के लिये) अधिक सुरक्षा भण्डार रखना ; और

(4) सामग्री के प्रबन्ध के आधुनिक तकनीकों को लागू न करना।

एककों को उस उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में उचित परामर्श दिया गया है जो न केवल कच्ची सामग्री की वस्तु सूची बल्कि चालू निर्माण कार्यों, तैयार वस्तुओं आदि की वस्तु सूची में भी कमी करने के लिये अपनायी जानी चाहिए।

Shri Vekaria : Will the Hon. Minister be pleased to name the public undertakings where there is over stocking ?

श्री के० आर० गणेश : कुछ सरकारी उपक्रम जिनमें एक करोड़ से भी अधिक.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया विवरण को सभा पटल पर रख दीजिए अन्यथा बताने में बहुत समय लग जाएगा। माननीय सदस्य कृपया ऐसे प्रश्न न पूछें जिसमें कि लम्बा विवरण निहित हो। मंत्री महोदय यह विवरण सभा पटल पर रख दें।

Shri Vekaria : When the industrial production is falling due to the shortage of raw material through out the country, there is over stocking of raw material in public undertakings. I want to know whether Government proposes to take any action against those officers of the Public Undertakings, who are responsible for the overall loss to the country in this regard ; if so, when and if not, the reasons therefor.

श्री के० आर० गणेश : अतिरिक्त कच्चे माल के प्रश्न की जांच करने वाली समिति ने कुछ निर्देश दिए हैं। उनकी सिफारिशें इस प्रकार हैं।

उपक्रमों को वास्तविक उत्पादन की रूपरेखा बनानी चाहिए और सही आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये सही तकनीक अपनाई जाए। उत्पादन में कमी करने के प्रयत्न किए जाएं। परिष्कृत वस्तुओं को कम करने और अतिरिक्त निर्माण वस्तुओं के निपटान को ध्यान में रखते हुए विपणन संगठनों में सुधार किया जाए। आयात में कमी करने और आत्म निर्भर बनने के लिये उपक्रमों को लघु क्षेत्र के उद्योगों तथा सहायक सैक्टरों के साथ औद्योगिक आधार विकसित करना चाहिए।

श्री बी० आर० कावड़े : यह कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक स्टाक रखा जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ औसत रखी जानी है। मैं यह जानना चाहता हूं औसत भंडार की तुलना में आवश्यकता से अधिक इकट्ठे किए गए स्टाक की प्रतिशतता क्या है ?

श्री के० आर० गणेश : इस सम्बन्ध में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 31-3-1971 को 1,040 करोड़ रुपये का कच्चा माल था। निर्माण संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं का उत्पादन व्यय 2,206 करोड़ रुपये था। अतः यह प्रतिशतता 5.7 प्रतिशत है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई भी उद्योग उन 37 उपक्रमों के अन्तर्गत आता है, जिन्हें 78.29 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई है तथा कब से वहां आवश्यकता से अधिक स्टाक जमा हो रहा है।

श्री के० आर० गणेश : भिलाई तथा रूरकेला इस्पात संयंत्र जो घाटे में चल रहे हैं, इसके अन्तर्गत आते हैं। उनके पास 25.6 तथा 18.3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कच्चा माल है।

प्रो० मधु दंडवते : कच्चे माल के वितरण तथा स्टाक के बारे में फैले अनाचार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार निगम की कच्चे माल की वसूली तथा उसके स्टाक के समान वितरण सम्बन्धी अधिकार देने का है ताकि औद्योगिक क्षमता के पूरे उपयोग की कमी की समस्या को दूर किया जा सके ?

श्री के० आर० गणेश : इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश दिए गए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक विशिष्ट प्रश्न है और यदि आप इसका विशिष्ट उत्तर नहीं दे सकते, तो मुझे बता दें, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या सरकार ने तीन संसदीय वित्तीय समितियों, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति, की सिफारिशों पर ध्यान दिया है ? यदि उनकी सिफारिशों को पहले से लागू किया होता तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ही न होती।

श्री के० आर० गणेश : समितियों तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद एक विशेष समिति की स्थापना की गई जिसने आवश्यकता से अधिक स्टाक रखने के प्रश्न की जांच की तथा 17 उपक्रमों का अध्ययन किया जिसका कि प्रश्न में उल्लेख है।

केरल में बाढ़-राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता

*152. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़-राहत कार्यों के लिये अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). केन्द्रीय सहायता के लिए स्वीकृत 309.72 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत सहायता कार्यों पर अधिक व्यय को व्यवस्था करने के लिये केरल सरकार ने कुछ पारस्परिक समायोजनों का सुझाव दिया है। इस सुझाव पर विचार किया गया है और सहायता कार्यों पर व्यय की 40 लाख रुपये की अधिकतम सीमा को संशोधित करके 53 लाख रुपया कर दिया गया है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने राशि को बदल दिया है, क्या मैं जान सकती हूं कि केरल सरकार ने कितनी राशि की मांग की थी और क्या केरल को बाढ़ राहत के मामले में इसका वैध भाग मिला है ? क्या केरल सरकार ने बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कोई सुझाव दिये हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्हें स्वीकार कर लिया है ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : केरल सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों के समायोजन हेतु 100 लाख रुपये की मांग की थी। मुख्य मंत्री ने भी मुझे इस बारे में लिखा था। हमने इस मामले पर विचार विमर्श किया था। योजना आयोग की टीम ने भी इस मामले में उनसे विचार विमर्श किया और मालूम हुआ कि 54 लाख रुपये की यह बढ़ोतरी पर्याप्त होगी क्योंकि बाढ़ राहत के लिये मांगी जाने वाली राशि विभिन्न कार्यों के लिये वितरित होगी। उदाहरणतः, पंचायत सड़क कार्यों के लिये भी कुछ कार्यक्रम थे। हमने सोचा कि उस आधार पर रोजगार उपलब्ध किया जा सकेगा। लेकिन रोजगार देना एक बात है और उदारतापूर्वक अनुदान देना दूसरी बात है। अतः हमने सोचा कि 100 लाख रुपये की मांगी गयी राहत आवश्यक नहीं है। जहां तक बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी प्रस्तावों का प्रश्न है। इसके लिये दूसरा प्रश्न पूछा जाये।

श्री वयालार रवि : वित्त मंत्री कह रहे थे कि ऐसा मालूम हुआ कि 100 लाख रुपये आवश्यक नहीं थे। मैं नहीं जानता कि क्या वित्त मंत्री और योजना आयोग के उनके सहयोगी इस प्रश्न पर उत्तर भारत की बाढ़ों के ढंग पर निर्णय कर रहे हैं ? केरल की बाढ़ें भिन्न प्रकार की होती हैं। बाढ़ 24 अथवा 48 घंटे से अधिक नहीं रहती। लेकिन यह सारे घरों को बहा ले जाती है। अतः इन्हें केरल के मामले को विशेष समझना चाहिये और उन्हें पूरी नहीं, तो कम से कम आवश्यकता के अनुसार राशि देनी चाहिये।

श्री यशवंतराव चह्वाण : आपने मेरे उत्तर के सार को नहीं समझा। 309 लाख रुपये की अधिकतम सीमा बांधी गयी थी जिसमें घरों के निर्माण हेतु भी प्रावधान था। हमने इसके उस भाग को नहीं छुआ। केरल सरकार की असली दलीलें यह थीं कि उदार अनुदान की मात्रा में वृद्धि की जाये। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि और आपको भी होगा कि गृह निर्माण के लिये रखी गयी राशि का पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया गया।

आयकर तथा अन्य करों की बकाया राशि की वसूली

*154. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **वित्त** मंत्री आयकर की बकाया राशि की वसूली के बारे में 25 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3194 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो इसको सभा पटल पर कब रखा जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। 7-4-1972 से पहले इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमर नाथ चावला : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले वर्ष जून के महीने में अतारांकित प्रश्न संख्या 3194 के उत्तर में उल्लिखित उन लोगों के नाम प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्होंने निर्धारित सीमा तक कर नहीं दिये ? वे सीमाऐं क्या हैं और वे लोग कौन हैं और क्या उनके नामों का कहीं प्रकाशित भी किये गये हैं ?

श्री के० आर० गणेश : जून में माननीय सदस्य ने ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पूछे थे जिनके बकाया 5 लाख रुपये से अधिक थे। हमने सूचना को अंतिमरूप दे दिया है। और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Shri Amarnath Chawla : I have not got the specific information.

Mr. Speaker : Why the Hon. Member is asking when he has received the same :

Shri Amarnath Chawla : The same has not been received.

"Publication of names of assessees who are defaulters in the payment of taxes over certain prescribed limits."

श्री के० आर० गणेश : 960 नाम हैं और हम इन नामों को सप्लाई कर रहे हैं। हम अपना आश्वासन पूरा कर रहे हैं।

श्री अमर नाथ चावला : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन नामों का प्रचार किया गया हैं। उनका "प्रकाशित" शब्द से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ समाचारपत्रों में प्रचार से है अथवा सभा पटल पर रखे जाने से है ?

अध्यक्ष महोदय : जब यह सभा पटल पर रखा जाता है तो यह प्रकाशित समझा जाता है। यह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। इसे मुद्रित किया जायेगा और आपको पहुंचाया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether amount the income tax arrears is very large ? Whether the Government has also to make refund in large number and if so, what is the number of persons to whom money was refunded by the Government ?

श्री के० आर० गणेश : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन दोषियों में से कितने गैर-भारतीय थे ? जो भारत में रहते हैं उनसे निपटना सरल है लेकिन विदेशी इस देश से भाग जायेंगे और हम कभी भी पैसा न ले सकेंगे।

श्री के० आर० गणेश : 100 व्यक्ति दोषी हैं और विशिष्ट नाम देना बहुत कठिन कार्य है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या दूसरे सदन में कहा गया है कि औद्योगिक विकास मंत्री कर अपवंचन के मामले में फंसे हुए हैं ? यह कहां तक सच है और मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री के० आर० गणेश : इन्हें किसी विशिष्ट प्रश्न के लिये पूर्व सूचना देनी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि सदन में कोई आरोप लगाया जाता है, तो उस ओर ध्यान देना पड़ता है। वे इसे टाल नहीं सकते।

श्री के० आर० गणेश : आरोप अभी हाल में लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वहां व्यक्तियों की दी गयी कुल संख्या 900 है। यदि माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप है, तो इसके लिये पृथक प्रक्रिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उनका नाम 900 के बीच शामिल नहीं किया गया। यह 900 के अतिरिक्त है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब सदन में कोई आरोप लगाया जाता है, तो वे इस प्रकार चुप नहीं रह सकते ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मन्त्री महोदय ने 900 की सूची दी है । मेरी जानकारी यह है कि एक केबिनेट मंत्री भी दोषी हैं । उनका नाम इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ये मंत्री का नाम जानते हैं तो ये इस अनुपूरक प्रश्न के स्थान पर एक पृथक नोटिस दे सकते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : He should either contradict or support as early as possible when the reputations of a Minister is at stake.

Mr. Speaker : There is a separate procedure for levelling allegation against a Minister, which should be followed by the Hon, Members. Since his name is not figuring in the list of 900 and, therefore, it is not proper for the Hon. Members to get excited. There is a separate procedure for that.

लेखापरीक्षण-कार्य का राष्ट्रीयकरण

\+

*155. **डा० रानेन सेन** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखापरीक्षण कार्य का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) इस समय लेखा-परीक्षा के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डा० रानेन सेन : इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर-सरकारी वाणिज्य गृह, गैर-सरकारी लेखा-परीक्षकों की सहायता से कदाचारों में ग्रस्त है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन कदाचारों को नियंत्रित करने के लिये लेखा-परीक्षण का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : गैर-सरकारी वाणिज्य गृहों में पुर्नलेखापरीक्षण की एक प्रणाली है और कभी-कभी कदाचार उसके कारण होते हैं । इन कदाचारों पर काबू पाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । हम अनेक सुझावों पर विचार कर रहे हैं । हम लेखा-परीक्षकों के परिभ्रमण पर विचार कर रहे हैं ताकि हम यह देख सकें कि लेखा-परीक्षक काफी समय तक किसी विशेष गृह अथवा विशेष कम्पनी में ही दिलचस्पी न ले ।

डा० रानेन सेन: क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता नहीं है कि चारटर्ड एकाउंटेन्ट्स की कुछ बड़ी-बड़ी फर्मों का समूचे क्षेत्र में एकाधिकार है जिसके फलस्वरूप कुछ छोटी कम्पनियों तथा निजी लेखा परीक्षकों को काम नहीं मिलता ? इससे लेखा-परीक्षण में भी काफी समस्याएं पैदा होती हैं। इस लेखा-परीक्षण को तोड़ने, छोटी फर्मों की सहायता करने और इन कदाचारों को दूर करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षण को बड़े बड़े लेखा-परीक्षण गृहों के चंगुल से मुक्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : इस मामले के बारे में हम अपने विभाग के अनुसंधान अनुभाग में खोज कर रहे हैं। हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि लेखा परीक्षण के मामले में कितना जमाव है। यह बात सच है कि अनेक बड़े-बड़े लेखा-परीक्षण गृह बड़े-बड़े व्यापार गृहों से सम्बन्धित हैं और सरकार इस मामले पर भी विचार कर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि देश के बड़े-बड़े व्यापार गृहों ने, विशेष कर ऐसे गृह जो उस सूची में आते हैं जिसमें 75 एकाधिकार हैं, स्वयं विभिन्न लेखा-परीक्षण संस्थाएं शुरू कर रखी हैं जो एक तरह से उनकी ही उपसंगी हैं ? यदि यह ठीक है, तो हमारी आत्मनिभरता की आवश्यकता और अपने साधन जुटाने की बात को ध्यान में रखते हुऐ क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निगम क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर कर अपवंचन रोकने के लिये लेखा परीक्षण कार्य को ऐसी संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिये ?

श्री वेदव्रत बरुआ : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन गृहों ने अपनी लेखा-परीक्षण फर्में चला रखीं हैं लेकिन कुछ फर्में ऐसी जरूर हैं जो विशेष रूप से कुछ गृहों से जुड़ी हैं। हम जब भी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इन संशोधनों को कब तक लाने जा रहे हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : लेखा परीक्षण कार्य के विकेन्द्रीकरण हेतु हम समवाय अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रहे हैं। लेकिन निश्चय ही इसका अर्थ राष्ट्रीयकरण अथवा ऐसी ही कोई बात नहीं।

श्री के० डी० मालवीय : सरकार का उत्तर यह है कि राष्ट्रीयकरण का प्रश्न कार्य सूची में नहीं है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस कुटिल समझौते तथा लेखा परीक्षण और बड़े गृहों के बीच चल रहे षड़यत्र का, कर अपवंचन का मुख्य अथवा सब से बड़ा कारण है, क्या आज कोई भी रचनात्मक विकल्प नजर नहीं आता ?

श्री वेदव्रत बरुआ : हम इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं। सुझाव सहित जो भी तथ्य हमारे सामने रखे गये, पहले प्रश्न के उत्तर में सदन के सामने रख दिये गये। भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री तथा महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री के बीच इस मामले पर बातचीत हुई। यह भी सुझाव दिया गया कि लेखा-परीक्षक की नियुक्ति सरकार अथवा नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक करे। लेकिन इस मामले में निर्णय करना अभी बहुत जल्दी होगी क्योंकि अभी हमारे पास सारे तथ्य नहीं हैं।

Black Money in India

*157. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Government's assessment of black money in the country at present ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to unearth the black money ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि काले धन का भारी मात्रा में परिचलन है, लेकिन इसकी सही-सही मात्रा बताना कठिन है। विभिन्न व्यक्तियों और समितियों ने इस प्रश्न की जांच की है लेकिन उन्होंने काले धन की मात्रा के बारे में भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये हैं।

(ख) सरकार ने पिछले समय में अनेक कदम उठाये हैं। इस समस्या पर सरकार का निरन्तर ध्यान लगा हुआ है। पहले से ही यह बता सकना संभव नहीं है कि कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन है। तथापि वांचू समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा हैं। कुछ सिफारिशें वित्त विधेयक 1972 में पहले ही समाविष्ट की जा चुकी हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister said that various individuals and committees gave varying opinions in the matter. I want to know the names of the individuals and committees with their estimate about the black money. Is the Government going to end the circulation of big notes, with a view to stop it ?

Mr. Speaker : Have you asked about the assessment of the Government ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Committees have given different opinions over its estimate. I want to know the names of committees and individuals who gave their opinion and estimates. Is the Government considering to stop the circulation of big notes ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के प्रश्न का विशिष्ट उत्तर यह है। उदाहरणत: प्रोफेसर कालदर ने कर अपवंचन द्वारा आय कर की हानि का अनुमान 200 से 300 करोड़ रुपया लगाया है। त्यागी समिति ने भी इस पर विचार किया, जिसने प्रोफेसर कालदर के विभिन्न अनुमानों को ध्यान में रखा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रोफेसर कालदर का अनुमान बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा है। अन्य कर विशेषज्ञों ने भी इस पर विचार किया और प्रत्यक्ष कर जांच समिति, जो आखिरी समिति थी, जिसका प्रतिवेदन सरकार को मिल चुका है, और जिसकी प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है, ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1968-69 के दौरान 1400 करोड़ रुपये की आय-कर का अपवंचन किया गया अर्थात वह आय जिसके कर का अपवंचन हुआ, कर तो उससे कम ही होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : No reply has been given about the notes. It can prove to be very helpful in unearthing the black money. Is the Government considering to stop the circulation of Rs. 100/- and Rs. 1000/- notes ?

श्री के० आर० गणेश : ऐसा कोई विचार नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is the Government aware of the film actors possessing lockers in Bombay ? It is said that many actors possessing these lockers do not keep ornaments but keep black money in them. Is the Government ready to enquire into it and whether any penalty has been prescribed for those engaged in this trade of black money ?

श्री के० आर० गणेश : पहली सूचना हमारे विभाग से सम्बन्धित है। हम अपने विभाग को माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना की जांच करने के लिये कहेंगे।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, अभी हाल में प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मुकदमे चलाने शुरू कर दिये हैं। हम विभिन्न सारे अपवंचनों और छिपाये गये धन के लिये समझौता करने को सहमत न होंगे। मामले आये हैं और कई न्यायालय के पास पड़े हैं।

श्री हरिकिशोर सिंह : वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि चोर बाजारी करने वाले लोग इस देश में समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चला रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार यह मालूम करने की स्थिति में है कि काले बाजार में ऐसा कितना धन है। यदि वे समानान्तर अर्थ व्यवस्था चला रहे हैं तो सरकार इसे समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

Mr. Speaker : He has replied to the same.

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : मैं यह सुनकर प्रसन्न हूं कि काले धन के प्रचलन की राशि का अनुमान लगाने की दिशा में सरकार ने प्रयत्न किये हैं। किन मुख्य आधारों पर यह अनुमान लगाया गया है।

श्री के० आर० गणेश : समितियों ने दो अनुमान लगाये हैं और अंतिम समिति वांचू समिति थी, जिसके प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे ?

श्री के० आर० गणेश : इसका अर्थ इस समूची अर्थ-व्यवस्था के कार्य का अध्ययन करना है।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा प्रश्न बहुत ही संक्षिप्त है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस समस्या के सम्बन्ध में कितने प्रतिवेदन तथा सिफारिशें प्राप्त हुईं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इनके पास कोई जानकारी नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम में ब्याज की दर

*142. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की परिचालन लागत या खर्चों का अनुपात बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की दर को 6¼ प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत करना पड़ा ; और

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान समयोपरि भत्ते के भुगतान के रूप में कितना खर्च हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) निगम ने वर्ष 1969-70 और 1970-71 में क्रमश: 56.53 लाख रुपये और 70.36 लाख रुपये के समयोपरि भत्ते के भुगतान की मंजूरी दी ।

विवरण

(क) अनुमानत: माननीय सदस्य का संकेत, जीवन बीमा पालिसियों की प्रतिभूति पर स्वीकृत ऋणों पर वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर में वृद्धि की ओर है ।

ब्याज की दर जुलाई 1970 से 6 प्रतिशत से बढ़ाकर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई है । निम्न दर तब तक लगायी जाती रहेगी जब तक उसी पालिसी पर कोई अतिरिक्त ऋण नहीं लिया जाता । कारण ये हैं :—

(i) हाल में, अन्य निवेशों से मिलने वाला लाभ बढ़ गया है, उदाहरणार्थ, प्रथम श्रेणी के ऋणपत्रों से 9 प्रतिशत, शेयरों से 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक, और बैंक में जमा रकमों से 7 प्रतिशत लाभ मिलता है । इसके अलावा, जो बैंक बीमा पालिसियों पर ऋण मंजूर करते हैं वे 9 प्रतिशत तथा $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच ब्याज वसूल करते हैं ।

(ii) पालिसियों पर दिये गये ऋणों से वसूल की जाने वाली ब्याज की प्रभावी दर अर्थात् कार्यालय सम्बन्धी खर्चों को निकाल कर ब्याज की दर, ऋणों की परिचालन सेवा की लागत में वृद्धि के कारण कम हो जाती है ।

(iii) इसलिये, धन के अन्यथा निवेश से जो लाभ अर्जित होता उसकी अपेक्षा वसूल किया गया प्रभावी ब्याज जितना कम पड़ता है उतना लाभ, ऋण लेने वाले पालिसीधारी ऋण नहीं लेने वाले पालिसीधारियों के खर्चे पर प्राप्त करते हैं । यह बात न्याय संगत नहीं है ।

(iv) जीवन बीमा निगम यह अनुभव करता है कि अब इस प्रकार के ऋण लेने वाले धनिक पालिसीधारी होते हैं और वे ऋण इसलिये नहीं लेते कि उनको धन की आवश्यकता है, अपितु केवल इसलिये लेते हैं कि रकम का निवेश अधिक ब्याज की दरों पर किया जाय ।

पर्यटक-होटलों के निर्माण के लिये तमिलनाडु में उद्यमकर्त्ताओं को दिये गये ऋण

*143. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक-होटलों के निर्माण के लिये तमिलनाडु में उद्यमकर्त्ताओं को भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों में अब तक कितनी राशि के ऋण दिये गए ; और

(ख) ये होटल कहां-कहां बनाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटक-होटलों के निर्माण के लिये पर्यटन विभाग द्वारा ऋण दिया जाता है न कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा। मद्रास में पांच होटल प्रायोजनाओं के लिये 2.25 करोड़ रुपये के ऋणों का अनुमोदन किया गया है, और ये राशियां कम्पनियों द्वारा कानूनी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के पश्चात् किस्तों में प्रदान की जायेंगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में "स्वत: माल निकालने की पद्धित" विषयक समिति

*144. **श्री सी० चित्ति बाबु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में स्वत: माल निकालने की पद्धति के पुनर्विलोकन के लिए अक्तूबर, 1971 में जो समिति नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट मिलने में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) समिति द्वारा अपना कार्य समाप्त करके कब तक रिपोर्ट दे देने की सम्भावना है ; और

(ग) समिति के निर्देश-पद क्या हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे कितना समय दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). समिति से अपेक्षा की गयी है कि वह 30 जून, 1972 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दे।

दिनांक 11 अक्तूबर 1971 के संकल्प सं० ए० 11013/ई/134/71—प्रशासन-IV की एक प्रतिलिपि, जिसमें समिति के निर्देश पद तथा उसको अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये दी गई अवधि दी हुई हैं, सभा-पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1544/72**]

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और उनके परिवारों को रियायत देना

*147. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और उनके परिवारों को कोई रियायत देने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या अब दी जाने वाली रियायत पहले दी जाने वाली रियायत से अधिक है और यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सितम्बर, 1968 से इण्डियन एयरलाइन्स सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों और उनके परिवारों को विमान किरायों में 25 प्रतिशत की रियायत प्रदान कर रही थी। 26 दिसम्बर, 1971 से सेना के अफसरों और अन्य कर्मचारियों के लिये यह रियायत बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी गई है।

पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात बन्द करना

*148. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितने धन की बचत होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारत पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं, कपास और सोयाबीन का तेल आयात करता रहा है । दिसम्बर, 1971 के बाद से रियायती शर्तों पर गेहूं का आयात करना बन्द कर दिया गया है, क्योंकि सरकार, गेहूं के वर्तमान उत्पादनस्तर से, सरकारी वितरण की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भण्डार का निर्माण करने तथा पर्याप्त संकट निरोधक भण्डार बनाये रखने में समर्थ है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 दिसम्बर 1971 से भारत को आर्थिक सहायता देना अंशतः स्थगित कर दिये जाने के बाद नये पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत कपास और सोयाबीन के तेल का आयात करने के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की गयी है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर, पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुमानतः 110 करोड़ रुपये के मूल्य के 20 लाख मेट्रिक टन अन्न का आयात किया जाता रहा और अब इस रकम को वार्षिक बचत समझना चाहिए । यदि, इसकी तुलना पहले के वर्षों में अपेक्षाकृत भारी मात्रा में किये गये अन्न के आयात के साथ की जाय तो आयात में होने वाली बचत की राशि काफी अधिक बैठेगी ।

औद्योगिक वित्त निगम का कार्यकरण

*150. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक वित्त निगम के कार्यकरण में सुधार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). औद्योगिक वित्त-निगम, सरकारी क्षेत्र का एक स्वायत्त वित्तीय संस्थान है, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पर्यवेक्षण में काम करता है । निगम के बोर्ड में, सरकार और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रतिनिधित्व है । निगम समय-समय पर अपने कार्यचालन की समीक्षा करता रहता है और अपनी कार्यविधियों को सरल बनाने के लिये अनेक प्रभावपूर्ण उपाय करता रहता है, जैसे अपना कानूनी विभाग स्थापित करना, कानूनी दस्तावेजों को मानकित करना आदि और इस प्रकार, वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर कार्रवाई करने और सहायता के भुगतान में पहले से कम समय लगने लगा है । निगम ने अपने ग्राहकों को अधिक प्रभावपूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, हाल में, कई राज्यों की राजधानियों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले हैं ।

कलकत्ता स्थित सिलवर रिफाइनरी

*153. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रेण्ड रोड, कलकत्ता स्थित सिलवर रिफाइनरी के बन्द हो जाने के पश्चात् सरकार द्वारा इसके भवन और मशीनों का किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो भवन और मशीनरी का किस प्रयोजन के लिये उपयोग किया जायेगा ; और

(ग) रिफाइनरी के वर्तमान स्थान पर अन्य वैकल्पिक परियोजना कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या कलकत्ता स्थित चांदी शोधन शाला में चांदी निकालने के शेष कार्य के पूरा हो जाने के बाद शोधन शाला के परिसर और उपकरणों का उपयोग सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम की स्थापना के लिये किया जा सकता है। अभी तक कोई व्यावहारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

बेरोजगार पायलटों को उपयुक्त रोजगार प्रदान करने में हुई प्रगति

*156. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार प्रशिक्षित पायलटों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार कुछ बेरोजगार पायलटों को रोजगार देने का है और क्या दवाई छिड़कने के कार्य के लिये कृषि मंत्रालय में भी उन्हें काम दिलाने के बारे में उनकी सहायता करने के प्रयास किये गये थे ; और

(ग) उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1 मार्च, 1972 को विभिन्न वर्गों के वाणिज्यिक अनुज्ञापत्रधारी विमानचालकों की संख्या 1034 थी, जिनमें से 816 इसी व्यवसाय में नियुक्त हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने वाणिज्यिक विमानचालकों में फैली बेरोजगारी की समस्या को निपटाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन कर के वाणिज्यिक विमानचालक अनुज्ञापत्र को भी उसके लिये स्वीकार्य योग्यताओं में सम्मिलित कर लिया गया है। सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों के 78 पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेज दी गयी है।

(ii) इस मंत्रालय के अनुरोध पर कृषि मंत्रालय बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को फसल पर छिड़काव सम्बन्धी परिचालनों के लिये संपरिवर्तन प्रशिक्षण (कनवर्शन ट्रेनिंग) देने के लिये विचार करने पर सहमत हो गया है।

(iii) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया से अनुरोध किया गया है कि वे, जहां कहीं सम्भव हो, "ग्राउंड ड्यूटी" पर बेरोजगार विमानचालकों की सेवाओं का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, इण्डियन एयरलाइंस का लगभग बीस विमानचालकों की भर्ती करने का प्रस्ताव है।

भूतपूर्व सैनिकों को मनीआर्डर द्वारा पेन्शन देना

*158. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी पेन्शनभोगियों को मनीआर्डर द्वारा पेन्शन दिये जाने की योजना में भूतपूर्व सैनिकों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों को अथवा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को मनीआर्डर द्वारा पेन्शन देने के बारे में सरकार को अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकारी पेन्शनरों को 100 रुपए प्रति माह तक सरकारी व्यय पर मनीआर्डर के द्वारा पेन्शन भुगतान करने की योजना को भूतपूर्व पेन्शनरों पर भी लागू कर दिया गया है। यह सुविधा अभी सशस्त्र सेना के पेन्शनरों के लिए उपलब्ध है जो कि अपनी पेन्शन खजानों/उपखजानों तथा पेन्शन पे मास्टरों से प्राप्त करते हैं। यह निर्णय किया गया है कि यह सुविधा डाकघरों से पेन्शन प्राप्त करने वालों पर भी लागू कर दी जाय। स्पष्टीकरण आदेश शीघ्र जारी कर दिए जायेंगे।

(ख) तथा (ग). (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए (ख) तथा (ग) का प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार में पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने वाले स्थान

*159. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन स्थानों का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का विचार है ; और

(ख) उस राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष में कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इन इमारतों के लिये चुने गये स्थानों के पर्यटन विभाग को हस्तांतरित होते ही, अगले वित्तीय वर्ष में पटना में एक पर्यटन स्वागत केन्द्र तथा राजगिर व नालन्दा में कैफेटेरिया का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

केन्द्र राज्य के मध्य वित्तीय सम्बन्ध

*160. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि केन्द्र और राज्यों के मध्य

करारोपण सम्बन्धी शक्तियों का पुनः आवंटन किया जाये ताकि राज्य अधिक वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकें ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). समय-समय पर राज्यों की सरकारें, केन्द्रीय राजस्व प्राप्तियों के विभाजन, ऋणों की वापसी, राज्यों की आयोजनाओं के लिये आयोजनागत सहायता आदि के निर्धारण सहित केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखती रही है। वर्तमान सांवैधानिक ढांचा काफी लचीला है और इसमें ऐसे सभी मामलों पर विचार करने और समय समय पर उनकी समीक्षा करने के लिये पूरी गुंजाइश है।

रिजर्व बैंक अहमदाबाद में भर्ती

1097. **श्री सोम चन्द्र सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अहमदाबाद शाखा में वर्ष 1971 में क्लर्क ग्रेड II और III के पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने व्यक्तियों का चयन किया गया था, कितने व्यक्तियों को उनके चयन की सूचना दी गई थी और कितने व्यक्तियों को अभी तक नियुक्ति आदेश नहीं दिए गए हैं ; और

(ख) क्या चयन किये गये उन अभ्यर्थियों जिन्हें अब तक नियुक्त नहीं किया गया है, को आगामी भर्ती सम्बन्धी सूचना से पूर्व पदों पर नियुक्ति के लिये पत्र भेजे जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1545/72]**

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि चुने गये उम्मीदवारों को, जिन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है उन पदों पर जिनके लिये वे चुने गये हैं, उस समय नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जायेंगे जब 40 सूत्रीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति के लिये उनकी बारी आ जायगी।

केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा की स्थापना

1098. **श्री नयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव एक लम्बी अवधि से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य पक्ष को छोड़कर रिजर्व बैंक की एक शाखा के सभी विभाग केरल में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसे सर्वांगपूर्ण कार्यालय बनाने के लिए अन्य विभाग खोलने का मामला बैंक के विचाराधीन हैं।

जैसलमेर में तेल के संसाधनों की खोज

1099. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर में तेल के संसाधनों की खोज का कोई लक्ष्य तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य क्या है ;

(ग) क्या यह खोज कार्य रुक-रुक कर किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा कार्य की गति में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इस क्षेत्र में, तेल की उपलब्धता की क्या सम्भावनाएं हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पिछले कुछ वर्षों से जैसलमेर में सर्वेक्षण करता रहा था और एक गहरे व्यधन भी किये। आयोग उस क्षेत्र के उन भागों में, जिनमें अभी तक इस प्रकार के गहन सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं, भूकम्पीय सर्वेक्षण करने तथा कुछ संरचनाओं, जिनका भूकम्पीय सर्वेक्षण द्वारा चित्रण किया जा चुका है, में गहरे कुओं में व्यधन शुरू करने का विचार रखता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा रूस के विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में किए गये देश में तेल की सम्भावनाओं से सम्बन्धित तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर लिए जाने वाले निर्णयों के प्रकाश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस क्षेत्र में, भविष्य के लिए, काम का विशिष्ट कार्यक्रम निकट भविष्य में दुबारा बनाये जाने और इसे अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भूगर्भविज्ञान सम्बन्धी पहलुओं की दृष्टि से जैसलमेर क्षेत्र अन्वेषण के योग्य समझा जाता है। यह बात बताना सम्भव नहीं है कि अन्वेषण कार्य कितनी जल्दी पूरा हो सकेगा क्योंकि यह समय समय पर उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करेगा। तथापि यह समझना उचित प्रतीत होता है कि काम कई वर्षों तक चलेगा।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेशों में कमी होने से उत्पन्न संकट

1100. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में फाइनेन्शल राइटर्स फोरमा की मध्याह्न भोजन की बैठक में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी कि औद्योगिक क्षेत्र में कम होते जा रहे निवेशों और जनता द्वारा कम बचत की जाने के परिणामस्वरूप संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई गहरा अध्ययन किया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, बचत में तथा औद्योगिक क्षेत्र के निवेशों में हुई कमी की दर क्या है और अध्ययन में इसके क्या कारण बताये गये हैं तथा इस मामले में सरकार का क्या-क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). औद्योगिक निवेश में वृद्धि में बाधक तत्वों का विश्लेषण चौथी आयोजना के मध्यावधिक मूल्यांकन और 1971-72 की आर्थिक समीक्षा में किया गया है, ये दोनों दस्तावेज संसद के सामने प्रस्तुत किये जा चुके हैं । आर्थिक समीक्षा में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि "सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश औद्योगिक व्यवस्था में अन्यत्र गति पैदा करने के लिये मूलाधार सिद्ध होते हैं ।" इसलिए 1972-73 के बजट में आयोजना-परिव्यय में का फीवृद्धि करने का प्रस्ताव है । बजट में की गयी व्यवस्था, सरकारी उद्यमों के आन्तरिक साधनों और बजट से भिन्न अन्य साधनों को मिलाकर केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं का कुल आयोजना परिव्यय 1971-72 के 1,823 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2,307 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है अर्थात् इस में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी । इसके अलावा, अनुमान है, 1972-73 में राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के आयोजना-परिव्यय की रकम 1,666 करोड़ रुपये होगी जबकि 1971-72 में यह रकम 1,440 करोड़ रुपये थी ।

नयी पेट्रोलियम परियोजना के लिए एक नयी कम्पनी का बनाया जाना

1101. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नई कम्पनी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो नई पेट्रोलियम परियोजनाओं, जो कि शीघ्र ही बनने वाली हैं, का प्रबन्ध अपने हाथ में लेगी ; और

(ख) क्या वर्तमान पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड को नई कम्पनी में परिवर्तित किया जायेगा अथवा एक अन्य कम्पनी बनाई जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा बेचे गये यूनिट

1102. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष की प्रथम तिमाही, जुलाई से सितम्बर, 1971 तक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने, प्रत्यक्ष मूल्य पर आठ करोड़ रुपये से अधिक रुपयों के यूनिट बेचे जबकि 1970 की इसी तिमाही में 13 करोड़ रुपये से अधिक के यूनिट बेचे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो यूनिटों की बिक्री में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त अवधि में कुल कितने नये व्यक्तियों ने यूनिट खरीदे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारतीय यूनिट ट्रस्ट के चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही (अर्थात् जुलाई-सितम्बर 1971) में 8.84 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के यूनिट बेचे गये जबकि इससे पहले के वर्ष की इसी तिमाही में 13.65 करोड़ रुपये के यूनिट बेचे गये थे । यूनिटों की बिक्री कम होने का मुख्य कारण यह है कि करों में रियायत देने की योजना में परिवर्तन कर दिया गया है तथा कुछ कारण यह है कि निवेश के अन्य माध्यमों की ब्याज-दरों में वृद्धि हो

गयी है। मार्च 1971 के अन्त तक, यूनिटों के सम्बन्ध में होने वाली आय को 1000 रुपये तक की राशि पर कोई आयकर नहीं लगता था किन्तु इसके बाद, यूनिटों के सम्बन्ध में होने वाली आय को कुछ अन्य विशिष्ट किस्मों के निवेशों अर्थात् बैंकों में जमा की गयी रकमों, भारतीय कम्पनियों के शेयरों, राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि में निवेशित रकमों के साथ मिलाकर कुल 3000 रुपये तक की राशि पहली अप्रैल, 1972 से कर-मुक्त कर दी गयी थी। आयकर की राशि में बचत करने की दृष्टि से इन यूनिटों के प्रति जो विशेष आकर्षण होता था वह उक्त परिवर्तन से समाप्त हो गया। इसके साथ ही जनवरी 1971 में बैंक दर बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण बैंकों द्वारा स्थिर जमा रकमों पर देय ब्याज की दरों में भी वृद्धि हो गयी। राष्ट्रीय बचत पत्रों पर देय ब्याज की दरों में भी वृद्धि कर दी गयी थी। चूंकि यूनिट भी सामान्य शेयरों की तरह के निवेश हैं इसलिये 1971 की अधिकांश अवधि में शेयर बाजार में अपेक्षाकृत गिरावट आ जाने से यूनिटों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ग) जुलाई-सितम्बर 1971 की तिमाही में यूनिट ट्रस्ट को 39284 आवेदन-पत्र मिले जबकि इससे पहले के वर्ष की इसी तिमाही में उसे 37,196 आवेदन-पत्र मिले थे।

बिहार को ऋण

1103. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत दो वर्षों में बिहार को उसकी मांग और आवश्यकताओं के अनुसार ऋण नहीं मिले और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता, कई प्रयोजनों के लिए, ऋणों और/अथवा अनुदानों के रूप में दी जाती है। आयोजनागत व्यय के लिए ऋण और अनुदान उन मानदण्डों के अनुसार दिये जाते हैं जो राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्धारित किये हैं। आयोजना-भिन्न व्यय के लिये, ऋण और अनुदान इन मदों के लिये दिये जाते हैं जैसे पुनर्वासन, उर्वरकों तथा बीजों के लिये अल्पावधिक ऋण, छोटी बचतों के संग्रह आदि के अन्तर्गत दिये गये ऋण। राज्यों को सहायता ऐसी स्थिति में भी दी जाती है जबकि दैवी विपत्तियों के कारण चलाये गये राहत कार्यों पर व्यय, वित्त आयोग की वितरण योजना में निर्धारित सामान्य व्यय से बढ़ जाये। राज्य सरकारें खुले बाजार से भी ऋण लेती हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों ने, जिनमें बिहार सरकार भी शामिल है, राज्य की आयोजनाओं के लिये, दैवी विपत्तियों में राहत कार्यों पर और अन्य आयोजना-भिन्न प्रयोजनों पर होने वाले व्यय के लिये समय-समय पर अधिक ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता के लिये अनुरोध किया है। बिहार सरकार ने पिछले साल खुले बाजार से अपनी निर्धारित सीमा से अधिक ऋण लेने की भी स्वीकृति मांगी थी।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता, चाहे वह आयोजनागत प्रयोजनों के लिये हो या आयोजनाभिन्न प्रयोजनों के लिए और चाहे वह ऋणों के रूप में हो या अनुदानों के रूप में, उन्हीं मानदण्डों के आधार पर दी जाती है जो सभी राज्यों पर लागू होते हैं। इसी प्रकार किसी विशिष्ट राज्य के लिये खुले बाजार से लिये जाने वाले ऋणों का निर्धारण भी, उस राज्य की वर्तमान बाजार की स्थितियों, भूतकालीन प्रवृत्तियों और राज्य की आयोजनाओं में सम्मिलित विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं

को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अतिरिक्त ऋणों और अनुदानों के लिए राज्यों के अनुरोधों पर, उपर्युक्त परिस्थितियों को तथा केन्द्र के साधनों पर पड़ने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ता है।

गैर-सरकारी कम्पनियों में ऊंचे पदों पर काम कर रहे मैनेजिंग एजेंट

1104. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व मैनेजिंग एजेन्ट्स गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में बहुत अधिक वेतन तथा परिलब्धियों पर स्वयं को कार्यकारी पदों, निदेशकों, सलाहकारों तथा प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति की समाप्ति के पश्चात् जिन भूतपूर्व मैनेजिंग एजेन्टों ने स्वयं को ऐसे पदों पर नियुक्त किया है, उनके नाम क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सरकार कुछ इन पद्धतियों से परिचित है। सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है।

अमरीका को ब्याज और ऋणों का भुगतान बंद किया जाना

1105. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीकी ऋण बंद कर दिये जाने की प्रतिक्रिया में भारत सरकार अमरीका से प्राप्त ऋण तथा उसके ब्याज की राशि और पी० एल० 480 के अन्तर्गत राशि का भुगतान न करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). सरकार इस समय यह जरूरी नहीं समझती कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के एक अंश को स्थगित कर दिये जाने के कारण पूंजी परिशोधन/ब्याज की राशि के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका को की जाने वाली अदायगियां रोक दी जायं या पी० एल० 480 सम्बन्धी रकमों को अवरुद्ध कर दिया जाय।

विदेशों से हवाई टैक्सियों की खरीद

1106. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से हवाई टैक्सियां खरीदने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस देश से और किस प्रकार के विमान खरीदने का प्रस्ताव है ;

(ग) इन पर कितना व्यय आयेगा ; और

(घ) इनका किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

पर्यटक यातायात में सुधार के लिए छोटे हवाई अड्डों के बीच टैक्सी सेवा

1107. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री पर्यटक यातायात में सुधार करने के लिए छोटे हवाई अड्डों के बीच हवाई टैक्सी चलाने के सम्बन्ध में 19 नवम्बर, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय मामले की स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : फिलहाल इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

धातुकर्मक कोयले का उत्पादन करने वाली कोयलाखानों को दिया गया ऋण

1108. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातुकर्मक कोयले का उत्पादन करने वाली कितनी कोयलाखानों को 1969 से पांच लाख रुपये और इससे अधिक राशि का ऋण दिया गया ;

(ख) इस प्रकार दिये गए ऋण से धातुकर्मक कोयले का कितना उत्पादन बढ़ने तथा कोयला खानों में रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ग) धातुकर्मक कोयले का उत्पादन करने वाली कोयला खानों के नाम क्या हैं और उनको कितने ऋण दिये गये और यह ऋण कब दिये गये थे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). संभवत: माननीय सदस्य दीर्घावधिक ऋण देने वाली अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जो कि धातुकर्मक कोयले का उत्पादन करते हैं, 1969 से मंजूर किये गये सावधिक ऋणों के बारे में पूछ रहे हैं । 1969 से विदेशी मुद्रा के रूप में 7.4 लाख रुपये का एक ऋण मैसर्स वैस्ट बोकारो लिमिटेड नामक एक कोलियरी को मंजूर किया गया है । राशि का संवितरण अभी नहीं हुआ है । चूंकि यह ऋण ढुलाई कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से मशीनों का आयात करने के लिए था इसलिए इस वित्तीय सहायता के प्रत्यक्ष फल के रूप में न तो धातुकर्मक कोयले के उत्पादन में और न ही रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि होने की कल्पना की गई है ।

पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों के विकास हेतु ऋण

1109. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **वित्त** मंत्री 11 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1888 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों के विकास हेतु दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र करने में देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी, हां सूचना एकत्रित की जा चुकी है और आश्वासन पूरा किया जा रहा है ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मरे श्री फौजी राम के सन्तप्त परिवार के लिए राहत

1110. **श्री घनशाह प्रधान** : क्या **रक्षा** मंत्री 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शकूर बस्ती डिपो, दिल्ली के भूतपूर्व सिविलियन मजदूर, स्वर्गीय फौजी राम के सम्बन्ध में "मृत्यु प्रमाणपत्र" न होने के कारण उसके परिवार को विभाग से सितम्बर, 1971 का वेतन, भविष्य निधि की राशि और आय अदायगियां प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई याचिका प्राप्त हुई है ;

(ख) शोक-संतप्त परिवार को उक्त कठिनाइयों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने शोक-संतप्त परिवार को केवल तीन वर्षों के लिए पेन्शन मंजूर की है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) 16 नवम्बर, 1971 को स्वर्गीय श्री फौजी राम की विधवा को 1741 रुपये डिपो के द्वारा स्थानीय रूप से गठित मृत्यु हित-योजना के अन्तर्गत भुगतान कर दिए गए हैं । 13 जनवरी, 1972 को कोषाधिकारी से 990 रुपए प्रत्याशित मृत्यु उपदान के रूप में संवितरित करने का अनुरोध किया गया था । 19 फरवरी, 1972 को लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से संचित भविष्य निधि के भुगतान को कहा गया है । उनके वेतन और भत्तों को भुगतान के लिए पूर्व लेखा परीक्षा की जांच की जा रही है ।

(ग) आजीवन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होने तक 45 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रत्याशित पेन्शन मंजूर की गई है तथा कोषाधिकारी को 13 जनवरी 1972 को सूचित कर दिया गया है ।

आयात-कर्ताओं को सुविधायें

1111. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत को सहायता देना बंद किये जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयात-कर्ताओं की साख-पत्रों की सुविधाएं देना बन्द कर दिया है ;

(ख) उन आयात कर्ताओं को क्या सुविधाएं दी जायेंगी जो अमरीका की सामान के आयात के लिए पहले ही क्रयादेश दे चुके हैं ; और

(ग) लाइसेंस-प्राप्त उन आयात-कर्ताओं को, जिन्होंने अमरीका के लिए अपने साख पत्र जारी नहीं किये हैं, अन्य देशों से आयात करने के मामले में क्या सुविधाएं दी जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने परियोजना-भिन्न सहायता के चार अमरीकी करारों (सं० 386–एच०–200, 386–एच०–207, 386–एच०–212 और 386–एच०-601) के बदले साख-पत्र जारी करने की सुविधा बन्द कर दी है क्योंकि इन चार करारों की राशियों का उपयोग, जिनके लिए 6 दिसम्बर, 1971 तक अपरिवर्तनीय साख–पत्रों की व्यवस्था नहीं की गयी थी, अमेरिका द्वारा 6 दिसम्बर, 1971 से एकपक्षीय रूप से स्थगित कर दिया गया था ।

(ख) और (ग). वित्त पोषठा के वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था या तो रुपया अदायगी क्षेत्रों से अथवा अन्य उपलब्ध ऋणों से की जा रही है और जिन मामलों में अमेरिका से आयात करना आवश्यक है उनमें यथासम्भव सीमा तक मुक्त विदेशी मुद्रा दी जा रही है ।

विदेशी फर्मों का विस्तार

1112. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों के विस्तार के लिए कोई नया फारमूला बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जिन कम्पनियों के अधिकांश शेयर विदेशियों के पास हैं, उनको जब सरकार औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत विस्तार करने की अनुमति दी जाती है उस समय विदेशी शेयरधारिता को कम कराने के कार्य का नियमन करने के लिए सरकार ने हाल ही में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए हैं । इस सम्बन्ध में जारी किए गये एक प्रेस–नोट की प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-1546/72.**]

(ग) जिन कम्पनियों में विदेशी शेयरधारिता अपेक्षाकृत अधिक हैं उनके विस्तार के सभी प्रस्तावों पर, इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है ।

अमरीका तथा कुछ अन्य देशों द्वारा सहायता देना बन्द कर देने के कारण उद्योगों पर कुप्रभाव

1113. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमरीका तथा कुछ अन्य देशों से विदेशी सहायता बन्द हो जाने के कारण बहुत से उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) क्या युद्ध से पहले अमरीकी सहयोग से आरम्भ की गई परियोजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विदेशी साधनों से अपेक्षित मशीनें आयात करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). भारत-पाक युद्ध के बाद केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली अपनी परियोजना-भिन्न सहायता का एक अंश स्थगित किया था। उद्योगों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकार रुपया अदायगी क्षेत्रों से या अन्य उपलब्ध ऋणों से पूर्ति के वैकल्पिक स्रोत्रों की व्यवस्था कर रही है और जिन मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करना आवश्यक है उनमें यथासम्भव सीमा तक मुक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा रही है। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उद्योगों के उत्पादन पर, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता के रोक दिये जाने का कोई प्रभाव न पड़े।

त्रिवेणी टिश्यूज लिमिटेड और मोलिन्स इण्डिया लिमिटेड

1114. **श्री शशि भूषण** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेणी टिश्यूज लिमिटेड और मोलिन्स इण्डिया लिमिटेड का पूंजीगत ढांचा क्या है ;

(ख) इन दो कम्पनियों के निदेशक बोर्डों के निदेशकों की अलग अलग संख्या तथा उनके नाम क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों का कार्य कैसा रहा है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). मैसर्स त्रिवेणी टिश्यूज लिमिटेड और मोलिन्स इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०- 1547/72.]**

वर्ष 1971-72 की योजना के लिये विदेशी सहायता

1115. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष के लिए कितनी विदेशी सहायता का वचन दिया गया है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए जिन देशों ने धन जुटाने के वचन दिए थे उनमें से कुछ देशों ने इसमें कटौती करने या इसे बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ने की आंशका है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पेरिस में, जून 1971 में, भारत सहायता संघ की जो बैठक हुई थी, उसमें सहायता संघ के सदस्यों ने, विश्व बैंक द्वारा लगाये गये अनुमान का अनुमोदन किया और वे इस बात पर सहमत थे कि 1971-72 के लिए परियोजना तथा परियोजना-

भिन्न सहायता (जिसमें ऋण-शोधन सम्बन्धी सहायता भी शामिल है) के रूप में लगभग 115.00 करोड़ डालर (862 करोड़ रुपये) के नये वचन देना वांछनीय होगा। इसके मुकाबले, 1971-72 के लिए, अब तक 69.46 करोड़ डालर (लगभग 521 करोड़ रुपये) की सहायता के लिए, करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

(ख) हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कुछ आर्थिक सहायता देना स्थगित कर दिया था। इस प्रकार, स्थगित की गयी ऋण-सहायता की राशि 875 लाख डालर बैठती है।

(ग) देश में उत्पादन बढ़ाकर तथा चौथी पंचवर्षीय आयोजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक आयातों के सम्बन्ध में अदायगी करने के लिए निर्यातों में वृद्धि करके उत्तरोत्तर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य ऋणों के अन्तर्गत, तथा उन क्षेत्रों से जिनमें रुपयों में अदायगी की जाती हो, सामान प्राप्त करने के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया जा रहा है और जिन मामलों से ऐसा करना सम्भव नहीं है, उनमें यथासम्भव मुक्त विदेशी मुद्रा दी जा रही है। इसलिए, चौथी पंचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर इस स्थगन का कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

डाक-तार कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग

1116. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार कर्मचारियों के विभिन्न मजदूर संघ/संगठनों ने वेतन आयोग स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं तीसरा वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को, जिनमें डाक-तार कर्मचारी भी शामिल हैं, परिलब्धियों की संरचना के सम्पूर्ण प्रश्न तथा सेवा की शर्तों की जांच कर रहा है। डाक-तार कर्मचारियों के कुछ मजदूर-संघ संगठनों ने डाक-तार कर्मचारियों की वेतन-संरचना, परिलब्धियों, सेवा की शर्तों आदि की विशेष रूप से जांच करने के संबंध में तीसरे वेतन आयोग के अंतर्गत एक उप-आयोग नियुक्त करने के लिये 1970 में एक मांग पेश की थी। यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकी क्योंकि तीसरा वेतन आयोग इन सभी मामलों पर निश्चित रूप से विचार कर रहा है।

डाक-तार कर्मचारियों के संघों ने विभाग-वाह्य एजेंटों के लिये एक अलग वेतन आयोग की भी मांग थी। इस मांग पर समुचित विचार किया गया था और अक्तूबर 1970 में एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी।

हिन्द महासागर में अमरीकी युद्ध पोतों द्वारा युद्धाभ्यास

1117. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1971 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस

समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान द्वारा बंगला देश के नागरिकों पर किए गए घातक हमले के तीन सप्ताह के भीतर ही अमरीका ने हिन्द महासागर में कम परिचित क्षेत्रों से परिचित होने के लिए पनडुब्बी भेदी युद्धाभ्यास शुरू कर दिए थे ; और

(ख) क्या सरकार ने उस समय हमारे क्षेत्रीय जल में हुई ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कोई कार्रवाई की थी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों में आरक्षण

1118. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक निकायों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी सरकार के आदेशों को क्रियान्वित करने में अधिक उत्सुकता नहीं दिखाई है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कतिपय उपक्रमों और सांविधिक निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों में अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई जबकि अनुसूचित जाती और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार उपलब्ध थे ;

(ग) यदि हां, तो अब तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाए गए हैं ; और

(घ) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने फैसला किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के संरक्षण से सम्बन्धित आदेशों का पालन सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों तथा सांविधिक निकायों द्वारा कड़ाई से किया जाना चाहिए । जहां तक केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों का सम्बन्ध है, ये आदेश उनके लिये अनिवार्य हैं और इस प्रयोजन के लिये जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, वहां सम्बद्ध समवाय की अन्तर्नियमावली/विधान में संशोधन कर दिया गया है । इसलिये यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक निकायों ने इस विषय पर जारी किये जाने वाले आदेशों को क्रियान्वित करने में ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखायी है ।

(ख) से (घ). इन आदेशों के अनुसार, उन रिक्त पदों पर, जो अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित हैं, सामान्य उम्मीदवारों को तभी नियुक्त किया जा सकता है, जबकि रक्षित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो सकें । रिक्त पदों का इस प्रकार का विसंरक्षण केवल तभी किया जा सकता है जबकि भरती के लिये निर्धारित कार्यक्रम के पालन से, अर्थात् अखबारों में विज्ञापन दिये जाने से और रोजगार कार्यालयों को दिये जाने वाले निर्देशों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिल पाएं और श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों के सम्बन्ध में, मामले पर निदेशक बोर्ड ने विचार करके उसे अनुमोदित कर दिया हो, तथा अन्य निम्न पदों के सम्बन्ध में, प्रबन्धक निदेशक ने विचार के बाद उनके विसंरक्षण का अनुमोदन

कर दिया हो तथा उस निर्णय की सूचना निदेशक बोर्ड को भी दे दी हो। मुख्य प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, 1970 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के 22 प्रतिशत उन उम्मीदवारों में से, जिन्हें भरती किया जाना चाहिए था, 16 प्रतिशत को वास्तविक रूप से भरती कर लिया गया था और बाकी 6 प्रतिशत उन रिक्त पदों के सम्बन्ध में विसंरक्षण की मांग की गयी थी, जिनके लिये उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए थे। तदनुरूप संख्या मोटे तौर पर 1400 है। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है कि भविष्य में इतना भी विसंरक्षण न हो सके।

जहां कहीं इन आदेशों के पालन न किये जाने के मामलों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उपयुक्त प्राधिकारी उनकी स्वीकार्यता के संबंध में जांच करते हैं और आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। उन उद्यमों में, जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से कम पायी गयी है, वहां उद्यमों को निर्धारित मानकों तक पहुंचाने के लिये आयोजित तथा संयुक्त कार्रवाई करने के लिये कह दिया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उनको स्पष्ट सुझाव दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति पर बराबर नजर रखी जाती है। यह फैसला भी किया गया है कि सरकारी उद्यमों तथा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि विसंरक्षण न्यूनतम स्तर पर रहे और उनकी उच्च पदों को ग्रहण करने की योग्यता बढ़े।

तूफान, ज्वार-भाटे और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

1119. **श्री बक्शी नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में उड़ीसा में आए तूफान, ज्वार-भाटे और बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिए उड़ीसा सरकार को कुल कितनी राशि का अनुदान, ऋण तथा अन्य प्रकार की सहायता दी गई थी ; और

(ख) राज्य की कुल आवश्यकता कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). 1970-71 में उड़ीसा सरकार ने बाढ़ अथवा तूफान सहायता कार्यों के लिये कोई सहायता नहीं मांगी थी।

1971-72 में राज्य सरकार ने पहले बाढ़ तथा बाद में तूफान आ जाने के कारण आवश्यक सहायता कार्यों के लिये भारत सरकार से सहायता की मांग की थी। 1971-72 के वित्तीय वर्ष राज्य सरकार ने बाढ़ सहायता कार्यों पर व्यय का अनुमान 7.80 करोड़ रुपया और तूफान सहायता कार्यों पर व्यय का अनुमान 49.75 करोड़ रुपया लगाया था। रकम की आवश्यकता की जांच उन केन्द्रीय दलों ने की थी जिन्हें मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के लिये राज्य में भेजा गया था। केन्द्रीय दलों ने 1971-72 में बाढ़ और तूफान सहायता कार्यों पर व्यय की निम्नलिखित अधिकतम

सीमाओं की सिफारिश की है :—

	(करोड़ रुपयों में)
बाढ़ सहायता कार्य	3.90
तूफान सहायता कार्य	19.33
जोड़	23.23

केन्द्रीय दलों ने जिन अधिकतम सीमाओं की सिफारिश की थी, उन्हें मान लिया गया था और उसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गयी थी । केन्द्रीय सहायता की मंजूरी व्यय की उस प्रगति को देखते हुए दी जा रही है जिसकी सूचना राज्य सरकार से समय-समय पर अपेक्षित है । अब तक राज्य सरकार को, कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के लिये अल्पावधिक-ऋणों के रूप में दी गयी 3 करोड़ रुपये की राशि सहित, 10 करोड़ रुपया दिया जा चुका है ।

हाल ही में राज्य सरकार ने कुछ मदों के सम्बन्ध में व्यय की अधिकतम सीमाओं में परिवर्तन करने और कुछ सहायता कार्यों को 1972-73 में जारी रखने का प्रस्ताव किया था । राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल स्थिति की समीक्षा करने के लिये इस समय राज्य का दौरा कर रहा है ।

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिए कार्यवाही

1120. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य इतने अधिक हैं कि आम व्यक्ति उनको नहीं खरीद सकता; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन औषधियों को ऐसे मूल्यों पर उपलब्ध करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है जिससे अधिकांश लोग उनको खरीद सकें ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) समस्त प्रपुण्ज औषधियों तथा सूत्रयोगों (फारमूलेशन्स) के विक्रय मूल्यों पर औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 का नियंत्रण है । उक्त आदेश के अन्तर्गत, अधिकांश प्रपुण्ज औषधियों तथा सूत्रयोगों के दाम कम किए गए हैं । इस कमी से साधारण जनता को लगभग 20 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है तथा औषधियों की वार्षिक बिक्री लगभग 220 करोड़ रुपये है ।

सैनिक अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा

1121. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारत-पाक युद्ध के दौरान आहत सैनिकों की चिकित्सा के लिए सैनिक अस्पतालों की क्षमता और वहां चिकित्सा सुविधायें पर्याप्त नहीं पाई गई थीं ;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए विभिन्न सैनिक अस्पतालों का विस्तार करने का है ;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कुछ और सैनिक अस्पताल विशेष रूप से सीमान्त जिलों में भी खोले जा रहे हैं ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). चिकित्सा स्थापनाएं शान्तिकाल तथा आपातकाल दोनों ही स्थितियों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हैं। इन सुविधाओं को आपातकाल के दौरान आवश्यकतानुसार विस्तृत भी किया गया है।

आसाम में काजरिंगा वन जन्तु शानस्थल को राष्ट्रीय पार्क में बदलने का प्रस्ताव

1122. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में काजरिंगा वन जन्तु शानस्थल को राष्ट्रीय पार्क में बदलने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1968 को पहले ही 20-4-1969 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तथा राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर आगे क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

अफीम का निर्यात

1123. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ देशों को अफीम निर्यात कर रही है ; और यदि हां, तो जिन देशों को इसका निर्यात किया जा रहा है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश को अफीम का कितना निर्यात किया गया ; और

(ग) इस अवधि में वर्ष-वार और देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

जिन देशों को अफीम का निर्यात किया जा रहा है, उनके नाम निम्नलिखित है :—

"ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी, जापान, बलगारिया, स्विटजरलैंड, ताइवान, अर्जेन्टाइना, बेल्जियम, हालैंड, स्पेन तथा चेकोस्लोवाकिया।"

(ख) सूचना, संलग्न विवरण-पत्र में प्रस्तुत की गई है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी ।

विवरण-पत्र

क्र० सं०	देश का नाम	1969 मात्रा किलोग्राम	1970 मात्रा किलोग्राम	1971 मात्रा किलोग्राम
1	2	3	4	5
1	ब्रिटेन	2,34,800	2,47,940	2,60,220
2	अमेरिका	1,34,348	1,83,378	1,91,586
3	सोवियत रूस	95,000	1,15,000	1,10,000
4	फ्रांस	80,000	75,000	1,00,000
5	इटली	44,500	49,500	46,000
6	पश्चिम जर्मनी	24,000	60,050	89,000
7	जापान	43,000	27,000	35,000
8	बल्गारिया	2,000	3,000	5,000
9	स्विटजरलैंड	2,010	5,000	14,500
10	ताइवान	1,000	—	—
11	अर्जेनटाइना	2,000	7,000	7,000
12	बैल्जियम	—	3,800	7,500
13	हालैंड	—	12,000	7,000
14	स्पेन	—	20,000	18,000
15	चेकोस्लोवाकिया	—	—	3,000
	जोड़	6,62,658	8,08,668	8,93,806

युगोस्लाविया को ऋण का भुगतान

1124. **श्री एच० एम० पटेल :**
डा० रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा युगोस्लाविया को कुछ ऋण के भुगतान पर भारत और युगोस्लाविया के बीच विवाद था और क्या यह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को सौंपा गया था ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का निर्णय अब प्रकाशित हो चुका है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस निर्णय के फलस्वरूप भारत सरकार पर ऋण का कितना अतिरिक्त बोझ पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). नवम्बर, 1967 में पौण्ड स्टर्लिग के अवमूल्यन के बाद, ऋण और व्यापार तथा शोधन करारों में विनिमय रूपान्तर खण्ड के कानूनी अर्थ-निर्णय के सम्बन्ध में भारत सरकार और यूगोस्लाविया की सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गया था। दोनो सरकारें इस बात पर परस्पर सहमत हो गयीं कि इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से कानूनी सलाह ली जाय। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध निदेशक के परामर्श पर, इसका ठीक ठीक कानूनी अर्थ-निर्णय देने के लिए, दोनों सरकारों ने संयुक्त रूप से जेनेवा विधि विद्यालय (जेनेवा ला स्कूल) के डीन प्रो० पी० ए० लालिव को लिखा। प्रो० लालिव का मत दोनों सरकारों को अक्टूबर, 1971 में प्राप्त हुआ किन्तु इस मत को, जो हमारे अर्थ-निर्णय से मेल नहीं खाता, मानने के लिये कोई भी सरकार बाध्य नहीं हैं क्योंकि न तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और न ही प्रो० लालिव को इस मामले में मध्यस्थ बनने के लिये कहा गया था। अतः प्रो० लालिव के मत के परिणामस्वरूप किसी अतिरिक्त दायित्व का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। अब इस मामले को दोनों सरकारों के बीच बातचीत द्वारा तय किया जाना है। विदेश व्यापार मंत्रालय के उपमंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 28 फरवरी, से 4 मार्च, 1972 तक बेलग्रेड की यात्रा की और उसने अन्य बातों के साथ-साथ, इस मामले के सम्बन्ध में युगोस्लाविया सरकार से बातचीत की। अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा गया है। इस मामले पर इस वर्ष के अन्त में और आगे बातचीत की जायगी।

House rent Allowance to Central Government Employees

1125. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Executive Officers in the service of Central Government residing in Delhi are paid 25 per cent of their pay and the Clerks of various categories are paid only 15 per cent of their pay as House Rent ; and

(b) if so, the reasons for the difference ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). Under the existing general orders, no distinction is made between clerks and other categories in the matter of grant of house rent allowance. It is regulated with reference to pay levels. Accordingly clerks as well as others having their place of duty in Delhi are eligible for house rent allowance at 15 per cent of their pay (including Dearness Pay) subject to fulfilment of the prescribed conditions. Presumably by the term "Executive Officers", the Hon'ble Member has in mind certain categories of non-gazetted employees of the Central Intelligence Bureau, Central Bureau of Investigation and Delhi Police posted in Delhi. Such of these staff as are eligible for rent free accommodation but cannot be provided with such accommodation are allowed house rent allowances in lieu thereof to the extent of actual expenditure incurred by them on rented accommodation subject to a maximum of 25 per cent of pay provided that the other prescribed conditions are fulfilled. The above provision is related to the eligibility of the personnel to rent free accommodation, which is not the case in respect of persons covered by the general orders referred to above, and is based on the recommendations of the Delhi Police Commission.

Obtaining of House Rent Receipts from Central Government Employees

1126 **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Executive Officers who are paid 25 per cent of their pay as House Rent and whose pay is less than Rs. 620/- are asked to furnished receipts for the House Rent ;

(b) whether his Ministry has sent circulars to various Ministries to the effect that House Rent receipts may not be obtained from employees drawing less than Rs. 620/-as monthly pay ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to enforce the instructions referred to in (b) above ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Presumably, by the term "Executive Officers", the Hon'ble Member has in mind certain categories of non-gazetted employees of the Central Intelligence Bureau, Central Bureau of Investigation and Delhi Police posted in Delhi. Such of these staff as are eligible for rent free accommodation but cannot be provided with such accommodation are allowed house rent allowance in lieu thereof to the extent of actual expenditure incurred by them on rented accommodation subject to a maximum of 25 per cent of pay provided that the other prescribed conditions are fulfilled. It is only in cases where house rent allowance in excess of 15 per cent is claimed under this arrangement that house rent receipt is required to be produced by the personnel concerned.

(b) Under the existing orders Central Government employees drawing pay (including of dearness pay) up to Rs. 620/- are eligible to draw house rent allowance, subject to the prescribed conditions, without having to produce house rent receipts.

(c) According to the orders referred to in (b) above, the house rent allowance payable is 15 per cent of pay subject to certain limitations. For payment of allowance upto this limit, in the cases of the staff referred to in (a) above, rent receipts are not required to be produced. As the idea in increasing the quantum of house rent allowance in this case from 15 per cent to 25 per cent of their pay was to relate the grant of the allowance to the actual rental liability subject to a maximum of 25 per cent of pay, the production of house rent receipt, which is necessary for determining the actual rental liability, cannot be dispensed with.

आत्म निर्भरता

1127. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आत्म-निर्भरता' के नारे को कार्य रूप से परिणित करने हेतु कौन से ठोस उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ग). विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना और अन्ततः उसे पूर्णतः समाप्त कर देना देश की चौथी पंचवर्षीय आयोजना का एक मुख्य उद्देश्य है। पिछले दिसम्बर मास में लड़ाई छिड़ जाने के बाद हुई कुछ घटनाओं के संदर्भ में यह उद्देश्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को आन्तरिक साधनों को जुटाने, औद्योगिक और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने और

निर्यात के प्रयत्नों को जोरदार बनाने के लिये और भी अधिक सुदृढ़ प्रयास करने पड़े हैं। रुई और गैर परम्परागत तेलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने और स्थापित औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलम्बन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अध्ययन शुरू किये गये हैं ; राजस्व और आयात सम्बन्धी नीतियों को अधिकाधिक रूप से इस उद्देश्य की पूर्ति करने के अनुरूप ढाला जा रहा है।

(ख) सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिये संसद के प्रति पूर्णत: उत्तरदायी है इसलिये सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पालम हवाई अड्डे में राष्ट्र विरोधी तत्वों का आ जाना

1129. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों में कुछ व्यक्तियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण गत युद्ध के दौरान शत्रु पालम हवाई अड्डे में आ गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने अभियुक्तों को दण्ड देने हेतु कोई कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस द्वारा मद्रास में अधिकार में लिये गये जाली करैंसी नोट

1130. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा मद्रास में 100 रुपये के जाली करैंसी नोटों के मामले में हाल में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ जाली करैन्सी नोट अधिकार में लिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तारियों और अधिकार में लिये गये नोटों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कटक में जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय में प्रीमियम अदायगियों का समायोजन न किया जाना

1131. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक (उड़ीसा) में जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय में बहुत सा काम जमा हो गया है और जीवन बीमे की प्रीमियम की अदायगियों का समायोजन नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पुरस्कार देना

1132. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने 1968 से लेकर आज तक किसी आन्दोलन और हड़ताल में भाग न लेने वाले अपने कर्मचारियों का कोई 'रिकार्ड' रखा है और उनकी वफादारी के लिए उन्हें कुछ विशेष पुरस्कार दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी जोन के कितने कर्मचारियों को अब तक पुरस्कृत किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये तमिलनाडु में व्यय किया गया धन

1133. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तमिलनाडु में विकसित किए गये पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उनके विकास पर कितना धन व्यय किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). कन्या कुमारी और तिरुचिन्दूर में पर्यटन बंगलों का निर्माण किया गया है जिनकी लागत पर केन्द्रीय सरकार का अंश क्रमशः 1.85 लाख रुपये तथा 1.48 लाख रुपये रहा । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मद्रास में 5.70 लाख रुपये की लागत से एक परिवहन यूनिट स्थापित किया गया तथा निगम ने महाबली-पुरम में 17 लाख रुपये की लागत से यात्री-लॉज के विस्तार का काम भी अपने हाथ में लिया है ।

तमिलनाडु में स्वेच्छा से दिवालिया हुई कम्पनियां

1134. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तमिलनाडु में स्वेच्छा से दिवालिया हुई कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उन परिस्थितियों का कोई अध्ययन किया गया है कि यह ऐच्छिक दिवाला क्यों निकाला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तमिलनाडु में गत तीन वर्ष, अर्थात, 1969,

1970 व 1971 के मध्य, ऐच्छिक समापन में गई हुई कम्पनियों की बाबत सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1548/72**]

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

गैर सरकारी तेलशोधक कारखानों में शोधन क्षमता को कम करना

1135. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों ने अपनी इच्छानुसार अपनी शोधन क्षमता को कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस कारण हुई कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). कच्चे तेल का मूल्य डालर के रूप में दर्ज किया जाता है। डालर के अवमूल्यन के पश्चात् तत्काल ही, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ने तेल कम्पनियों को अवमूल्यन की सीमा तक कच्चे तेल के 'दर्जशुदा' मूल्यों में वृद्धि करने को कहा है। दीर्घकालिक वार्ता के पश्चात् पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों और तेल कम्पनियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत कच्चे तेल के 'दर्ज शुदा' मूल्यों में 8.49 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बर्माशैल, एस्सो और कालटैक्स की निजी परिष्करणशालाओं ने सूचित किया है कि उनके कच्चे तेल के प्रदायकों ने 26 जनवरी, 1971 से कच्चे तेल के मूल्यों में प्रति बैरल पर 11.6 सैन्ट्स से लेकर 11.7 सैन्ट्स तक वृद्धि की है क्योंकि यह धनराशि तेल उत्पादन करने वाले देशों से वसूल किये जाने वाले कर में वास्तविक वृद्धि को दर्शाती है। सरकार ने इस वृद्धि को स्वीकार नहीं किया है तथा वह इन तीन विदेशी तेल परिष्करण-शालाओं का पूर्व निर्धारित मूल्य के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रदान कर रही है। किन्तु ये तेल परिष्करणशालाएं अधिक मूल्य लेकर कच्चे तेल की कम मात्रा आयात कर रही हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उन्होंने अपनी शोधन क्षमताओं में लगभग 9 प्रतिशत की कमी कर दी है। पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में इस कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

आयकर अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति

1136. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की तदर्थ आधार पर हाल ही में भर्ती की है ;

(ख) क्या उन्हें निर्धारित नियमों के प्रतिकूल उनकी नियुक्ति के दिन से ही स्थाई कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में ऐसी अपवादात्मक कार्यवाही करने का क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न पैदा नहीं होते ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के आयात में कमी करना

1137. **श्री सी० चित्तिबाबू :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्माशैल, एस्सो, तथा कालटैक्स द्वारा लिये गये इस कथित निर्णय के परिणामस्वरूप, कि तेल का आयात लगभग 10 प्रतिशत कम कर दिया जाये । उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में हुई कमी आयात द्वारा पूरी की जा रही है ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को आवंटित राशियां

1138. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यवार कुल कितने धन का आवंटन किया गया ;

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान वास्तव में राज्यवार कितना धन दिया गया ; और

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितने धन का उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता । शायद माननीय सदस्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न राज्यों के औद्योगिक दृष्टि से अल्पविकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता का उल्लेख कर रहे हैं । संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और जहां तक उपलब्ध होगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियां

1139. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में 75 बड़े व्यापार गृहों की प्रदत्त पूंजी, कुल परिसम्पत्तियों,उत्पादन और सकल एवं शुद्ध लाभ कितना था ; और

(ख) वर्ष 1969-70, और 1970-71 में 75 बड़े व्यापार गृहों की कुल प्रदत्त पूंजी, परिसम्पत्तियों, उत्पादन और सकल एवं शुद्ध लाभ में प्रत्येक 20 उनसे बड़े व्यापार गृहों का कितना हिस्सा था ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में फर्मों और व्यक्तियों पर केन्द्रीय करों की बकाया राशि

1140. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन कम्पनियों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी आय एक करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित की गई है ;

(ख) इन प्रत्येक कम्पनियों और व्यक्तियों पर आयकर, निगम कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और उपहार कर की कुल कितनी राशि बकाया है जो आजतक वसूल नहीं की गई ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल I से V तथा कलकत्ता (केन्द्रीय) के अधिकार क्षेत्रों में उन कम्पनियों फर्मों तथा व्यक्तियों के बारे में अपेक्षित ब्यौरे, जिनके मामलों में 29-2-1972 को नवीनतम निर्धारित कुल आय एक करोड़ रुपये से ऊपर थी, एकत्रित किये जा रहे हैं और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दिये जाएंगे ।

युद्ध के दौरान पकड़े गए व्यापारी जहाजों के बारे में न्याय निर्णय करने के लिये एक सदस्यीय 'प्राइज कोर्ट्स' की स्थापना

1141. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के युद्ध के दौरान नौसेना द्वारा पकड़े गये व्यापारी जहाजों के बारे में न्यायनिर्णय करने हेतु तीन एक-सदस्यीय 'प्राइज कोर्टस्' स्थापित किये हैं ; और

(ख) ये कोर्ट कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हाल के युद्ध के दौरान नौसेना द्वारा पकड़े गए निषिद्ध व्यापारी जहाजों के न्याय निर्णय के लिए दो, एक सदस्य वाले प्राइज कोर्ट स्थापित किये गये हैं ।

(ख) न्यायालय कार्य कर रहे हैं ।

पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से पर्यटन उद्योग को हुई हानि

1142. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के फलस्वरूप पर्यटन उद्योग को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) दिसम्बर, 1971 से विदेशी पर्यटकों में कितनी कमी हुई है और उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष के कारण पर्यटन उद्योग को हुई हानि की कुल राशि बताना सम्भव नहीं है । तथापि, भारत आने वाले पर्यटकों में दिसम्बर, 1971 तथा जनवरी, 1972 में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में क्रमश: 12,059 (42.6%) तथा 5,262 (18.6%) की कमी हुई ।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में पर्यटन दुकानें खोलने की योजना

1143. **श्री बेकारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में पर्यटन दुकानें खोलने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या है और वहां क्या वस्तुएं बेची जाएंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में किसानों और दुकानदारों को दिये गये ऋण

1144. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों में राष्ट्रीयकरण से लेकर अब तक केरल राज्य में किसानों, दुकानदारों, निम्न-आय वर्ग के लोगों को, अलग-अलग, कितने ऋण दिये गये हैं ; और

(ख) उन ऋणों पर ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). बैंक, किसानों, को दिये गये ऋणों की राशि के अतिरिक्त, प्रश्न में विशेषरूप से पूछी गयी श्रेणियों के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखते । निम्नलिखित सारणी में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों तथा उन

से लिये गये ब्याज के स्थूल आंकड़े दिये गये हैं, इनमें केरल राज्य में दुकानदारों तथा कम आय वाले वर्गों को दिये गये ऋणों के आंकड़े भी शामिल हैं।

सारणी

(लाख रुपयों में)

श्रेणी	जून, 1969 के अन्त में		दिसम्बर, 1971 के अन्त में+		ब्याज की दर (वार्षिक प्रतिशत)
	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष	
किसानों को प्रत्यक्ष कृषिक वित्त	9429	269.99	54202	653.64	9 प्रतिशत से 10½ प्रतिशत
सड़क परिवहन चालक	155	22.64	558	56.16	10 प्रतिशत से 11 प्रतिशत
छोटे पैमाने के उद्योग	2552	1579.70	3797	3180.86	9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत
खुदरा व्यापार	1606	109.20	4164	209.30	10½ प्रतिशत से 11 प्रतिशत
छोटा व्यवसाय	462	2.25	2330	16.68	9½ प्रतिशत से 11 प्रतिशत
व्यावसायिक और आत्म नियोजित व्यक्ति	769	10.42	4442	51.56	8½ प्रतिशत से 11 प्रतिशत

+ अनन्तिम

केरल में छोटे कृषकों को ऋण देना

1145. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में ऐसे छोटे कृषकों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1971-72 में ऋण के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया को आवेदन पत्र दिया था, और कितने कृषकों को अब तक ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या छोटे कृषकों को ऋण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति को किस प्रकार सुधारने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). वांछित सूचना सम्भव सीमा तक एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र

1146. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, श्री एस० रंगानाथन के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व उनका त्यागपत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है और उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां, हालांकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल सामान्यतः 14 अगस्त 1972 को समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के दूसरे परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार 21 फरवरी, 1972 को राष्ट्रपति को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने 22 मार्च, 1972 अपराह्न से अपने पद से त्याग-पत्र देने की बात कही थी । सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ने उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है । यद्यपि राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में उन्होंने त्याग-पत्र देने का कोई कारण नहीं बताया था परन्तु उन्होंने सरकार को संकेत दिया था कि उनकी राय यह है कि यदि नया पदधारी अगस्त 1972 के मध्य की बजाय अब पद-धारण करेगा तो यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए, प्रशासनिक दृष्टि से, लाभदायक होगा ।

इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया की उड़ानों में धूम्रपान न किये जाने वाले सेक्शन बनाना

1147. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी विमान कम्पनियों ने अपनी बोइंग 747 जम्बो उड़ानों में धूम्रपान न किए जाने वाले सैक्शन बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की उड़ानों में धूम्रपान न किये जाने वाले सेक्शन बनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । कुछ एयरलाइनों, जैसे पान अमेरिकन एयरलाइन्स, ट्रांस वर्ल्ड एयर लाइन्स तथा एयर फ्रांस ने अपनी बोइंग 747 उड़ानों में धूम्रपान न करने वाले सेक्शन बनाए हैं ।

(ख) हमारी एयरलाइनों ने इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार किया है किन्तु धूम्रपान न करने वाले सेक्शनों को न बनाने का निर्णय किया है क्योंकि धूम्रपान न करने वालों के लिये सीटों को रूद्ध करने से राजस्व में काफी हानि हो सकती है ।

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

1148. **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1972 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्व बैंक भारत को विभिन्न परियोजनाओं के लिए सहायता देने को तैयार है परन्तु भारत सहायता के लिए अपनी परियोजनाएं उनको नहीं भेज रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) हमने विश्व बैंक के चालू वर्ष में बैंक से 6 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये हैं । इसके अलावा हमने छः परियोजनाओं के लिए 18.9 करोड़ डालर के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण करारों पर भी हस्ताक्षर किये हैं । इसके अलावा बैंक के निदेशकों ने तीन और परियोजनाओं के लिए 12.7 करोड़ डालर के और ऋणों के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से कई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किये गये हैं और उन पर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है । इसलिए भारत सरकार की ओर से, विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता के लिए अपनी परियोजनाएं न भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

औषधियों का लागत ढांचा

1149. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री औषधियों के लागत ढांचा के बारे में 29 मार्च, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सम्बन्ध में य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस उद्देश्य के लिए गठित कार्यकारी दल का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यकारी दल का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपुण्ज औषधियों के लागत ढांचे से सम्बन्धित रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और इसके शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डाके, लूट और धोखा-धड़ी के मामले

1150. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **वित्त** मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों में डाके, लूट और धोखा-धड़ी के मामलों के बारे में 25 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है और यदि हां, तो उसे कब तक सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1549/72]**

कलकत्ता में पर्यटक यातायात

1151. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता में पर्यटक यातायात बढ़ गया है और क्या इसमें और वृद्धि की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस यातायात में और वृद्धि के बारे में सरकार की कोई ठोस योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटकीय आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किये जाते हैं, स्थान-वार नहीं। अतः कलकत्ता के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग). कलकत्ता सहित पर्यटक रुचि के सभी स्थानों के लिये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये लगातार प्रचार-कार्य किया जाता है। परन्तु ऐसे संकेत हैं कि कलकत्ता के लिये अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में वृद्धि होगी।

उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1152. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन तथा इनकी मांग कितनी है ;

(ख) उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) उर्वरकों के उत्पादन में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के लिये अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्रों (1,2,3 और 4) में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1550/72]**

(ख) देशीय उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :

(i) वर्तमान यूनिटों की क्षमता का अधिकतम उपयोग

(ii) नये उर्वरक सन्यन्त्रों की स्थापना द्वारा अतिरिक्त क्षमता का सृजन

(iii) जहां सम्भव हो, कार्य कर रहे यूनिटों का विस्तार करना

(ग) उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर यह आशा है कि देश 1976-77 तक उर्वरकों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा ।

पेंशनभोगियों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयां

1153. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों ने अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की है परन्तु पेंशन भोगियों के लिए, जिसमें से बहुतों को कोई मंहगाई भत्ता नहीं मिलता, अभी तक कुछ नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार पेंशन भोगियों की कठिनाइयों से परिचित है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि की है और उन्हें अन्तरिम राहत भी मंजूर की है । राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किये गये मंहगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । केन्द्रीय सरकार के पेंशनर मंहगाई भत्ता अथवा अन्तरिम राहत पाने के हकदार नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) . अल्प पेंशन पाने वालों को पेंशनों में तदर्थ वृद्धि की मंजूरी द्वारा कुछ राहत पहले ही दी गयी है । इस प्रकार की सबसे बाद की वृद्धि सितम्बर, 1969 में मंजूर की गयी थी । सेवारत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ देने के मामले में वेतन आयोग की सामान्य सिफारिशों के प्रकाश में पेंशनरों को राहत मंजूर करने के प्रश्न पर यथा समय विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है ।

Expenditure on Republic Day Celebrations

1154. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by Government on Republic Day celebrations in 1972 ; and

(b) whether the expenditure incurred this year is much more than that incurred during the last three years ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). The expenditure incurred by the Central Government (except the Fly Past) on the Republic Day celebrations in Delhi from

1969 to 1971 was approximately Rs. 16,60,000/-, Rs. 17,12,000/- and Rs. 20,17,000/- respectively. Accounts for the Republic Day celebrations 1972 have not yet been finalised and a statement showing the expenditure incurred by the Central Government on this year's celebrations will be laid on the Table of the House after the accounts have been finalised.

Assistance received from Abroad

1155. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of total assistance in Dollars received by India from foreign countries during the financial years 1970-71 and 1971-72 ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : Agreements have been signed for assistance from foreign countries to the extent of $1001.37 million in 1970-71 and $1204.74 million in 1971-72 so far.

रिजर्व सैनिकों को पेंशन

1156. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिजर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). जी हां । ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए बस्तियां

1157. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये विभिन्न राज्यों में बस्तियां बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अगले वर्ष में इस प्रकार की कितनी बस्तियां कहां कहां पर स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) उक्त बस्तियों के लिये स्थान को चुनने की कसौटी क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). रक्षा कार्मिकों के लिए जलंधर, शिमला तथा पंचकुला (हरियाणा) में बस्तियां स्थापित करने की योजना है । ऐसी बस्तियां बंगलौर, सिकन्द्राबाद, गोवा, पूना, चुरू (राजस्थान) तथा हिसार में स्थापित की जा चुकी हैं । ऐसी बस्तियों की स्थापना स्थानीय प्रयासों तथा राज्य सरकारों की सहायता पर निर्भर है ।

बिहार में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये दिया गया ऋण

1158. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने बिहार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु गत तीन वर्षों में कुल कितना ऋण दिया है ; और

(ख) बिहार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). पिछले तीन वित्तीय वर्षों 1969-70, 1970-71 और 1971-72 (29-2-1972 तक) के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को योजना आयोग द्वारा बताये गये, बिहार राज्य के औद्योगिक रूप से अल्प-विकसित जिलों में स्थित प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहायता के लिये दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। वे हैं :– (i) मैसर्स पूर्णिया कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, पूर्णिया से 25 लाख रुपये के एक अतिरिक्त ऋण के लिये जो मंजूर कर दिया गया है और (ii) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड से 100 लाख रुपये के एक अतिरिक्त ऋण के लिये, जिस पर निगम द्वारा कावर्राई की जा रही है। इसी अवधि में, निगम ने, मैसर्स पुर्णिया कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड को उसे पहले से मंजूर ऋण में से 20 लाख रुपये दिये भी हैं ।

मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं के समाहार और वितरण के लिये एक स्वायत्तशासी निगम की स्थापना

1159. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने के विचार से कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के खरीदने और उन्हें उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वितरित करने के लिये एक स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी वस्तुओं का चयन कर लिया गया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसे कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). सरकार मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिये बराबर प्रयत्नशील रहती है। मुख्य अनाजों और चीनी के वितरण के लिये उचित दर की राशन की दुकानों का पहले ही जाल बिछा हुआ है। सरकारी वितरण प्रणाली के दायरे को विस्तृत करने तथा इस सम्बन्ध में उचित कार्यचालन-व्यवस्था की योजना बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्रामीण ऋण सेवा योजनाएं

1160. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह परामर्श दिया है कि देश में किसानों को समेकित कृषि ऋण सेवा की व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण ऋण सेवा योजनाएं प्रारम्भ की जाएं ;

(ख) यदि हां, तो बैंकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस योजना से किसानों को कितना लाभ होगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

डाबका (बड़ौदा) में तेल मिलना

1161. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ौदा के निकट डाबका स्थान पर उच्च श्रेणी के तेल के मिलने के बारे में "इंडियन एक्सप्रेस", दिनांक 20 फरवरी, 1972 में प्रकाशित समाचार देखें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितना तेल मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) उस स्थान पर कब तक कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में कुछ और कुएं खोदे जाने और इनके परीक्षण के बाद ही भंडारों का अनुमान लगाया जा सकेगा ।

इस विशेष कुएं के सतत उत्पादन परीक्षण के तीन महीनों के भीतर शुरू हो जाने की सम्भावना है । भूमि के अर्जन तथा व्यधन-स्थलों एवं प्रवेश सड़कों के निर्माण आदि कुछ अत्यावश्यक प्रारम्भिक कदम उठाये जाने के पश्चात् इस क्षेत्र में अतिरिक्त कुओं के व्यधन कार्य के, वर्षा ऋतु के अन्त में शुरू किये जाने की आशा है ।

जोराजन (आसाम) में तेल तथा गैस का पाया जाना

1162. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयल इंडिया द्वारा आसाम के जोराजन में खुदाई करते समय तेल तथा गैस पायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इन भंडारों में अनुमानतः कितना तेल तथा गैस मिलने की संभावना है ; और

(ग) तेल तथा गैस निकालने का कार्य कब से आरम्भ होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) परीक्षणों के पूर्ण होने तथा कुछ और कुंओं के व्यधन के पश्चात् ही तेल एवं गैस संचयों का विश्वासनीय अनुमान लगाना संभव होगा ।

(ग) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किये गए परीक्षणों से प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ।

वर्ष 1971 के दौरान स्थापित किये गये उर्वरक संयंत्र

1163. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1971 वर्ष के दौरान अनेक उर्वरक संयंत्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां-कहां पर स्थापित किए गए हैं और उनकी क्षमता क्या-क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने 1972 में वर्तमान संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). वर्ष 1971 में दो संयंत्रों ने उत्पादन आरम्भ किया और इसके अतिरिक्त कई प्रायोजना निर्माण के विभिन्न चरणों में थी ; जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

कम्पनी का नाम	स्थान	क्षमता (.000 मीटरी टनों में) नाइट्रोजन	$पी_2 ओ_5$
1. संयंत्र, जिनका निर्माण कार्य पूरा किया गया और जिनमें उत्पादन प्रारम्भ हुआ			
1. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मनाली तामिलनाडु	164	85
2. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	अल्वाय, (विस्तार का चौथा चरण), केरल	22	10×
2. नई प्रायोजनाएं जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया			
1. भारतीय उर्वरक निगम लि०	दुर्गापुर	152	—
	बरौनी	152	—
	नाम रूप विस्तार	152	—
	सिन्द्री का आधुनिकीकरण	—	156
	तालचर, उड़ीसा	229	—
	रामा गुण्डम, आन्ध्र प्रदेश	229	—

×$पी_2 ओ_5$ का उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

2. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	कोचीन फेज—1	152	—
	चौथा चरण (एफ० ए० सी० टी०)	—	10
3. जुआरी एग्रो-इण्डस्ट्रीज	गोआ	175	42
4. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआप्रेटिव लिमिटेड	कलोल कांडला गुजरात	215	127

(ग) सरकार वर्तमान उर्वरक कारखानों के उत्पादन कार्य का निरन्तर पुनरीक्षण कर रही है तथा वह, उत्पादन में प्रस्तुत होने वाली निम्नलिखित विभिन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए दबाव डालती रही है :—

(i) परिचालन एवं देख-रेख सम्बन्धी समस्याएं

(ii) डिजायन में त्रुटियां

(iii) बिजली में खराबियां/वोल्टेज में त्रुटियां ;

सरकार औद्योगिक सुव्यवस्था को भी बनाये रखने के लिए अनुरोध करती रही है। जहां कहीं आवश्यक है विशेष रूप से श्रमिक परिस्थितियों, बिजली की सप्लाई आदि मामलों में राज्यों का सहयोग तथा सहायता ली जाती है।

बर्मा शैल द्वारा एक भारतीय को मुख्य प्रबन्धक के रूप में नियुक्त करना

1164. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बर्मा शैल ने भारत में मुख्य प्रबन्धक के रूप में एक भारतीय को नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत स्थित अन्य विदेशी तेल कम्पनियों को अपने मुख्य प्रबन्धक के रूप में भारतीयों को नियुक्त करने के लिए कहने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम ओर रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). जी हां ! बर्मा-शैल के इस आशय की, कि वे इस वर्ष के मई मास तक मुख्य पदों के भारतीय करण सम्बन्धी कार्य को पूरा कर लेंगे, सूचना प्राप्त होने पर एस्सो तथा काल्टैक्स को इस बारे में अपनी योजना/प्रस्ताव बताने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि में वृद्धि और नई शाखाओं का खोला जाना

1165. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक की जमा राशि में जुलाई, 1969 से कुल कितनी वृद्धि हुई तथा उन्होंने बैंक-रहित क्षेत्रों में कितनी नई शाखाएं खोलीं और प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कितना ऋण दिया ; और

(ख) भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों ने इस अवधि में लाभ, लाभांश और वेतन के रूप में कुल कितना धन विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशों को भेजा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जितनी विस्तृत सूचना माननीय सदस्य ने मांगी है, उपलब्ध नहीं है। वांछित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

जम्मू और काश्मीर में सीमाओं की रक्षा

1166. **श्री वी० मायावन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के लिए तथा-कथित संघर्ष को प्रकट रूप से दिये गये समर्थन को देखते हुए सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार का राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार के हाथ सुदृढ़ करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गतिविधियों पर विचार किया गया है तथा सरकार के द्वारा जम्मू तथा कश्मीर की सीमाओं की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार को राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब प्रकार की सहायता दी गई है।

सैनिक स्कूलों में दाखिला

1167. **श्री वी० मायावन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों में, जहां तक विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है, दाखिला देने के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है ; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लड़कों को गत तीन वर्षों में सैनिक स्कूलों में दाखिला दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूलों में प्रवेश अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। प्रत्येक स्कूल में 67 प्रतिशत रिक्त स्थानों को उस राज्य केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र जो स्कूल का प्रबन्ध करता है के द्वारा भरा जाता है। किसी भी कमी को अन्य राज्यों/क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रवेश देकर पूरा किया जाता है। 33 प्रतिशत रिक्त स्थानों को रक्षा सेवा कार्मिकों के बच्चों के द्वारा भरा जाता है ; अधिकांश उसी राज्य/क्षेत्र जिसमें स्कूल स्थित होता है, के होते हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायगा।

Facilities to Victims of Wars of 1962 and 1965

1168. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether the facilities provided by Government to the families of Jawans killed or disabled during the last Indo-Pak. conflict will also be extended to the families of those Jawans killed or disabled during the preceding two conflicts?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Yes Sir, except education concessions to the children of those killed/disabled in action. This is under consideration.

भारत स्थित विदेशी पूंजी निवेशकों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा निश्चित करना

1169. **श्री पी० के० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली राशि की कोई सीमा निश्चित करने का है जिससे कि ऋणों को चुकाने में सहायता मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में लगायी गयी पूंजी से अर्जित लाभों या लाभांशों को भारत से बाहर भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

1170. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में 20 कम्पनियों का अध्यक्ष/निदेशक रह सकता है ;

(ख) क्या इस उपबन्ध में संशोधन करने के लिए सरकार का कोई कानून बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आशय के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और इस मामले में कब और अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 इस मामले में नियंत्रण करती है।

(ख) तथा (ग). कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 को संशोधित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

देश की रक्षा के सम्बन्ध में रक्षा सेनाओं की क्षमता का निर्धारण

1171. **श्री राम सहाय पान्डे :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही के भारत-पाक युद्ध के बाद देश की रक्षा सेनाओं, विशेषकर वायु सेना और नौसेना की, देश की रक्षा करने की क्षमता का पुनः मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिये क्या वायु सेना और नौसेना को और अधिक मजबूत बनाने के कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). हाल के भारत-पाक युद्ध के बाद हमारी सब रक्षा सेनाओं की क्षमता का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है। जहां भी कोई कमी ध्यान में आई है उसे पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

रक्षा सेनाओं के लिए आधुनिक शस्त्रों की आवश्यकता

1172. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान के पास अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा दिये गये अधिक अच्छे शस्त्र पाये गये थे ;

(ख) क्या भविष्य में किसी विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए देश की रक्षा सेनाओं के लिये उतने ही आधुनिक शस्त्र जुटाने या बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रक्षा सेनाओं को आधुनिक शस्त्रों से लैस करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). सेना को आधुनिक हथियारों से सज्जित करने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे शस्त्रास्त्रों की मांग को स्वदेश में निर्मित करके तथा आयात करके दोनों प्रकार से पूरा किया जाता है।

कलकत्ता से कूच बिहार तक छोटे मार्ग द्वारा दैनिक विमान सेवा

1173. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कलकत्ता-बिहार-कलकत्ता मार्ग के विमान यातायात का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार कूच-बिहार तक, छोटे से छोटे मार्ग द्वारा, दैनिक विमान सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर विमान-किराये में कमी करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा यातायात का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और अधिक एच० एस०–748 विमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप अपने विमान बेड़े की स्थिति सुधर जाने पर इंडियन एयरलाइन्स इस विषय पर विचार करेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

दार्जिलिंग को लोकप्रिय बनाने के लिये योजना

1174. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार दार्जिलिंग को पर्यटक की दृष्टि से लोकप्रिय बनाने के लिये दार्जिलिंग और निकटस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञों को भेजने का है ; और

(ख) दार्जिलिंग को महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) पर्यटकों के प्रयोग के लिये 2 मिनि बसों तथा 2 जीपों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त दार्जिलिंग में एक युवा होस्टल के निर्माण तथा पर्यटक लॉज में 10 अतिरिक्त कमरों को जोड़ने का प्रस्ताव है ।

पर्यटन विभाग द्वारा दार्जिलिंग का पर्यटक आकर्षण के रूप में पर्याप्त प्रचार भी किया जा रहा है ।

दार्जिलिंग में पन्द्रह दिवसीय पर्यटन मेला आयोजित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों को धनराशि का भुगतान

1175. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दार्जिलिंग में पन्द्रह दिवसीय पर्यटन मेला आयोजित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों को स्वीकृत धन-राशि का भुगतान कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस मेले के लिये पर्यटन विभाग द्वारा कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं ली गयी है । किन्तु यह समझा जाता है कि राज्य सरकार ने कुछ अदायगियां की हैं ।

कूच बिहार हवाई अड्डे के विकास की योजना

1176. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार हवाई अड्डे का विकास करने के लिये उनके मंत्रालय की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

India's Contribution to Asian Development Bank

1177. **Dr. Sankata Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to increase their contribution to the Asian Development Bank; and

(b) if so, the extent thereof?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The Government of India have supported a proposal for a 150% increase in the Capital Stock of the Bank. Of this only 20% will be paid up and the balance will remain callable. On this basis India's share will be Rs. 20.925 crores (Rs. 8.37 crores in convertible currency and Rs. 12.555 crores in Rupees) which will become payable over a period of 3 years. It is necessary to inform the Asian Development Bank of India's contribution only by September, 1972.

तेल संसाधनों की खोज और विकास के लिए नाइजीरिया को तकनीकी सहायता

1178. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नाइजीरिया के तेल संसाधनों की खोज और विकास के लिये उसे तकनीकी सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय की रूप रेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). फरवरी, 1972 में नाइजीरिया के प्रतिनिधिमण्डल के भारत के दौरे के दौरान, इस विषय पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श हुआ था परन्तु अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं निकले हैं ।

आयकर की बकाया राशि

1179. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, आयकर की बकाया राशि कितनी थी ; और

(ख) उक्त अवधि में कितना आयकर वसूल किया गया और इस आयकर की वसूली करने पर कितनी धन राशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अन्त में आयकर की शुद्ध बकाया रकम इस प्रकार थी :—

वित्तीय वर्ष	**वसूली के लिए बकाया कर** (आंकड़े, करोड़ रु० में)
1968-69	435.49
1969-70	507.91
1970-71	499.68

(ख) इन वर्षों के दौरान आयकर और निगम कर की कुल राजस्व वसूली निम्नानुसार थी :-

वित्तीय वर्ष	**कुल बजट वसूली** (आंकड़े, करोड़ रु० में)
1968-69	678.24
1969-70	801.48
1970-71	839.64

आय-कर की वसूली में हुए खर्च के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, इन तीन वर्षों के दौरान सभी प्रत्यक्ष करों की वसूली पर हुआ कुल खर्च इस प्रकार था :—

वित्तीय वर्ष	**खर्च** (आंकड़े, करोड़ रु० में)
1968-69	13.67
1969-70	16.16
1970-71	19.44

आयकर का अपवंचन

1180. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में अनुमानत: कितने आयकर का अपवंचन हुआ ;

(ख) 1970-71 में कितना आयकर बकाया था ;

(ग) 1970-71 से ऐसे कितने मामले पड़े जिनमें आयकर का निर्धारण नहीं किया गया ; और

(घ) एक विशिष्ट वर्ष में आयकर का निर्धारण उसी वर्ष में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि काले धन का भारी मात्रा में परिचलन है, लेकिन इसकी सही-सही मात्रा बताना कठिन है। विभिन्न व्यक्तियों और समितियों ने इस प्रश्न की जांच की है लेकिन उन्होंने काले धन की मात्रा के बारे में भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये हैं।

(ख) वर्ष 1970-71 के आखीर में आयकर की शुद्ध बकाया 499.68 करोड़ रुपये थी।

(ग) वर्ष 1970-71 के आखीर में अनिर्णित पड़े आयकर निर्धारणों की संख्या 12,38,823 थी।

(घ) कर-निर्धारणों को पूरा करने की समय-सीमा को उस कर-निर्धारण वर्ष के आखीर से, जिसमें आय प्रथम बार कर-निर्धारण योग्य हुई चार वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। यह उपबंध उन मामलों में लागू होगा जिनमें ऐसा कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 अथवा उसके बाद का हो। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 1971 से, संक्षिप्त कर-निर्धारण कार्यविधि लागू होने के कारण, कर-निर्धारणों की एक बड़ी संख्या, कर-निर्धारितियों को बुलाए बगैर, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों के आधार पर निपटायी जा रही है।

गौहाटी-बरौनी पाइप लाइन पर अधिक पम्प और उपकरण लगाना

1181. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोधित तेल के आयात को, जिसके वर्ष 1973-74 से 270 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के होने की संभावना है, कम करने के लिए आयल इंडिया की गौहाटी-बरौनी पाइप लाइन पर अधिक पम्प तथा अन्य उपकरण लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : असम क्षेत्र से 950 मीटरी टन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अशोधित तेल को ऊपर ले जाने के सम्बन्ध में मैसर्स आयल इंडिया लि० ने मार्च, 1971 में अपने अशोधित तेल के पाइपलाइन के मोरेन पम्पिंग स्टेशन पर बड़े निमज्जकों की प्रति स्थापना की है। मैसर्स आयल इंडिया लिमिटेड के पाइपलाइन की क्षमता के और विस्तार के प्रस्ताव पर, विशेषतया बरौनी-गौहाटी क्षेत्र में; प्रस्तावित बोंगेगांव परिष्करणशाला के लिए कच्चे तेल की आवश्यकताओं, आगामी वर्षों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० क्षेत्रों में सामान्य तेल भंडारों तथा सम्बन्धित घटकों को ध्यान में रखकर, निर्णय किया जायेगा।

बंगला देश के शरणार्थियों की सहायतार्थ लगाये गये कर

1182. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों की सहायतार्थ लगाए गए विभिन्न कर लागू रहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने समय तक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). अभी ऐसा लगता है कि वित्तीय वर्ष 1972-73 में ये कर चालू रहेंगे ।

कोवलम-तट विश्रामस्थल परियोजना के लिये परियोजना प्रशासन की स्थापना

1183. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोवलम-तट विश्रामस्थल परियोजना के लिये परियोजना प्रशासन की स्थापना की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). कोवालम में निर्माण कार्य की देख-रेख करने के लिये एक प्रायोजना अभियंता की नियुक्ति की गयी है । प्रायोजना प्रशासन के पद को विज्ञापित कर दिया गया है ।

आयुध कारखानों में औद्योगिक कर्मचारियों की पदोन्नति

1184. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में गत दस या इससे अधिक वर्षों से अपने वेतन-क्रमों में अधिकतम वेतन पा रहे औद्योगिक कर्मचारियों को पदोन्नति देने के बारे में औद्योगिक परिषद् के 1971 में लिए गए निर्णय को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). 10 फरवरी 1972 को डाइरेक्टर जनरल आर्डनेंस फैक्टरीज ने अनुदेश जारी कर दिए हैं कि औद्योगिक स्थापनाओं के विभिन्न ग्रेडों में रुके पड़े कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार किया जाय । उसमें यह कहा गया है कि दैनिक कार्मिकों को शिल्प परीक्षा के उपरान्त पदोन्नत किया जा सकता है, किन्तु उजरती कारीगरों को केवल तभी पदोन्नत किया जाए बशर्ते कि पदोन्नत से उत्पादन मूल्य में वृद्धि न होती हो । जिन कार्मिकों को 10 वर्षों से अधिक समय से तरक्की रुकी पड़ी है, उनके मामलों पर अविलम्ब विचार किया जाय ।

बम्बई के सामान्य बीमा कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

1185. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सामान्य बीमा कर्मचारियों ने वेतन के मानकीकरण और सेवा की शर्तों सम्बन्धी लम्बी अवधि से अस्वीकृत मांगों के समर्थन में फरवरी 1972 में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित चार क्षेत्रीय निगमों के स्थान पर एक निगम के गठन की मांग भी की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) वेतनों तथा सेवा की शर्तों के मानकीकरण में समय लगेगा क्योंकि यह विविध बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद तथा सभी संगत कारणों तथा आशयों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही किया जा सकता है ।

जहां तक एक अथवा एक से अधिक निगमों के गठन का सम्बन्ध है, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

कानपुर में नये हवाई अड्डे का निर्माण

1186. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में नया हवाई अड्डा बनाने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु सेना के प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए नागर विमानन विभाग को भूमि देने के लिए सहमत हो गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : **(डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डा पर एक सिविल एनक्लेव का निर्माण पहले ही विचाराधीन हैं । एक स्थल का चयन किया जा चुका है तथा आगे की कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी ।

कानपुर से बम्बई तक विमान सेवा

1187. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के कई संगठनों ने कानपुर से बम्बई तक विमान सेवा आरम्भ किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) संभावित यातायात के परिमाण को दृष्टि में रखते हुए फिलहाल ऐसी किसी सेवा का औचित्य सिद्ध नहीं होता ।

पाक सैनिक विमान का जबरदस्ती भारत लाया जाना

1188. **श्री भोला मांझी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा पाक सैनिक विमान का अपहरण किया गया और यह विमान भारत में उतारा गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का मुख्य ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). एक पाकिस्तानी टोह विमान ने होशियार पुर जिला में मैली तथा सरंगवाल ग्रामों के निकट जबरन अवतरण किया था । वायुयान में 2 लेफ्टिनैंट हुमायूं रज़ा, एक बंगाली पाक अफसर थे तथा अन्य पाक अफसर मेजर कासिम का मृत शरीर था । लेफ्टिनेंट रज़ा को पुलिस हिरासत में लिया गया था, मेजर कासिम के मृत शरीर को 7-1-1972 को पाकिस्तान प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था ।

ऋणों पर ब्याज की अलग-अलग दरें

1189. **श्री भोला मांझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न वर्गों के लोगों को ब्याज की अलग-अलग दरों पर ऋण देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). भिन्न भिन्न ब्याज दरों के संबंध में सरकार की नीति की रूपरेखा देते हुए एक विवरण मैं शीघ्र ही सभा-पटल पर रखने का विचार कर रहा हूं ।

केन्द्रीय करों की वसूली

1190. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितनी राशि के प्रत्यक्ष करों की वसूली हुई है और बजट अनुमानों की तुलना में यह राशि कितनी कम या अधिक है ;

(ख) इस वर्ष की कुल मांग का यह कितने प्रतिशत है ; और

(ग) कुल मांग में से कितनी राशि अगले वर्ष के लिए बकाया रह जायेगी और इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) फरवरी 1971 के अन्त तक प्रत्यक्ष करों की वसूली और वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिए स्वीकृत बजट आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	आय कर और निगम कर	धन कर	दान-कर	सम्पाद शुल्क
फरवरी 1972 के अंत तक हुई वसूली	755.67	20.06	2.81	6.73
स्वीकृत बजट	902.00	30.00	2.00	7.00

(ख) 1-4-1971 से 31-12-1971 तक जारी की गयी कुल मांग और उसमें से हुई वसूली के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

	जारी की गयी मांग	वसूली	प्रतिशत
आय कर और निगम कर	491.37	355.67	72.40
धन-कर	10.11	4.90	48.47
दान-कर	1.99	0.65	32.66
सम्पदा शुल्क	3.77	1.06	28.12

(ग) चूंकि चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस समय यह हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि अगले वर्ष के लिए कितनी रकम बकाया रह जाएगी।

केन्द्रीय करों की बकाया राशि

1191. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष के आरम्भ में प्रत्यक्ष-कर की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) वर्ष के दौरान इसमें से कितनी राशि वसूल की गई ;

(ग) कितनी धन राशि को बट्टे-खाते डालने का विचार है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या वर्ष प्रतिवर्ष बकाया करों की राशि के बढ़ने को रोकने के लिए कोई तरीका खोजा जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). 1-4-1971 को प्रत्यक्ष-करों की बकाया रकम और उसमें से 31-12-1971 तक वसूल रकम इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1-4-1971 को बकाया	31-12-1971 तक वसूल रकम
आय कर	499.68 (शुद्ध)	75.33
धन-कर	12.27	2.25
दान-कर	2.47	0.51
व्यय-कर	0.16	0.0034
सम्पदा-कर	14.44	1.31

(ग) वसूल न हो सकने योग्य करों की बकाया को आमतौर पर निम्नलिखित परिस्थियियों में बट्टे-खाते डाला जाता है :—

(i) निर्धारितियों की मृत्यु हो गई है और वे अपने पीछे कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ गये हैं।

(ii) निर्धारिती कम्पनियों का परिसमापन हो गया है।

(iii) निर्धारिती दीवालिया हो गये हैं ।

(iv) निर्धारिती लापता हैं ।

(v) निर्धारिती भारत छोड़ कर चले गये हैं और भारत में कोई सम्पत्ति नहीं है ।

(vi) ऐसे निर्धारिती जो जीवित हैं किन्तु उनकी अभिग्रहण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है ।

(vii) निर्धारितियों के साथ समझौते के परिणामतः बट्टे-खाते डाली गई रकम ।

(viii) ऐसी मांग जो परवर्ती सूचना के आधार पर देय नहीं पायी गई—जैसे, दोहरी मागें, गलती से जारी मांग, संरक्षणात्मक मांगें, आदि ।

(ix) साम्य के आधार पर अथवा जहां वसूली के लिए कानूनी उपाय करने में अन्तर्ग्रस्त समय, श्रम और व्यय, वसूल रकम के अनुरूप नहीं समझा जाता वहां बट्टे-खाते डाली गई रकम ।

किसी भी मामले को बट्टे-खाते डालने का विचार तभी किया जाता है जबकि वसूली के लिए सभी उपाय निष्फल हो जायं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए बट्टे-खाते डाली जाने वाली किसी रकम को निर्दिष्ट करना संभव नहीं है ।

(घ) करों की बकाया में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये हैं :—

(i) वर्ष 1961 के पूर्व बकाया कर की वसूली का कार्य राज्य के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता था, जो राजस्व की वसूली में प्रायः पर्याप्त दिलचस्पी नहीं दिखा पाते थे । इसलिये, 1961 के अधिनियम में एक स्वयं पूर्ण राजस्व संहिता समाविष्ट की गई जिसमें कर-वसूली अधिकारियों की व्यवस्था की गई, जो विभागीय अधिकारियों ने आयकर-आयुक्तों के सभी अधिकार क्षेत्रों में कर-वसूली का कार्य पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले लिया है ।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना लागू करना, जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारयों का विशिष्ट कर्तव्य बना दिया गया है ।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी के लिए विशेष प्राप्ति काउंटर खोलना ।

(iv) ऐसे निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है ।

(v) पूरे देश में बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं । इस अवधि में, अनिर्णीत समायोजनायें । भूल सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेश को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है ।

(vi) कलकत्ता, केरल, दिल्ली, नागपुर तथा हैदराबाद में हाल ही में पांच कर-वसूली आयुक्त तैनात किये गये हैं। कर वसूली अधिकारियों पर प्रशासनिक अधिकार रखने के अतिरिक्त, उन्हें 1 जनवरी, 1972 से विभागीय कर-वसूली अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दायर की गई अपीलों की सुनवाई का अपीलीय अधिकार भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अपर आयकर-आयुक्तों को अनन्य रूप से वसूली का कार्य सौंप दिया गया है।

(vii) बकाया मांगों के निपटान के कार्य के लिये सरकार ने पिछले वर्ष आयकर अधिकारी (वसूली) के 60 पदों की मंजूरी दी थी।

(viii) कर-निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा घटा कर करनिर्धारण वर्ष के अन्त से दो वर्ष कर दी गई है।

(ix) वांचू समिति ने कई सिफारिशें की हैं जो विचाराधीन है।

मीठापुर में टाटा उर्वरक परियोजना

1192. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों और अमोनिया के उत्पादन के लिए टाटा की मीठापुर परियोजना को अन्तिम रूप से अनुमति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भुज के निकट तेल छिद्रण कार्य

1193. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज के निकट छिद्रण कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भुज के निकट तेल की खोज का छिद्रण कार्य बहुत महंगा पड़ रहा है ; और

(ग) परियोजना पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है और इस कुएं से निकाला गया तेल कहां तक उपयोगी होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा उत्पादन में आयात प्रतिस्थापन

1194. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सेनाओं के लिए आवश्यक साज-सामान, शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद के उत्पादन में आयात प्रतिस्थान की गति तेज करने के लिए कोई नया अभियान आरम्भ करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सभी प्रकार के शस्त्रास्त्र देश में ही बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां,

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

हमने छोटे शस्त्रास्त्र तथा हल्के आर्टीलरी शस्त्रों और उनके गोलाबारूद मे समुचित आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है जिससे उस परास के रूढ़िगत शस्त्रों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है और उसके लिए क्षमता स्थापित की जा रही है । हम अभी भी विदेशी स्रोतों पर विशेष प्रकार के अलोह धातुओं तथा विशेष इस्पात के लिए निर्भर करते हैं ।

2. आर्डनेंस कारखाने अब सैल्फ लौडिंग इशापुर राइफलों, लाइट तथा मिडियम मशीन गनों तथा मार्टर, एंटीएयरक्राफ्ट तथा एंटी टैंक गनों और मिडियम आर्टीलरी के साथ बड़े परास के गोला बारूद का उत्पादन करने लगे हैं ।

3. कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिन्हें अभी हाल में सरकार ने अनुमोदित किया है, निम्नलिखित हैं :–

(क) द्वितीय विश्व युद्ध की 25 पी० डी० आर० गन के स्थान पर इंडियन फील्ड गन का स्वदेशी निर्माण ।

(ख) 9 एम एम सैल्फ लौडिंग पिस्तौल की बहुमुखी क्षमता के साथ सेनाओं के लिए तथा .32 पिस्तौल को सिविल प्रयोग के लिए स्वदेश में निर्मित करना ।

(ग) आयात किए गए उपस्करों के लिए स्वदेश के आर्डनेंस कारखानों में गोलाबारूद निर्मित करने की परियोजना ।

(घ) इन्फेंटरी तथा टैंकों के लिए आवश्यक नई एम एम जी को स्वदेश में निर्मित करना ।

(ङ) आर्डनेंस कारखानों के लिए आवश्यक सब प्रकार के उच्च विशिष्टियों वाले विशेष इस्पात की व्यवस्था करने के लिए विशेष इस्पात संयंत्र ।

गत समय में उच्च विशिष्टियों के कारण तथा सीमित मात्रा में मांग होने के कारण इसको विदेशों से आयात किया जाता था । आगमी 4/5 वर्षों में विशेष इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर आर्डनेंस कारखाने इस महत्वपूर्ण कच्चे माल में आत्म निर्भर हो जाएंगे ।

(च) प्रणोदकों का आधुनिकतम प्रक्रिया के साथ उच्च व्यास तथा जटिल और नाजुक प्रकार के शस्त्रास्त्रों और गोलाबारूद का निर्माण ।

4. भारी संख्या में शस्त्रास्त्रों तथा गोलाबारूद के अघातक भाग की व्यावसायिक फर्मों में विकसित तथा उत्पादित किया जा रहा है । इनमें विभिन्न प्रकार के बमों के ढांचे तथा फ्यूज प्रमुख हैं ।

भारतीय जहाजों के लिये स्वीडन से प्राप्त अनुरोध

1195. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीडन द्वारा अपने लिए जहाजों के निर्माण हेतु भारत से किये गये अनुरोध के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) स्वीडन ने कितने जहाजों के लिए अनुरोध किया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रस्तावित आदेश के संबंध में मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता तथा मैसर्स स्टेना ए० वी० स्वेडन के बीच अभी तक तकनीकी आवश्यकताओं तथा व्यापारिक शर्तों के संबंध में समझौता चल रहा है ।

(ख) प्रारम्भ में, मैसर्स स्टेना ए० वी० ने 8 जलयानों की आवश्यका दर्शाथी थी । अब पता चला है कि उन्होंने 4 जलयानों के लिए एक अन्य यार्ड को आदेश दे दिया है अतः अब उनकी केवल 4 जलयानों की मांग रह गई है ।

भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये नये आकर्षण

1196. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 तक चार लाख पर्यटकों द्वारा भारत की यात्रा करने का प्रत्याशित लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ;

(ख) दिसम्बर, 1971 तक कितने पर्यटकों द्वारा भारत की यात्रा की गई ;

(ग) क्या पर्यटकों के लिये नये आकर्षणों की कोई व्ययस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क). चार लाख पर्यटकों का लक्ष्य 1973 में पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

(ख) 1971 में 300,995 पर्यटकों ने भारत की यात्रा की ।

(ग) और (घ). कोवालम में एक समुद्र-तटीय बिहार स्थल की तथा गुल्मर्ग में एक ग्रीष्म-व-शिशिर बिहार–स्थल की स्थापना की जा रही है । चुने हुए वन्य जीव शरण–स्थानों तथा बौद्ध केन्द्रों

पर और अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। देश में कुछ अन्य स्थानों पर भी पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है अथवा उनमें सुधार किया जा रहा है।

जब्त किये गये सामान का वितरण करने सम्बन्धी समिति

1197. **श्री वयालर रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत भर में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए सामान के वितरण में व्याप्त घोटाले के बारे में दिनांक 19 फरवरी, 1972 के 'ब्लिट्ज' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या जब्त सामान के निपटान की प्रक्रिया का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो वितरण प्रणाली की त्रुटियां दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। सरकार ने 19 फरवरी 1972 के ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ख) जी हां। समिति ने, जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य थे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है जो अब अन्तिम चरण पर है।

पिछले दो वर्षों के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी

1198. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आने वाले देशी पर्यटकों की संख्या में पिछले दो वर्षों में कमी हुई है ;

(ख) क्या इसका कारण पर्यटकों के लिए सुविधाओं की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। बल्कि इस संख्या में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है :—

	आने वाले पर्यटकों की संख्या
1969	244,724
1970	280,821
1971	300,995

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते। तथापि पर्यटन के अधारभूत उपादानों को सुधारने और सुदृढ़ करने सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पृथक निगम बनाने से एयर इंडिया को विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि

1199. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चार्टर उड़ान के लिये एक पृथक निगम बनाने के फलस्वरूप एयर इण्डिया की विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : एयर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड को 1972-73 के दौरान कुल 2.86 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन सम्बन्धी मालवीय समिति का प्रतिवेदन

1200. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय समिति ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और क्या इनसे कार्य कुशलता के साथ-साथ धन की बचत भी होगी ;

(ग) क्या समिति ने यह सिफारिश की है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाये और उसे तेल की निर्बाध खोज करने और छिद्रण कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिये समायोजन करने की अनुमति दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रान्सीसी फर्म द्वारा बम्बई के ऊंचे और संलग्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा किया जाना

1201. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी फर्म द्वारा बम्बई के ऊंचे और संलग्न क्षेत्रों का भूकम्प सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के आधार पर अन्वेषण के सही स्थान के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) ड्रिलिंग का काम कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां। इन सर्वेक्षणों के अन्तर्गत बौम्बे-हाई और संलग्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण सम्मिलित है।

(ख) सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े फ्रांस में आंकड़े तैयार करने वाले केन्द्र में फ्रांस की फर्म द्वारा तैयार किये जा रहे हैं, इन आंकड़ों के तैयार हो जाने तथा उसके पश्चात् इन आंकड़ों पर व्याख्या हो जाने के बाद कुओं के व्यधन के सम्बन्ध में स्थान का चयन किया जायेगा।

(ग) 'बाम्बे-हाई' क्षेत्रों में व्यधन-कार्य इस समय जापान में निर्माणाधीन चल 'प्लेट फार्म' की सहायता से किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुसार नवम्बर, 72 में प्लेट फार्म के बम्बई पहुंच जाने की आशा है। तत्पश्चात् शीघ्र ही व्यधन कार्य आरम्भ होने की आशा है।

कम्पनियों का परिसमापन

1202. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कितनी लिमिटेड कम्पनियां वर्ष 1971 के दौरान परिसमाप्त हुईं ; और

(ख) इसके कारण क्या थे ?

कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). 1971 के वर्ष में अंशों द्वारा समिति, 387 कम्पनियों ने कार्य करना समाप्त कर दिया था। उनमें से 225 कम्पनियां परिसमापन में चली गईं तथा 162 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 (5) के अन्तर्गत रजिस्टर से हटा दिया गया।

सेना के कर्मचारियों की विधवाओं और रिश्तेदारों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी व्यापार करने में अधिकार देना

1203. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के भारत और पाकिस्तान युद्ध में मारे गये सैनिकों तथा सशस्त्र सेना के अन्य कर्मचारियों की विधवाओं और रिश्तेदारों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन करने तथा तत्सम्बन्धी सरकार की नीति की रूप रेखा क्या है ;

(ख) कितने लोगों के सम्मुख प्रस्ताव रखे गये हैं तथा स्वीकृत कर लिये गये हैं ; और

(ग) पम्पों और व्यापार को चलाने के लिये सहायता देने हेतु क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारतीय तेल निगम ने 28 दिसम्बर, 1970 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिये निगम के स्वामित्व वाले फुटकर बिक्री केन्द्रों की अपनी डीलर शिप मिट्टी के तेल तथा लाइट डीजल तेल की एजेंसियों तथा इंडेन कुकिंग गैस की वितरण एजेंसियों को युद्ध में घायल हुए उन सैनिकों को जो सक्रिय सेवा में रहने में असमर्थ हो गये हैं तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों अथवा लापता सैनिकों के आश्रितों को देने में वरीयता दे रहा है, योजना के अन्तर्गत हकदारों की सूची को, पुनर्वास के महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय तथा सीमा सुरक्षा दल के महानिदेशक, द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है।

(ख) 25 पेशकशें की जा चुकी हैं तथा 7-3-72 तक इन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उन लाभदायकों को अपेक्षित वित्तीय सहायता देने के लिये जिनको ऐसी सहायता की आवश्यता है, 20 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा भारत स्थित युद्धबन्दी शिविरों का दौरा

1204. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के किसी प्रतिनिधि ने भारत स्थित युद्धबन्दी शिविरों का दौरा किया था और यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भारत स्थित अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रतिनिधियों ने अनेकों युद्धबन्दी शिविरों का दौरा किया है तथा प्राधिकारियों के द्वारा जिनेवा सम्मेलन की व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन करने के लिये प्रयासों की सराहना की है। वे कैम्पों की स्थिति से भी संतुष्ट है।

भारत में विदेशी स्वामित्व वाली औषध निर्माण कम्पनियों द्वारा दिया गया आय कर

1205. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औषध निर्माण करने वाली विदेशी स्वामित्व की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी साम्य पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितना-कितना आयकर दिया गया ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है। बहुत सी फर्में औषधियों और भेषजों के अतिरिक्त कई अन्य पदार्थों का निर्माण कर रही हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विवरण-पत्र

24 मार्च, 1972 को भारत में उन फर्मों के नाम, जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश निहित है तथा जो औषधियों और भेषजों का निर्माण कर रही हैं :—

1. अलकली एंड केमीकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
2. एंग्लो फैंच ड्रग कम्पनी लिमिटेड
3. बायर इंडिया लिमिटेड
4. बीचम इंडिया लिमिटेड

5. बूट्स कम्पनी लिमिटेड
6. बोहरिंगर नोल लिमिटेड
7. बुररंगज वैलकर एंड कम्पनी
8. सीबा आफ इंडिया लिमिटेड
9. सायनामिड लिमिटेड
10. जर्मन रेमेडीज लिमिटेड
11. ग्लैक्सो लैबोरेटरीज लिमिटेड
12. जोहनसन एंड जोहनसन लिमिटेड
13. मे एंड बेकर लिमिटेड
14. मर्कशार्प एण्ड डोहमें आफ इंडिया लिमिटेड
15. पार्क डैविस लिमिटेड
16. पी फिजर लि०
17. स्मिथ एण्ड नैफ्यू लि०
18. राकिट्ट एण्ड काल्मन आफ इंडिया लिमिटेड
19. रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड
20. रोचा प्रोडैक्टस लि०
21. सन्डोज इंडिया लिमिटेड
22. सीरले इंडिया लि०
23. यीथ लैबारेटरीज लि०
24. एब्बाट लैबोरट्रीज लि०
25. एंग्लो थाई कारपोरेशन
26. जी डल्यू कारनिक लिमिटेड
27. चेसब्रोग पाण्डस लि०
28. कापर लैबारटरीज
29. डैण्टल प्राडैक्टस लिमिटेड
30. ईथमोर लिमिटेड
31. फ्रैंकों इंडियन मैनुफैक्चरर्स लि०
32. सी० ई० फुलफोर्ड लि०
33. इंडियन स्चरिंग लिमिटेड
34. जान योथर ब्रादर्स
35. ई० मर्क लिमिटेड
36. लाब ग्रीमौल्ट लिमिटेड
37. निचोलस आफ इंडिया लि०
38. स्मिथ क्लीन एंड फ्रैंच एंड कम्पनी

भारत में विदेशी स्वामित्व वाली औषध निर्माण कम्पनियों में विदेशी तथा भारतीय कर्मचारी

1206. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी स्वामित्व वाली औषध निर्माण कम्पनियों में कार्य करने वाले ऐसे विदेशियों और भारतीयों के नाम क्या हैं जो 3000 रुपये प्रति मास (परिलब्धि सहित) वेतन पा रहे हैं ; और वे किन किन पदों पर हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इण्डियन एयरलाइंस को हो रही अतिरिक्त आय

1207. **श्री पीलू मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की क्षमता में चालू वर्ष में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त आय हो रही है ; और

(घ) क्या इस अतिरिक्त आय के बावजूद इण्डियन एयरलाइन्स घाटे में चल रही है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1971-72 में अनुमानित क्षमता 2681.22 लाख उपलब्ध टन कि० मी० है जिससे 1970-71 की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है ।

(ग) 1971-72 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को 5.20 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है । इसके प्रमुख कारण ये हैं :—

1. वेतन समझौतों के फलस्वरूप वेतनों में काफी वृद्धि होना ।
2. पाकिस्तानी आक्रमण के कारण विमान सेवाओं का विच्छिन्न होना ।
3. पश्चिम में मुद्रा-संकट के कारण पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ।
4. विमानों के बलात् अपहरण के जोखिमों के प्रति बीमा दरों में वृद्धि होना ।
5. ईंधन तथा अन्य परिचालन लागतों के मूल्य में वृद्धि होना ।
6. विदेश-यात्रा-कर के फलस्वरूप विदेश यात्रा पर निरोधात्मक प्रभाव पड़ना ।
7. पाकिस्तानी सीमा पर से उड़ान से बचने के लिये अधिक लम्बे चक्कर लगाने पर आने वाला अतिरिक्त व्यय ।

तथापि 1972-73 में आर्थिक दृष्टि से काफी सुधार होने की सम्भावना है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य

1208. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान और 1972 के प्रारम्भ में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितना अतिरिक्त धन जमा किया गया, जमाकर्ताओं में जितनी वृद्धि हुई, उनकी कितनी नई शाखाएं खुलीं तथा इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ;

(ख) क्या वर्ष 1972 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन के जमा होने में धीमी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) 1970 और 1971 के अंतिम शुक्रवारों के बीच की अवधि में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा रकम में 614.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। प्रतिशतता के हिसाब से, उपर्युक्त अवधि में वृद्धि की दर 19.1 प्रतिशत रही जबकि 1969 और 1970 के अन्तिम शुक्रवारों के बीच की अवधि में वृद्धि की दर 16.6 प्रतिशत रही थी।

फरवरी, 1972 के अंतिम शुक्रवार को, इन बैंकों की जमा रकम 3870 करोड़ रुपये थी, जबकि राष्ट्रीयकरण के समय जमा रकम 2625 करोड़ रुपया थी।

चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में (बचत बैंकों के खातों सहित) जमा-खातों की संख्या, जो जून, 1969 में लगभग 187 लाख थी, बढ़कर सितम्बर, 1970 में लगभग 237 लाख हो गयी। उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीयकरण की तारीख से लेकर 1971 के अन्त तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋणों की बकाया रकम में लगभग 161 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगी :—

कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अग्रिम बकाया रकम
(करोड़ रुपयों में)

जून 1969	60.44
दिसम्बर 1969	99.15
दिसम्बर 1970	186.90
दिसम्बर 1971	221.52

(ख) 1972 में जमा रकमों की प्रवृत्ति का अभी से अनुमान लगाना बहुत ही समय-पूर्व होगा।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Slow Progress in Production of Sophisticated Arms

1210, **Shri R. R. Sharma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Public Accounts Committee in their 26th Report (Fifth Lok Sabha) have expressed their unhappiness over the slow pace of production of sophisticated arms; and

(b) if so, the reasons for slow pace of production and the action being taken in the matter?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The slow pace of production was mainly due to the highly sophisticated nature of the weapon incorporating a large number of parts involving advanced technology, temporary diversion of the production capacity for manufacture of other major weapons to meet urgent needs of the Army and problems encountered during the progressive indigenisation of the weapon. Already substantial progress has been recorded as a result of the corrective actions taken by Government. Government are hopeful of achieving the planned target by 1973-74.

बंगाल की खाड़ी में एक फ्लैग शिप भेजने का ब्रिटिश प्रस्ताव

1211. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश सरकार या किसी अन्य सूत्र से यह सूचना मिली थी कि भारत-पाक युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक फ्लैगशिप भेजने का ब्रिटेन का प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). हाल के भारत-पाक संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत से एक करार बंगला देश से शाही नौसेना जलयानों के द्वारा अपने देश के नागरिकों को निकालने के सम्बन्ध में किया था। जब ब्रिटिश प्राधिकारी इस बात से सहमत हो गये थे कि ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी नागरिकों को निष्कासन की व्यवस्था संतोषजनक है तथा अन्य कोई कार्यवाही अनावश्यक है तो उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया था।

भारत पाकिस्तान युद्ध में जनरल नियाजी द्वारा आत्म समर्पण

1212. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(के) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1972 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित श्री जैक उन्डर्सन द्वारा दिये गये इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जनरल नियाजी द्वारा आत्म-समर्पण किये जाने के कारण विश्वयुद्ध टल गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने श्री एन्डर्सन द्वारा किये गये विभिन्न रहस्योद्घाटन के आशय पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, सरकार ने यह प्रेस समाचार देखा है।

(ख) सरकार इन प्रकटीकरणों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की साखाओं के सामने मजदूरों का प्रदर्शन

1213. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आह्वान पर 16 नवम्बर, 1971 को मजदूरों ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की कुछ शाखाओं के सामने प्रदर्शन किया था और बैंक प्राधिकारियों को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं के नाम क्या हैं जिनके सामने प्रदर्शन किये गये थे और ज्ञापन में क्या लिखा था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). 16 नवम्बर, 1971 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तत्वावधान में भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास और नागपुर स्थित कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किये गये थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नागपुर कार्यालय के प्रबन्ध को दिये गये ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1551/72**]

(ग) ज्ञापन में व्यक्त किये गये विचारों को सरकार ने नोट कर लिया है।

पटना सिटी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का ज्ञापन

1214. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने उन्हें कोई ज्ञापन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। पटना में गुरुद्वारे के पास एक सूचना केन्द्र तथा एक पर्यटक विश्राम गृह स्थापित करने के लिये 1966 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। पर्यटन विभाग तब चौथी योजना में पटना में पहले ही एक पर्यटन स्वागत केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव कर चुका था। पटना की यात्रा करने वाले पर्यटकों की समस्त आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए इसके लिये राज्य सरकार के परामर्श से स्थान का चयन भी कर लिया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधायें देने के विचार से खगौल का पटना में मिलाया जाना

1215. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पटना बी-2 श्रेणी का शहर है ;

(ख) क्या बिहार में खगौल (दानापुर रेलवे स्टेशन) पटना नगर निगम की सीमा के 8 किलो मीटर के अन्दर हैं और सिविल प्राधिकारियों ने प्रमाणित किया है कि खगौल ईन्धन को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिये पटना और दानापुर पर पूर्ण रूप से निर्भर है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहां रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भत्ते और सुविधाएं देने के लिये खगौल को पटना का अंग समझने का है जैसा कि हावड़ा और लोलुआ को इस प्रयोजन के लिये कलकत्ता का अंग समझा जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) खगौल नगरपालिका, जिसकी सीमा के भीतर दानापुर रेलवे स्टेशन आता है, पटना नगर निगम की सीमा से 8 किलोमीटर के अन्दर है । सिविल प्राधिकारियों के अनुसार, खगौल नगर-पालिका की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली रेलवे कालोनी के निवासी, ईंधन को छोड़कर, अपनी सभी आवश्यक सप्लाइयों के लिए आम तौर पर पटना और दीनापुर पर निर्भर है ।

(ख) भत्ते मंजूर करने के उद्देश्य से खगौल को पटना का अंग मानने के लिये सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । खगौल एक अलग नगरपालिका है, जो पटना का समीपवर्ती शहर नहीं है और सरकार द्वारा बनाये गये सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार यह भत्ते की स्वीकृति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता । 1924 से चले आ रहे विशेष आदेशों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति भत्तों के प्रयोजन के लिए हावड़ा और लोलुआ को कलकत्ता का अंग माना गया था । तदनुसार उन्हें, सामान्य सिद्धांतों के अपवाद के रूप में, उसी प्रकार माना जाता रहा है ।

रक्षा उत्पादन कारखानों में विदेशी पूंजी का लगाया जाना

1216. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रक्षा उत्पादन कारखानों में कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई ; और

(ख) इसका देशवार, ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विभिन्न रक्षा उत्पादन यूनिटों में कुछ भी विदेशी पूंजी नहीं लगी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कास्टिक सोडा की कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही

1217. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यदि कोई तत्काल उचित कार्यवाही न की गयी तो देश को कास्टिक सोडा की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1972 में 4,40,000 मीटरी टन की अनुमानित मांग के मुकाबले में 4,10,000 मीटरी टन के उत्पादन की आशा है । इस तरह शायद लगभग 30,000 मीटरी टन की कमी रह जाए ।

(ख) (i) देशीय उपलब्धि की कमी पूरी करने के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रति-बंधित आधार पर कास्टिक सोडे का आयात करने की अनुमति दी गयी है ।

(ii) दीर्घकालीन समाधान के तौर पर अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अति-

रिक्त क्षमता की स्थापना करने के लिए हाल ही में एक प्रेस नोंट के माध्यम से आवेदन पत्र मांगे गये हैं और आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

वेली से कोवलम (केरल) तक एक मेरिन ड्राइव जैसी योजना

1218. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोवलम परियोजना के अंग के रूप में वेली से कोवलम (केरल) तक एक मेरिन ड्राइव जैसी योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार ने 1965 में केन्द्रीय क्षेत्र में वेली से कोवालम तक एक मेरिन ड्राइव बनाने का प्रस्ताव रखा था ।

(ग) योजना की प्रतिषेधात्मक लागत के कारण जिसका उस समय 214 लाख रुपये लगाया गया था, इसे कोवालम के समुद्रतटीय विहार-स्थल के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका ।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास के लिये योजनाएं

1219. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा कितनी योजनायें बनाई गईं ;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए निदेशालय द्वारा राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न उपायों के अलावा 3 भूमि बस्ती योजनाएं, 16 प्रशिक्षण योजनाएं (सेवामुक्त पूर्व, सेवा मुक्त पूर्व तथा उपरान्त तथा सेवा मुक्त उपरान्त) जे० सी० ओ०/अन्य रैंकों के लिए हैं तथा 22 प्रशिक्षण कोर्स सेवा निवृत्त अफसरों के लिए तथा सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये सिविल में रोजगार की पात्रता में सुधार करने के लिये महानिदेशक पुनर्वास ने गत तीन वर्षों में गठित किये हैं ।

(ख) सुलभ उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 44,630 सब रैंकों के भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों को जिसमें सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसर शामिल हैं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में जिसमें केन्द्रीय

राज्य सरकार के विभाग तथा निजी क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं रोजगार मिल गया है। अलग अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ग) कोई भी ऋण नहीं दिया गया है। तथापि गत तीन वर्षों में निम्नलिखित अनुदान विनियोजन किया गया है :—

(1) 20,75,826.37 रुपये— रक्षा सेवा प्राक्कलनों से जिला सैनिक नौसैनिक तथा वायुसैनिक बोर्ड के अनुरक्षण के लिए 50 प्रतिशत व्यय के रूप में।

(2) 49,01,120.08 रुपये झंडा दिवस के संग्रहण से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये।

(3) 27,45,964 रुपये—राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्र सरकार के द्वारा दिये जाने वाले निजी अंशदान राज्य सरकारों को दिये जाने वाले भाग में से 76,80,000 रुपये। शेष राशि बचे हुए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जब वह अपने अंशदान के समान भाग अदा करेंगी, भुगतान कर दी जायगी।

रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा अनुसन्धान

1220. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप गैर-सैनिक प्रयोग की कितनी मदें सफलतापूर्वक तैयार की गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन प्रयोगशालाओं द्वारा रक्षा के प्रयोग में आने वाली कितनी मदें सफलतापूर्वक तैयार की गई ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितनी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ किया गया ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). किसी भी मद को विशेषतया गैर सैनिक प्रयोगों के लिए विकसित नहीं किया गया है। रक्षा प्रयोगों के लिये 228 मदों को विकसित किया गया है। इनमें से 89 मदों को गैर सैनिक कार्यों के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है। इनमें 26 मदों की जानकारी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को वाणिज्यक उपयोग के लिये दे दी गई है तथा अन्य विचाराधीन हैं।

(ग) 145।

चल-चित्र अभिनेताओं से आय-कर की वसूली

1221. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आय-कर वसूल करने के लिये चलचित्र अभिनेताओं पर कितने मामले दायर किये गये और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ चलचित्र अभिनेताओं ने सरकार के साथ समझौता कर लिया है और कुछ अन्य अभिनेताओं के मामलों में निर्णय कर लिये गये हैं ;

(ग) अभी तक अनिर्णित मामलों की संख्या कितनी है और ऐसा प्रत्येक मामला कब से अनिर्णित पड़ा है और इन मामलों के कितने लम्बे समय से अनिर्णित पड़े रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आय-कर वसूली के सभी अनिर्णित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं और उनका निपटारा कब तक हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जिन फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के विरुद्ध गत तीन वित्तीय वर्षों में, कर वसूली के लिये प्रमाण-पत्र विषयक कार्यवाही आरम्भ की गई, उनकी संख्या के बारे में विवरण एकत्रित किया जा रहा है तथा इसे यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) तथा (ग). करों की अदायगी के लिये मंजूर किये गये स्थगन आदेश/किस्तें पहले ही निपटाये गये मामले, अभी तक अनिर्णीत पड़े मामले तथा उनके अनिर्णीत पड़े रहने के कारणों आदि के विवरण इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें यथासम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित अनिर्णीत पड़े मामलों के शीघ्र निपटान का इतमीनान करने के निमित्त अपनाये गये उपायों के विवरण भी एकत्रित किये जा रहे हैं और इन्हें यथासम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायगा । किन्तु, इन मामलों के निपटान के लिये कोई निश्चित तारीखें देना सम्भव नहीं है ।

एस्सो कम्पनी

1222. **श्री शशि भूषण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एस्सो कस्पनी ने भारत में कितनी पूंजी लगी रखी है ;

(ख) इस कम्पनी के कितने पेट्रोल पम्प हैं या इसका पेट्रोल कितने पेट्रोल पम्पों पर बिकता है ;

(ग) गत तीन वर्षों में इसे विभिन्न क्षेत्रों में कितने विस्तार की अनुमति दी गयी है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में इसने अपना कितना लाभ विदेश भेजा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 31-12-1970 तक एस्सो मार्किटिंग तथा रिफाइनिंग द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 2901.7 लाख रुपये थी ।

(ख) 1-1-1971 तक देश में मैसर्स एस्सो के फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या 1928 थी ।

(ग) गत तीन वर्षों में शोधन क्षमता के किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी गई है ।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रो-रसायन उद्योगों में एस्सो के शेयर

1223. **श्री शशि भूषण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पेट्रोलियम तथा पेट्रो-रसायन उद्योगों की संख्या तथा नाम क्या है जिनमें एस्सो के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शेयर हैं ; और

(ख) क्या अब सरकार के विचार भारत में इसकी गतिविधियों पर रोक और इस कम्पनी द्वारा बाहर रुपया भेजे जाने पर नियंत्रण लगाने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) अमरीका की एस्सो ईस्टर्न इंक (इन्कार्पोरेटिड) ने भारत में कार्य कर रही निम्नलिखित कम्पनियों में पूंजी लगा रखी है :–

1. एस्सो स्टैंडर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इंडिया लि० ।
2. लूब इंडिया लिमिटेड ।
3. एस्सो ईस्टर्न इन्कार्पोरेटिड 5 विपणन शाखा परिचालन ।

(ख) एस्सो की शोधन क्षमता में विस्तार करने का इस समय कोई विचार नहीं है । यद्यपि किसी भी विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा बाहर भेजे जाने वाले धन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि बाहर भेजे जाने वाली विशिष्ट राशियों के औचित्य को देखने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है ।

पी० एल०-480 निधि का उपयोग

1224. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में पी० एल०-480 निधि में से खर्च की जाने वाली राशि पर कोई नियंत्रण है ; और

(ख) इस समय भारत में पी० एल०-480 निधि की बकाया राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतावास के साथ उसके अनुमानित व्यय की उस रकम का पता लगाने के लिये परामर्श किया जाता है ; जिसका वित्त पोषण पी० एल०-480 के करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भारत में रुपयों में जमा रकमों से किया जा सकता है । व्यय की इस रकम में अमेरिका के राजदूतावास और वाणिज्य दूतावासों के कार्यों का व्यय आ जाता है । संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अनुसंधान अनुदानों तकनीकी सहायता और अन्य ऐसे कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति देने से पहले भारत सरकार से परामर्श करती है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

विवरण

31 दिसम्बर, 1971 को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रुपयों में जमा रकमों का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

I पी० एल० 480 की निधियां	
1. भारत को दिये जाने वाले ऋणों और अनुदानों तथा कुल ऋणों के लिये निर्धारित आवंटित न की गई पी० एल० 480 आयात जमा की रकम	75

2. खर्च न की गयी पी० एल० 480 आयात जमा की रकमें और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोग* के लिये निर्धारित पी० एल० 480 ऋणों पर उत्पन्न ब्याज की वापसी अदायगियां	214

II. पी० एल० 480 से भिन्न निधियां

3. भारत को दिये गये पी० एल० 480 से भिन्न रुपया ऋणों के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अर्जित वापसी अदायगियों और ब्याज अदायगियों की रकम	320
4. संयुक्त राज्य अमेरिका की रुपयों में जमा रकमों को विशेष प्रतिभूतियों में लगाये जाने के परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा दिया गया ब्याज और विविध	130
जोड़—संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रुपयों जमा रकम	739+

+ इनमें से 669 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक में भारत सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में जमा था और शेष वाणिज्यिक बैंकों में जमा था ।

*संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोग में राजदूतावास और वाणिज्यिक दूतावासों के सामान्य कार्यों का व्यय, भारतीय संस्थानों को अनुसन्धान और विकास के लिये दिये जाने वाले अनुदान, उपहारों के रूप में प्राप्त वस्तुओं का भाड़ा, तकनीकी सहायता, समर्थन लागत और पी० एल० 480 करारों में की गयी व्यवस्था के अनुसार अन्य मुद्राओं में सीमिति रूपान्तरण शामिल हैं ।

House Rent Allowance for Railway Labourers Working at Danapur

1225. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Railway labourers working and residing at Danapur (Khagaul) of the Eastern Railway were paid House Rent Allowance from 1967 to March, 1970 ;

(b) if so, whether the said Allowance was then discontinued on account of objection raised by his Ministry ;

(c) if so, the nature of objection ; and

(d) whether Government propose to restore the said Allowance?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. The allowance was paid upto February, 1970.

(b) and (c). The allowance was paid erroneously due to confusion of names between Dinapore (a qualified city) and Danapur and was discontinued when it was found that the orders had been wrongly applied. According to the extant orders, the allowance is admissible to employees working within a municipality only if it is one of the cities/towns classified for the purpose of the allowance or is contiguous classified city. Khagaul, which is a separate municipality by itself, does not satisfy either of these conditions.

(d) Government have no such proposal under consideration at present.

इंडियन आयल कारपोरेशन मार्कीटिंग डिवीजन, के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की शर्तें

1226. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन (मार्कीटिंग डिवीजन) के प्रबन्ध निदेशक के वेतन भत्तों और अन्य परिलब्धियों सहित नियुक्त की शर्तें क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में इस पद पर आसीन वर्तमान व्यक्तियों को वेतन, विभिन्न भत्तों और अन्य परिलब्धियों सहित भारत में तथा विदेश में कितनी राशि दी जाती रही है ; और

(ग) क्या इस पद पर आसीन वर्तमान व्यक्ति की पदावधि समाप्त हो गयी है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की शर्तें पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ० 20 (3)/66/आई० ओ० सी० (2) दिनांक 10 जून, 1966 में दी गयी हैं जिस की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-1552/72.]**

(ख) वेतन, भत्ते आदि के रूप में वर्षवार ली गई राशि का ब्योरा इस प्रकार है :—

	मूल वेतन	नगर प्रतिकर भत्ता	बोनस	चिकित्सा के लिए व्यय	आतिथ्य सत्कार व्यय
	1	2	3	4	5
1969-70	40,000,00	900.00	—	6276.96	2250
1970-71	41,500,00	900.00	1000	6300.02	1750
1971-72	42,000,00	900.00	1800	2322.79	2750

उपरोक्त कालम 1, 2, 3, में दिए गए प्रत्येक वर्ष के आंकड़ों के जोड़ सफल आंकड़ें हैं जिसमें से आयकर की वसूली की जानी है, कालम 4 एवं 5 में दिखाये गये आंकड़े किए गए वास्तविक खर्च पर आधारित हैं।

भारत तथा विदेश में यात्रा व्यय (किराया निकालकर) के संबंध में ली गई राशि को नीचे दिया गया है।

दिए गए भत्ते

वर्ष	भारत में	विदेश में		
	रुपये	पोण्ड	डालर	रुपये
1969-70	921.00	330	—	1080
1970-71	1873.50	385	315	2150
1971-72 20-3-72 तक	3443.00	110	1145	1400

इन राशियों में कार्यालय सम्बन्धी कार्य के दौरे पर पदधारी द्वारा व्यय की गयी राशियां सम्मिलित हैं।

(ग) जी नहीं।

कोचीन में एक नये हवाई अड्डे का प्रस्ताव

1227. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक नये हवाई अड्डे का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या नवगठित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अधिकरण ने कोचीन हवाई अड्डे का विकास अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में करने का प्रस्ताव किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). कोचीन के लिये एक नए हवाई अड्डे का निर्माण निकट भविष्य में हाथ में नहीं लिया जा सकता क्योंकि विमान क्षेत्रों के विकास के लिए निधियों का विनियोजन पहले ही पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा चुका है ।

(ग) जी, नहीं ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये अतिरिक्त धन नियत करने का प्रस्ताव

1228. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन के विकास के लिये वहां की सरकार को अतिरिक्त धन नियत करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : चौथी योजना में प्रावधान की गयी निधियों का पहले से ही विनियतन हो चुकने के कारण, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये कोई अतिरिक्त धन नियत करने का प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पर्यटन का विकास

1229. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लिये अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौढ़ीगढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी, जैसे पर्वतीय जिलों में पर्यटन के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि निर्धारित की है ;

(ख) क्या पर्यटन की दृष्टि से इन जिलों के विकास के लिये सरकार का विचार एक व्यापक योजना तैयार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) चौथी योजना में पर्यटन विभाग द्वारा नैनीताल में 3.37 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक युवा होस्टल का निर्माण किया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उद्यमों सम्बन्धी ब्यूरो का सरकारी उपक्रमों के बारे में प्रतिवेदन

1230. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों सम्बन्धी ब्यूरो ने इस बात को स्वीकार किया बताते हैं कि कुछ सरकारी उपक्रम ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यह सच है कि कुछ सरकारी उपक्रमों का कार्य आशा के अनुरूप नहीं हुआ है । ऐसा नियंत्रित किये जा सकने वाले और नियंत्रण से बाहर के दोनों कारणों से हुआ है ।

(ख) 31 मार्च 1971 को उत्पादन और व्यापारिक कार्यों में लगे हुए 79 उद्यमों में से पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित उद्यमों को हानि हुई है :—

1. हिन्दुस्तान स्टील लि०
2. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०
3. माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
4. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०
5. प्रागा टूल्स लि०
6. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऐण्ड आप्थाल्मिक ग्लास लि०
7. इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
8. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
9. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
10. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०
11. नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०
12. पाइराइट्स फास्फेट्स ऐण्ड कैमिकल्स लि०
13. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०
14. सैंट्रल रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लि०
15. नेशनल प्राजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०
16. सैंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लि०
17. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०
18. सैंट्रल फिशरीज कारपोरेशन लि०

(ग) प्रबन्ध एवं संचालन संबंधी कुशलता में सुधार करने के उद्देश्य से अच्छे पूंजी निवेश से संबंधित मूल्यांकन करने कार्य संबंधी बजट व्यवस्था, आन्तरिक लेखा परीक्षा और व्यापक लागत लेखा प्रणाली लागू करने, तालिकागत सामान में कमी करने, उत्पादन में विविधता लाने, प्रबंधी संबंधी आधुनिक तकनीक अपनाने, प्रशिक्षण और बढ़िया औद्योगिक संबंधों द्वारा श्रम की उत्पादिता में सुधार करने और बिक्री के संबंध में और अधिक प्रयत्न करने के उपाय किये गये हैं। इन उपक्रमों के कार्य की लगातार निगरानी की जाती है और जहां जरूरत होती है, उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। हाल ही में सरकारी उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के संबंध में उपाय और साधन ढूंढने के लिए सरकार ने एक कार्य समिति नियुक्त की है।

भारत को एंग्लो-फ्रेंच सुपरसानिक जगुआर विमान बेचने की ब्रिटेन की योजना

1231. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने ऐंग्लो-फ्रैंच सुपरसानिक जगुआर लड़ाकू विमान भारत को बेचने की कोई योजना रखी है तथा इस आशय के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिए एक दल दिल्ली भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ब्रिटिश दल के दौरे का क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर स्थित परियोजना की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव

1232. **श्री नर सिंह नारायण पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से गोरखपुर स्थित उर्वरक परियोजना की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). सरकार ने गोरखपुर उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता में 1,74,000 मीटरी टन यूरिया से 2,85,000 मीटरी टन तक विस्तार करने का अनुमोदन कर दिया है। प्रायोजना की 11.82 करोड़ रुपये की कुल लागत के मुकाबले में विश्व बैंक (आई० डी० ए०) की सहायता 10.00 मिलियन डालर है।

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) सिविल हवाई अड्डे का निर्माण करने के बारे में प्रस्ताव

1233. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में एक सिविल हवाई अड्डे का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ संसद्-सदस्यों ने एक प्रतिवेदन भेजा है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). गोरखपुर को, जहां पहले ही एक विमानक्षेत्र मौजूद है, विमान सेवा से जोड़ने के लिये कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इण्डियन एयरलाइन्स अपने विमान-बेड़े में सुधार होने पर वहां के लिये सेवाएं प्रारंभ करने पर विचार करेंगे। गोरखपुर हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्वलेव के निर्माण के लिये नागर विमानन विभाग के नाम लगभग पांच एकड़ जमीन निर्मुक्त की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के भूतपूर्व सैनिकों की सुविधायें

1234. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, अर्थात् अलमोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौढ़ी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के भूतपूर्व सैनिकों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सामान्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित लाभ/सुविधाओं का हक है :–

1. तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आरक्षण।
2. रक्षा स्थापनाओं तथा अर्थ सैनिक संगठनों के पदों पर रोजगार के लिए अधिमान।
3. (चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए) आयु तथा शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं का शिथिलन।
4. आई० टी० आई० इत्यादि में व्यवसायिक प्रशिक्षण जिसके लिए क्षात्रवृत्ति दी जाती है।
5. आयात किए गए ट्रैक्टरों का आवंटन।
6. महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान को अधिसूचित करने से पूर्व रक्षा मंत्रालय की फालतू गाड़ियों का क्रय करना।
7. अग्रता के आधार पर व्यावसायिक गाड़ियों (अम्बैसडर कार, 3 ह्वीलर आटो रिक्शा तथा टैम्पों) का आवंटन।
8. धंधा प्रारम्भ करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए विशेष निधि से ऋण।
9. कृषि कार्य के लिए फालतू सैनिक भूमि के आवंटन में अग्रता दी जाती है।
10. राज्य सरकारों के द्वारा बंजर भूमि को आवंटित करने के मामले में अग्रता दी जाती है।

यह लाभ / सुविधाएं उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के भूतपूर्व सैनिकों को भी उपलब्ध हैं।

उत्तर भारत में सीमा सड़कों के निर्माण में धीमी प्रगति

1235. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा, अलमोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौढ़ी-गढ़वाल,

पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल, और उत्तर काशी के जिलों के सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्य में प्रगति की गति बहुत धीमी है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सीमा के इन जिलों में सड़क के निर्माण कार्य की गति बढ़ाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) महानिदेशक सीमा सड़क को केवल चमोली, टेहरी,-गढ़वाल, पौढ़ी-गढ़वाल, अलमोड़ा तथा पिथौरागढ़ की कुछ सड़कों (कुल 660 कि०मि०) को निर्माण करने तथा सुधार करने का कार्य सौंपा गया है। सब सड़कों के निर्माण तथा सुधार का कार्य, केवल चमोली जिले की एक सड़क को छोड़कर जिस पर सुरक्षा कारणों के आधार पर कार्य कम कर दिया गया था, शेष पर महानिदेशक सीमा सड़क के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा वे यातायात के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम में महालेखापाल के कार्यालय में आग लगना

1236. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम स्थित महालेखापाल के कार्यालय में आग लगने के परिणाम-स्वरूप अनुमानित कितनी राशि की हानि हुई ; और

(ख) सरकार द्वारा की गई जांच के अनुसार उक्त दुर्घटना होने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) त्रिवेन्द्रम स्थित महालेखाकार के कार्यालय में 24 नवम्बर 1971 को घटित अग्नि काण्ड के कारण हुए नुकसान का अनुमान 1,95,00.00 रुपये का लगाया गया है (इमारत और बिजली के उपकरणों में हुआ नुकसान 1,25,000.00 रुपये का और फर्नीचर तथा मशीनों में हुआ नुकसान 70,000.00 रुपये का है)।

(ख) मामला पुलिस को भेज दिया गया है और उनकी जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है।

Sale of Imported Books at rates higher than Prescribed Exchange Rate

1237. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Indian booksellers demand Rupees twenty for a pound (sterling) while charging the price of books imported from Britain ; and

(b) if so, the reasons for their charging more than the authorised exchange rate ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir. Certain reports to this effect have been received by the Government.

(b) Broadly the reasons given by the Book Trade are that the bankers' selling rates for foreign exchange are always considerably higher than the official par rates, the bank charges for foreign drafts have increased to nearly double because of the increase in registration and postal rates and that the increased registration and postal rates have increased the cost of correspondence with the publishers. These are under further discussion with the Book Trade.

Proposal to revise the Formula for Fixation of Prices of Drugs

1238. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the "Economic times" dated the 8th March, 1972 to the effect that Government propose to revise the formula regarding the fixation of prices of drugs ; and

(b) if so, what will be the effect of the new formula on the prices ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have no proposal under consideration at present to revise the formula regarding the fixation of drug prices. However, a working Group headed by the Chairman of the Bureau of Industrial Costs and Prices is presently examining the cost structure of some bulk drugs and certain other connected matters like the norms for conversion costs, packaging for drugs, etc., as laid down in the Drugs (Prices Control) Order, 1970. The working Group's report is awaited.

जमा कर्ताओं के हिन्दी हस्ताक्षर से चैक का भुनाया जाना

1240. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के कनाट प्लैस स्थित सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में जमाकर्ताओं के हिन्दी हस्ताक्षरों की अतिरिक्त जांच की जाती है जबकि अंग्रेजी हस्ताक्षरों की ऐसी जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है ; और

(ख) क्या हिन्दी में हस्ताक्षर किये गये चैकों को भुनाने के लिये इस कार्यप्रणाली से विलम्ब हो जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). चैकों पर किये गये हस्ताक्षर चाहे हिन्दी में हो अथवा अंग्रेजी में, उनका सत्यापन किया जाता है। हिन्दी और अंग्रेजी के नमूना-हस्ताक्षर-कार्ड दो पृथक-पृथक पटलों (काउन्टरों) पर रखे जाते हैं और चैकों को भुगतान के लिये स्वीकृत करने से पूर्व उनका अलग-अलग सत्यापन किया जाता है। हिन्दी में हस्ताक्षरों के लिये अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती। चैकों पर हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में हुए हस्ताक्षरों का सत्यापन करने में लगभग एक सा ही समय लगता है।

डिगबोई रिफाइनरी द्वारा तैयार किये गये शोधित मोम का निर्यात

1241. **श्रीमती ज्योत्सना चन्द्रा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिगबोई रिफाइनरी द्वारा तैयार किये गये शोधित मोम का निर्यात पिछले वर्ष बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस वर्ष से निर्यात को फिर आरंभ करने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसानन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). 1971 के दौरान मोम की मांग बहुत बढ़ गई थी। इसके परिणामस्वरूप मांग में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए कई उपाय अपनाने पड़े थे और निर्यात का बन्द किया जाना इनमें शामिल है। अपनाये गये उपायों का प्रभाव पूर्ण रूप से 1972 में ही जाना जायेगा। जब तक उपलब्धि आवश्यकता से अधिक नहीं हो जाती, पैराफिन मोम के निर्यात की अनुमति नहीं दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

1242. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1967 और दिसम्बर, 1968 के बीच सेवा-निवृत्त हुए केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों से सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने 1 दिसम्बर, 1968 से अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता वेतन में मिला दिया है और क्या इसका लाभ उपरोक्त पेंशनभोगियों को दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् में सरकार तथा कर्मचारी पक्ष के बीच एक समझौता हो जाने से मंहगाई भत्ते का एक भाग किन्हीं-किन्हीं मामलों में, जिनमें पेंशन सम्बन्धी लाभ भी शामिल हैं, 1 दिसम्बर, 1968 से वेतन के रूप में समझा जा रहा है। समझौते के अनुसार ये आदेश एक विशेष तारीख से लागू होने थे और जो कर्मचारी इससे पूर्व सेवानिवृत्त हो गये उन्हें इसका लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Consumer Price Index

1243. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Dearness Allowance is paid to Government employees on the basis of Consumer Price Index; and

(b) if so, the Consumer Price Index, month-wise from September, 1971 to March, 1972?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) According to the formula recommended by the Dearness Allowance Commission, dearness allowance was payable to Central Government employees with reference to every 10 point rise in the 12 monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index (1949=100). The rates of dearness allowance were last revised accordingly with effect from 1.9.1968. The formula, however, ceased to be operative from September, 1969 in accordance with the Commission's own recommendations. Government have subsequently granted interim relief on two occassions, as recommended by the Third Pay Commission taking into account the higher levels of the 12 monthly average of the cost of living index.

(b) The All India Working Class Consumer Price Index (1949=100) Number during the period September, 1971 to January, 1972 were as follows :

September, 1971	..	238
October, 1971	..	238
November, 1971	..	239
December, 1971	..	237
January, 1972	..	236

Figures for the months of February and March, 1972, will be available sometime in the months of April and May, 1972 respectively.

भारत में बन्दी पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों द्वारा भागने का प्रयास

1244. **श्री झारखंडे राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ युद्धबंदियों ने अपने शिविरों से भागने का प्रयास किया था ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). एक स्टेशन पर दो मामले हुए थे जिसमें तीन पाकिस्तानी सैनिक युद्धबन्दी शामिल थे। दो कैम्प से भाग गए थे एक अन्य ने ड्यूटी के संतरी पर काबू पाने की चेष्टा की थी जो गोली से मारा गया था। जांच न्यायालय मामले की जांच कर रहा है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में अनियमितताएं

1245. **श्री राजदेवसिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यापारियों ने फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से उक्त कम्पनी के लिए आयात की गयी एक करोड़ रुपये मूल्य की गंधक चुरा ली थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड, के प्रबन्धकों से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में की गयी स्टाक की जांच से राकफास्फेट और सल्फर के वास्तविक स्टाक तथा शेष स्टाक के बीच कई त्रुटियों का पता लगा है।

(ख) कम्पनी के प्रबन्धक मामले की और जांच कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)
RE. CALL ATTENTION NOTICES (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री विद्याचरण शुक्ल।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, आपको पता है कि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालाजी बन्द हो गया है·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने इस चर्चा की अनुमति नहीं दी है·····(**व्यवधान**) जो सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेगा उसके शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : *

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है·····(**व्यवधान**) बजट पर चर्चा चल रही है। ये मामले बजट चर्चा में उठाये जा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मयबसु (डायमंड हार्बर) : नागरवाला की जेल में मृत्यु के सम्बन्ध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उसके विषय में कुछ नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप शोर मचाये जायेंगे तो कुछ भी हल नहीं निकलेगा···(**व्यवधान**) मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं केवल यह चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री एक वक्तव्य दें। यह कानपुर का सबसे बड़ा संस्थान है। इस मामले को उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी नहीं उठाया जा सकता, इसे केवल यहीं उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी :*

श्री ज्योतिर्मयबसु : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस के सम्बन्ध में हमें सूचित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको सूचित नहीं किया गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह स्वीकार नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री ज्योतिर्मयबसु ने जो बात उठाई है उसके सम्बन्ध में यह प्रक्रिया रही है कि जब किसी सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो दीर्घालिपिक आकर बताता था कि आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है। पुरानी पद्धति का पालन किया जाना चाहिये। अन्यथा सदस्य यह समझते हैं कि उनके प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री ज्योतिर्मयबसु : यह गम्भीर मामला है। हजारों व्यक्तियों के मस्तिष्क में चिन्ता है कि जेल में नागरवाला की मृत्यु किस प्रकार हुई तथा जो पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहा था उसकी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सब सन्देहास्पद है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है (**व्यवधान**)।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : संसद की कार्यवाही के विषय में लोगों के मस्तिष्क में यह बात नहीं उगनी चाहिये कि संसद में विरोधीपक्ष कमजोर होने के कारण बहुत सी बातों को दबा दिया जाता है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : स्थिति ऐसी ही है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी उठे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : rose.

श्री के० मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : यह एक गम्भीर मामला है । यह देश पर्यन्त चिन्ता का विषय है । नागरवाला की मृत्यु हुई, पुलिस इन्सपैक्टर की भी मृत्यु हो गयी । कुछ लोगों का विचार है कि यह मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया गया । आपने उसे अस्वीकार कर दिया । कोई नहीं जानता इसे किस कारण अस्वीकर किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हमारे सम्मुख वाद-विवाद का विषय है । पहले से चल रहे विषय पर ही चर्चा होनी है ।

श्री पीलू मोदी : इस विषय का बजट सम्बन्धी चर्चा से क्या सम्बन्ध है । बजट की चर्चा में जो विषयान्तर होता है, मंत्री महोदय से उसका उत्तर देने के लिये नहीं कहा जाता है । यदि किसी विशिष्ट विषय पर कोई प्रस्ताव आता है तो मंत्री महोदय को उसका उत्तर देना ही पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अस्वीकृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मैं यह देखूंगा कि सूचना केवल स्वीकृत प्रस्तावों के विषय में ही दी जाती है अथवा अस्वीकृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी । जहां तक नागरवाला के मामले का प्रश्न है इस विषय पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है ।···(**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You have disallowad the motion. This action of yours is puting the Government in a more adverse position. The Government should have come forward with a statement suo motto and taken the House into confidence.

Mr. Speaker : They can if they so like.

Shri Atal Bihari Vajpayee : They do not want to make a statement and you do not call them to make. We have reasons to be sceptical in this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ओर से यह नहीं कर सकता ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Notices concerned with Prime Minister's Secretariat are not admitted.

Mr. Speaker : Which one ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : हमें धन राशि के विषय में बताया जाये । इस में 96 लाख रुपये की राशि··· ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सदन में उत्तर दिया जा चुका है । 22 मार्च 1972 को इस आशय के एक प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे हैं । क्योंकि यह मामला न्याय निर्णयाधीन है अत: सरकार यह सूचना दे सकती है क्या वास्तव में मामले की स्थिति

ऐसी ही है। मुझे यह जानकारी है कि मामला न्याय निर्णयाधीन है। अतः इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जब तक मामले की जांच चल रही है तब तक इस विषय पर किसी प्रश्न अथवा किसी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। मुझे प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सरकार से शव परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करने को कह सकते हैं। यह न्याय निर्णयाधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार यदि कहती है कि यह न्याय निर्णयाधीन नहीं है तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री पीलूमोदी : मैं आरोप लगाता हूं कि सरकार अपराध की दोषी है परन्तु आप उसे सदन के पटल पर स्पष्ट किये जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मामले की न्यायिक जांच चल रही है, मुझे इस विषय पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य बजट चर्चा के दौरान यह मालूम कर सकते हैं कि इसमें और कितना समय लगेगा।

श्री ज्योतिर्मयबसु : हमारे मस्तिष्क में ऐसी बात नहीं आने दी जानी चाहिये कि आप सरकार की सुरक्षा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जैसे ही जांच पूरी हो जाये, सरकार को इसके निष्कर्ष सदन में बताने चाहियें। यदि मामला न्याय निर्णयाधीन है तो सरकार की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता है।

श्री के० मनोहरन : शव परीक्षा की रिपोर्टें प्रस्तुत करने में क्या अड़चन है।

श्री विक्रमचन्द महाजन (कांगड़ा) : मामला न्यायालय में चल रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम यह मांग कर सकते हैं कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा करायी जाये। हम यह पूछ सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मामले की जांच क्यों नहीं कराई गई।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पूछ सकते हैं कि यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : नियम 340 के अन्तर्गत मैं यह मांग करता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये .....*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ ये कहते हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति मैंने नहीं दी है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
*Not recorded.

श्री एस० एम० बनर्जी : *

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। मेरे धैर्य का अनुचित लाभ न उठाइये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना और वायुयान प्राइज अधिनियम, 1971 तथा नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नौसैनिक और वायुयान प्राइज अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 1 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1532/71**]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 69 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०- 1533/72**]

दिल्ली वित्त निगम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, आय-कर अधिनियम तथा दिल्ली विक्रय-कर नियम, का वार्षिक प्रतिवेदन और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा परि-सम्पत्तियों और देनदारियों, लाभ और हानि लेखे का विवरण और वर्ष 1970-71 के लिए लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 6 (10)/71-फिन (जनरल) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1534/72**]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम् 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 252 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-1535/72**]

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
*Not recorded.

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5595 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1536/72]**

(4) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (पहला संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (12)/71-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-1537/72]**

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 111, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 169, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 271, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1538/72]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 1 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था, एस० ओ० 79 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था और एस० ओ० 171 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 92 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) एस० ओ 301, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1539/72]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) एस० ओ० 178 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० ओ० 179 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-1540/72]

पेट्रोलियम (संग्रहण) आदेश, 1971

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पेट्रोलियम (संग्रहण) आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 8 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-1541/72]**

प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं, लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 37	चोथा सत्र,1968
(दो) विवरण संख्या 30	पांचवां सत्र, 1968
(तीन) विवरण संख्या 23	छठा सत्र, 1968
(चार) विवरण संख्या 29 और 30	सातवां सत्र 1969
(पांच) विवरण संख्या 19	आठवां सत्र, 1969
(छः) विवरण संख्या 17 और 18	नौवां सत्र, 1969
(सात) विवरण संख्या 19 और 20	दसवां सत्र, 1970
(आठ) विवरण संख्या 10 और 11	ग्यारहवां सत्र, 1970
(नौ) विवरण संख्या 9 और 10	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(दस) विवरण संख्या 6	पहला सत्र, 1971
(ग्यारह) विवरण संख्या 7, 8, 9, 10 और 11	दूसरा सत्र, 1971
(बारह) विवरण संख्या 2 और 3	तीसरा सत्र, 1971

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1542/72]

बेरोजगार सम्बन्धी समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं रोजगार के लिये कुछ अल्पावधि उपायों के संबंध में बेरोजगारी संबंधी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1543/72**]

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सदन को राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1972 को पास किये गये विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1972 के संबंध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सामान्य बजट, 1972-73 —सामान्य चर्चा (जारी)
GENERAL BUDGET, 1972-73—GENERAL DISCUSSION (Contd.)

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : समाजवाद का सिद्धान्त वैदिक युग से चला आ रहा है। हमारे सम्पूर्ण दर्शन में समाजवादी विचार अन्तर्निहित थे।

यदि प्रजातंत्र की परिभाषा को लें, तो समाजवाद वास्तव में आर्थिक प्रजातन्त्र है। समाजवाद के बिना सच्चा प्रजातंत्र नहीं है और सच्चे समाजवाद के बिना प्रजातन्त्र नहीं है।

समाजवाद के सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिये देश में उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन आवश्यकता-प्रधान, अर्थात् आवश्यकता पर आधारित होना चाहिये, न कि पूंजीवादी पद्धति की तरह लाभ-प्रधान। यदि ऐसा किया गया तो हम जनता को रोजगार प्रदान कर सकेंगे। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में हम उपभोक्ताओं की कृत्रिम मांगों को पूरा कर रहे हैं। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में एकाधिकारियों का नियन्त्रण रहा तो आवश्यकता पूरी नहीं हो पायेगी।

वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के कारण पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता। इस अर्थ-व्यवस्था में धनी अधिक धनी तथा गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। राज्यों को पिछड़े जिलों के विकास के लिये जो धन मिलता है, उस धन का उपयोग पहले से विकसित क्षेत्रों के लिये किया जाता है।

महाराष्ट्र में आने वाले 20 वर्षों में बम्बई युगल नगर की बड़ी योजना पर 2000 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। औद्योगिक विकास के लिये यह राशि व्यय की जायेगी। इस राशि से देश के 20 पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है परन्तु यह तर्क दिया जाता है कि यदि बम्बई में ऐसा नहीं किया गया तो उद्योग धंधे गुजरात अथवा आंध्र प्रदेश में चले जायेंगे। क्या गुजरात अथवा आंध्र प्रदेश भारत से बाहर है ? समाजवाद लाने के लिये हमें देश के लाखों युवकों को रोजगार देने

के सम्बन्ध में सोचना चाहिये। गंगा को कावेरी से मिलाने की योजना की क्रियान्विति से ऐसा किया जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का समाधान भूमि को अधिक सिंचित बनाना है और वह इस राष्ट्रीय ग्रिड से किया जा सकता है।

हम निर्यात के नाम पर 100 करोड़ रुपये की लम्बे रेशे वाली रूई का आयात करते हैं परन्तु उसमें से 80 प्रतिशत का देश में ही उपयोग कर लेते हैं। जो कपड़ा निर्यात किया जाता है, वह मोटा और बीच का कपड़ा ही होता है। विदर्भ में रुई के उत्पादक को अपने छोटे रेशे वाली रुई के लिये जो तीस और चालीस काउन्ट के लिये काम में आती है, 60 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं। क्या हम आयात बंद करके उस धन को रुई उत्पादकों की सहायता के लिये नहीं लगा सकते ?

मिट्टी के तेल और उर्वरकों आदि पर कर लगा कर हम देश के युवकों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं ? जिस किसी ने भी बजट का प्रारूप तैयार किया है वह तर्कशास्त्र अथवा विधि का छात्र नहीं है। मिट्टी के तेल पर, जो गरीब आदमियों के लिये रोशनी के लिये आवश्यक है, कर लगाना तर्क संगत नहीं है। हमारे बुनियादी उद्योग पहले ही पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं फिर इस्पात और उर्वरक पर कर लगाना कहां तक तर्क संगत है।

हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिये हमें देश के सभी लोगों में विश्वास रखना होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): This Budget is a deceptive budget. The House should consider it seriously.

Some of the hon. Members have said that it was feared by the Opposition that heavy taxes would be imposed but their expectations did not come out true. This is against the facts. The Minister of Finance has not tried to state the extent of burden on common man due to the additional taxes imposed last year. The total income from tax-revenue and non tax revenue amounts to Rs. 731 crores but the hon. Minister has cleverly calculated it on the basis of the revised estimates instead of original estimates. Apart from that an uncovered gap of Rs. 242 crores has been left. It seems that this gap will further widen. It is feared that the Minister of Finance will bring forward a supplementary budget in order to meet the deficit.

It is obvious from the budget that this budget will not bespeed the development. The rate of national development has been deteriorating. There are shortfalls in target of the Plan. This budget is being appreciated on the basis that a large amount has been provided for development in public sector but that is not enough.

A sum of Rs. 50 crores was earmarked for the removal of rural unemployment and Rs. 25 crores for providing employment to the educated unemployed but the Government did not spend the entire amount.

The per capita consumption of edible oils, cotton textile and coffee has decreased in 1970-71 as compared to the preceding years. Even then prices are going up. Burden of new taxes is increasing.

We talk of self reliance but our schemes are worked out in a way as will enhance our dependence on foreign aid. I charge the Government that they are negotiating with the U. S. A. for more foreign aid behind the curtain. There is likelihood of an increase worth Rs. 75 crores in the foreign aid this year as compared to that last year.

It is true that self-sufficiency has been achieved in food grains but this self-sufficiency will not be able to make whole of our economy self-sufficient.

Economic aid is never given without strings. When our nation faces crisis, we are compelled to change decisions under pressure of that particular aid.

It is given in "Economic Review" that an amount more than the amount taken as loan is being paid as debt service charges. According to the 'Review' a net economic aid for 1970-71 is Rs. 248 crores. Loan can be taken from International Capital Market. That would be untied aid.

It is stated that there will be no marginal increase in the prices of commodities. It is given in a reply to a question that the money earmarked to help the marginal farmer could not be spent because the definition of the marginal farmer could not be decided. Taxation will lead to 8 per cent increase in prices. There is no justification in imposing duty on kerosene.

Fertilisers are aleady costlier in India as compared to the U.S.A. and Pakistan and they are being made more costlier. The small peasants will not be able to use fertilizers. The Government should take the House into confidence as they have increased the prices of tractors secretly. This Budget is not in favour of farmers.

To-day Income Tax is evaded on a large scale in our country. The recommendations made by the Wanchoo Committee are realistic. These recommendations should be put before the Government for serious perusal. A big case of Income-tax evasion involving millions of rupees has been registered in Delhi. The person who brought this case to the notice of the Government is being threatened of life. Whosoever evades taxes should be punished and the complainant be rewarded.

The surcharge in the name of Bangla Desh Refugee's Relief should be withdrawn. It is against the self-respect of the people of Bangla Desh.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प०
तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर पांच मिनट म० प०
पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : मैं इस बजट का एक यथार्थवादी और समाजवादी बजट के रूप में स्वागत करता हूं ।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सके हैं, मैं आशा करता हूं कि सरकारी सदस्य यह कहने का साहस करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में आत्म - निर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकती । विश्व का कोई भी देश प्रत्येक क्षेत्र में आत्म - निर्भर नहीं है । हमें जिन धातुओं की आवश्यता है, उनका मैं उल्लेख करूंगा ।

जैसाकि वित्त मन्त्री ने बताया है कि सहायता अमरीका से नहीं वरन् द्विपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत अन्य देशों और विश्व के संस्थानों से ली है। इनमें यदि कोई शर्त नहीं है तो कोई गलत बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने बंगला देश के सम्बन्ध में कहा है। हमारा यह कर्त्तव्य हो गया है कि बंगला देश की जनता अपने पैरों पर भी खड़ी हो सके।

यह भी कहा गया है कि प्रजातंत्र में विरोधी दल आवश्यक है परन्तु दुर्भाग्य से देश में विरोधी दल पूर्णतया विश्रृंखल है।

श्री मनोहरन् दो वर्ष से राज्य की स्वायत्तता का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। इस वर्ष इसका उल्लेख करने की उन्हें कैसे आवश्यकता हो गई है ?

बजट के बारे में मैं यह कह रहा था कि खाद्यान्न के मामले में हमने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है। वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में हम पीछे रह गये हैं जिसके बारे में हमें कुछ करना चाहिये। जब तक हम अपने कारखानों के लिये कच्चा माल का उत्पादन नहीं करेंगे तब तक उद्योग धंधे पनप नहीं सकेंगे। इस देश में हमने बहुत बड़ी सिंचाई क्षमता तैयार की है। इस क्षमता का प्रयोग कैसे नहीं किया जा रहा है।

कहीं-कहीं पर ऐसी छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं जो किसानों को पानी लेने से रोकती हैं। उदाहरणार्थ, गंडक परियोजना में खेतों के लिये छोटी-छोटी नहरें नहीं हैं। वहां के किसान सिंचाई के बारे में अधिक ज्ञान नहीं रखते हैं। यदि इस कार्य को सरकार आरंभ कर दे तो वहां शीघ्र ही परियोजना उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हम अब तक 27.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित कर सके हैं। इस दिशा में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।

1970-71 में परिचालित किये गये कागजों से पता चलता है कि खनन क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय गिर गई जबकि कृषि क्षेत्र में इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऐसा सुनने में आ रहा है कि पांच एकड़ अथवा अधिक भूमि रखने वाले किसानों पर कर लगाये जायेंगे। यह ऐसा विषय है जिस पर सरकार को ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये।

कुछ राजनीतिक दल भूमि-सुधार की बात करते हैं। गांवों में जमींदार वर्ग जो प्रभाव बनाये हुये हैं उसे समाप्त किया जाना चाहिये। यदि पांच एकड़ भूमि की सीमा के सुझाव को क्रियान्वित कर दिया गया तो सरकार को काफी कठिनाई हो जायेगी।

किसानों में औद्योगिक वस्तुयें तथा अन्य सामान को इस प्रकार वितरित करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उन्हें उचित समय पर सामान मिल सके।

गत वर्ष ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। जुलाई में यह राशि राज्यों में भेज दी गई। राज्यों में लगभग अस्थिर सरकारों के कारण राशि खर्च नहीं की जा सकी।

विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क बनाने आदि का कार्य आरंभ किया गया परन्तु वहां पहले ही बड़ी परियोजनायें चल रही थी अतः कई स्थानों पर अधिक श्रमिक नहीं आये क्योंकि उन्हें पहले ही ज्यादा मजूरी मिल रही थी।

ऐसे सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए क्षेत्र के संसद सदस्य को इसका अध्यक्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट को सचिव बनाया जाना चाहिए। एक संसदीय समिति होनी चाहिए जोकि कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि हम चाहते हैं कि धन का खर्च उचित रूप में हो तो इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं।

ग्रामीण औद्योगिक आयोग की नियुक्ति बेकारी की समस्या के समाधान के लिये आवश्यक है। इस आयोग की नियुक्ति अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर की गई है समिति ने अपने प्रतिवेदन में कार्य क्षेत्र में विस्तार करने की सिफारिश की थी। मैं यह जानना चाहता हूं सरकार प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कर रही है। मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि वह शीघ्र ही खादी और कुटीर उद्योग आयोग को ग्रामीण उद्योग आयोग में बदल दे।

रेलवे बजट और सामान्य बजट दोनों में एल्यूमिनियम और मिट्टी के तेल पर कर लगाया गया है। एल्यूमिनियम का प्रयोग गरीब जनता द्वारा किया जाता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पुनः इस पर विचार करे।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : बजट को दोष रहित नहीं कहा जा सकता। यह अपने आप में परिसीमित और अव्यवहारिक है। यह आशा की गई है कि राज्य सरकारें राजनीतिक दल की दृष्टि से एक समान हो चुकी हैं इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए शक्ति प्रदान की जा सकती है। इस विचार का स्पष्टीकरण किस प्रकार दिया जा सकता है। पूरे देश में कृषि आय कर न केवल उसी रूप में अपना लिया जाएगा बल्कि वह कृषि और उद्योग से होने वाली कुल आय पर लगने वाले कर का अंग भी होगा। यही नहीं इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक अन्य समिति भी गठित की जा चुकी है।

बजट स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा।

बजट में पूरा न किया जाने वाला घाटा 242 करोड़ रुपये के लगभग है। सरकार ने मिट्टी के तेल तथा इस्पात पर कर बढ़ा दिया है। यह वस्तुएं निर्धन जनता के काम की है। यह आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्री अभी भी यह आश्वासन दे रहे हैं कि मूल्य नहीं बढ़ेंगे। वास्तव में प्रत्येक बजट पेश होने के बाद मूल्य बढ़ते रहे हैं। बेकारी भी बढ़ गई है। उद्योगपतियों को उत्पादन बढ़ाना कठिन लग रहा है। इस सभी का मूल कारण हैं कि उत्पादन की लागत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और ऐसा अकल्पनाशील और आयुक्तियुक्त कराधान के परिणामस्वरूप हुआ है।

उर्वरकों तथा पावर पम्पों पर कर लगाकर गरीब किसानों के बोझ को और बढ़ाया गया है इससे धनी किसानों के लिये इतना अन्तर नहीं पड़ेगा जितना कि गरीब किसान इससे प्रभावित होंगे।

आवास और जल सप्लाई जैसे ग्राम्य कार्यक्रमों के समूचे क्षेत्र को विस्तृत विवरण दिए बिना 125 करोड़ रुपये को अभिन्न लेख शीर्षक के अन्तर्गत लाया गया है और वित्त मंत्री इसे नवीनता कहते हैं किन्तु वास्तव में इस उपाय से महालेखा परीक्षक तथा वह सभी लोग अप्रसन्न हुए हैं जो बजट को प्रचार का साधन न मानकर व्यवहारिक प्रलेख मानते हैं।

ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रमों को चलाने में सरकार को भारी असफलता हुई हैं। ग्रामीण रोजगार के लिये 50 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे जिसमें से वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये व्यय करने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और इसके बावजूद भी इस साल के अंत तक केवल 3 करोड़ रुपया ही व्यय किया गया। अन्य समाज कल्याण कार्यक्रमों की गति भी यही रही।

छोटे किसानों की विकास एजेन्सीं और मार्जिनल किसानों एवं अन्य कृषि श्रमिक कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना के शुरू होने तक 11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जबकि केवल 2 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक ही खर्च की गई। इसी प्रकार ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए 1971-72 में 25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की गई जबकि बड़ी मुश्किल से 9 करोड़ रुपया ही व्यय किया गया।

संसदीय समिति गठित करने से कुछ नहीं होगा। इससे हम धनराशि को व्यय करने में समर्थ नहीं हो सकते। कार्यक्रमों में असफलता हाथ लगने का कारण यह था कि परियोजनाओं की अग्रिम तैयारी अपर्याप्त थी। एकाधिकारियों और कार्यान्वयन अधिकारियों की अकर्मण्यता अन्य कठिनाइयों के कारण हमारे कार्यक्रम सफल नहीं हुए। वास्तव में वित्त मंत्री का भाग्य अच्छा है क्योंकि जनता पहले से ही भारी करों की अपेक्षा कर रही थी पिछले 12 महीनों के दौरान बंगला देश से लाखों की तादाद में शरणार्थी आये तथा अकाल और सूखे के कारण देश को बड़ी कठिनाई की स्थिति से गुजरना पड़ा। इन पर हुए खर्चों को देखते हुए जनता इस भारी कराधान के लिए पहले से तैयार थी। इसके अतिरिक्त हमारी अर्थव्यवस्था के आशाप्रद होने तथा अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदर्शित असाधारण लचीलें-पन ने वित्त मंत्री का कार्य कुछ सीमा तक आसान कर दिया अत: उन्होंने नए प्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकता नहीं समझी और जनता जो यह आशा कर रही थी कि नये और अधिक कर लगाए जाएंगे जब अधिक कर नहीं लगाए गए तो जनता ने राहत की सांस ली। इसलिए कहा जा रहा है कि बजट अच्छा परन्तु तथ्य यह है कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान नहीं किया गया। समस्याओं को तभी दूर किया जा सकता है जब तेज गति से आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाए। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया।

कई उद्योग अपनी क्षमता से कम पर चल रहे हैं। उद्योग क्षमता अनुसार कार्य करें इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? कराधान और अन्य उपायों से धन इकट्ठा करना तभी न्याय संगत कहा जा सकता है जब उसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए हो जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। अधिक से अधिक उत्पादन और धन में वृद्धि करके ही हम पर्याप्त रूप से उसका वितरण कर सकते हैं और गरीबी को दूर कर सकते हैं। कम उत्पादन से गरीबी दूर नहीं होगी **(व्यवधान)** जो माननीय विपक्षी सदस्य प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं उन्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने नागर वाला के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था। हमें नागरवाला से कोई मतलब नहीं हमें तो इस बात की चिन्ता है कि राष्ट्रीयकृत संस्थाओं का काम सुचारू रूप से चल सके। यह आश्चर्य की बात है कि स्टेट बैंक के प्रबन्धक ने टेलीफोन पर समाचार मिलने के

आधार पर इतनी बड़ी राशि दे दी। माननीय मन्त्री का इस बात का उत्तर देने के लिए अनिच्छा प्रगट करना, कि यह राशि किस खाते से निकाली गई, भी कम आश्चर्य की बात नहीं। यदि यह राशि किसी अन्य बैंक या वाणिज्यिक बैंक से निकाली गई होती तो सरकार इस मामले की पूरी जांच अवश्य कराती। बैंक राशि तभी दे सकता है जब उस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा हो अथवा ओवर ड्राफ्ट की स्वीकृति के बाद ही राशि का भुगतान किया जा सकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है कि बैंक के कोषपाल को दोषमुक्त कर दिया गया है ऐसा क्यों किया गया जबकि उसने एक अनजान व्यक्ति को, जिसका बैंक में खाता नहीं था 60 लाख रुपये की राशि दे दी थी क्या इस सम्बन्ध में पूरी जांच की गई है ? मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस विषय पर पूरी तरह विचार करे और यह बताएं कि वह सदन को किस प्रकार संतुष्ट करेंगे।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का स्वागत करता हूं।

विचाराधीन वर्ष अप्रत्याशित घटनाओं का वर्ष रहा है। यद्यपि इस वर्ष शरणार्थियों के आगमन तथा पाकिस्तान की कार्यवाहियों के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा है फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था ने इन कठिनाइयों का सफलता से सामना किया है। मूल्यों में एक प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई है जोकि गत वर्ष की 5-5 प्रतिशत की वृद्धि से कहीं कम है। हमारे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। हमारा वर्तमान खाद्य उत्पादन लगभग 11 करोड़ मीट्रिक टन है तथा देश में आत्म निर्भर हो गया है।

भारत पाक युद्ध के बावजूद हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा के हमारे रक्षित भंडार में भी वृद्धि हुई है। प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

औद्योगिक उत्पादन में योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृद्धि नहीं हुई। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई। विरोधी दल तो सदा से ही बजट प्रस्तावों का विरोध करते रहे हैं पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष के बजट को भी उन्होंने पूंजीवादी बजट की संज्ञा दी है और बजट को कीमतें बढ़ाने वाला बजट कहा है। वास्तविकता यह है कि भारी कराधान के परिणामस्वरूप कीमतें कम होती रही है।

औद्योगिक उत्पादन में योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि न होने का एक कारण यह है कि हमारे प्रमुख उद्योग पश्चिम बंगाल में है और वहां साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की के कारण स्थिति बड़ी खराब रही। प्रतिदिन हड़ताल तथा घेराव जैसी अवांछनीय कार्यवाहियां होती रहीं जिसके परिणामस्वरूप अनेक कारखाने बन्द हो गए। इससे उत्पादन तथा श्रमिक वर्ग दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुए किन्तु अब हाल के चुनावों में कांग्रेस दल की जीत होने से यह आशा बन्ध गई है कि वहां औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी।

हमारी प्रधान मंत्री ने औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता के आह्वान किया है। आशा है उनकी इच्छा पूर्ण होगी परन्तु नए उद्योग स्थापित करने में एकाधिकार अधिनियम रुकावटें डाल रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक मुख्य उपक्रम के लिए एक करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किन्तु किसी भी कताई मिल में, जिसमें 12,500 तकुवे हो, 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि

लगना मामूली बात है इस प्रकार वह मिल भी प्रमुख उपक्रम के अन्तर्गत आ जाती है ।

जहां तक एकाधिकार गृहों का सम्बन्ध है उन फर्मों को एकाधिकारी फर्म माना जाता हैं जिनके पास 20 करोड़ रुपये हो वर्तमान में जबकि मशीनों और संयंत्रों की कीमत बहुत बढ़ गई है, 20 करोड़ रुपये की राशि बहुत मामूली है । यह उपबन्ध भी नए उद्योग स्थापित करने तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में बाधा डालता है । सरकार को इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए तथा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए ।

शेयर बाजार में भी सुधार हुआ है। बावजूद इसके कि निगम अधिभार 2½ प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया यह विकास हो पाया है । इसका मुख्य कारण यह है कि जनता को इस नई स्थायी सरकार में विश्वास है और कराधान के बावजूद लोग नए उद्योग धन्धों में विनियोग कर रहे हैं ।

वांचू समिति के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने इसके प्रतिवेदन को न्यायोचित नहीं माना । मैंने सारा प्रतिवेदन पढ़ा हैं तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वांचू समिति की सिफारिशें अत्यंत मूल्यवान है । यदि बचत अधिक होगी तो पूंजी निवेश भी अधिक होगा अतः सरकार को बचत के लिए प्रोत्साहन देने चाहिए ।

बजट में फार्म परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि रखी गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 710 करोड़ रुपये अधिक है । यदि इस राशि को उचित ढंग से व्यय किया गया तो निश्चय ही हमारी कई समस्याएं हल हो जाएंगी । अतः इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

हम प्रतिदिन अखबारों में घड़ियों, कपड़े, नायलान, सोने, चांदी आदि की तस्करी के बारे में पढ़ते रहते हैं पिछले कुछ वर्षों से इन चीजों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है किन्तु इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । देश से बड़ी मात्रा में चांदी बाहर जा रही है । नायलान के कपड़ों की तस्करी के पीछे मुख्य कारण उत्पादन शुल्क है नायलान के धागे से लेकर कपड़ा तैयार होने की जितनी विभिन्न अवस्थाएं हैं सभी अवस्थाओं में नायलान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है परिणामस्वरूप तस्कर व्यापार करने वाले नायलान की तस्करी की ओर अधिक आकर्षित होते हैं । अतः इन उत्पादन शुल्कों को कम किया जाए ताकि तस्करी कम हो । यदि सोने चांदी की तस्करी को रोक दिया जाए तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों की ओर समुचित ध्यान देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस बजट में वास्तविक तथ्यों को छिपा कर जनता को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है क्योंकि यह सरकार एकाधिकारियों की सरकार है और एकाधिकारियों के हितों के लिए काम कर रही है । देश ने कांग्रेस के शासन के 25 वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है । हमारी प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे कम है ।

आप निर्यात की बात करते हो निर्यात में भी कमी हुई है पिछले वर्ष के 8.6 प्रतिशत की तुलना में यह 3.6 प्रतिशत कम हो गया है और विश्व के कुल निर्यात का यह 0.71 प्रतिशत है।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है हमारी काम करने वाली जनसंख्या का दो तिहाई भाग बेरोजगार है सरकार कोई व्यवस्था किए बिना उन्हें रोजगार देने की बात कहती है। यही हाल निरक्षरता के सम्बन्ध में है कुल जनसंख्या में से 75 प्रतिशत लोग अशिक्षित है।

विश्व में दिए गए समस्त ऋणों में से हमने 41 प्रतिशत ऋण लिए हैं और इसके लिए हम ब्याज और किश्त के रूप में अपनी कुल निर्यात आय का 42 प्रतिशत दे रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति रोकी न गई तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी।

औद्योगिक विकास में गिरावट आई है। 5 करोड़ तक मूल्य की परियोजनाओं के लिए सरकार ने लाइसेंस देने की छूट दी है। लाइसेंस देने की क्षमता में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इसके कुछ व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण हुआ है।

सरकार ग्रामीण धनी लोगों पर कर लगाने की बात करती है। परन्तु प्रत्याशित 500 करोड़ रुपये की वसूली में सरकार ग्रामीण धनी लोगों से केवल 13 प्रतिशत ही वसूल कर पा रही है।

काला धन ही देश में सब बुराईयों की जड़ है। महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार गत वर्ष मार्च के अन्त तक 840 करोड़ रुपये से भी अधिक करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। काले धन की समस्या बड़ी ही विकट है। वर्ष 1968-69 में काले-धन का वार्षिक अनुमान 2,833 करोड़ रुपये लगाया गया था। वर्ष 1969-70 में यह राशि बढ़ कर 3080 करोड़ रुपये हो गई थी। इस समय काले धन में प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो रही है। इस काले धन के कारण देश की अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। देश में काले धन का जो धंधा चल रहा है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है।

यह कहना ठीक नहीं कि सरकार ने जानबूझ कर एकाधिकारियों तथा समृद्ध लोगों से करों की वसूली नहीं की अपितु सरकार ने काले धन को बचाने की कोशिश की है। नागरवाला की 60 लाख रुपये की जालसाजी और कुछ नहीं अपितु चुनावों के लिए जुटाया गया काला धन ही था। यदि सरकार ने करापवंचन को रोकने का प्रयत्न न किया तो इसमें और भी वृद्धि होगी।

वांचू समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम प्रतिवेदन माना है। क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम प्रतिवेदन का क्या हुआ यह प्रतिवेदन कई महीने पहले पेश किया गया था और इसमें नकदी तथा आभूषणों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितना धन व आभूषण अपने पास रख सकता है दूसरे सभी मुद्राओं का 10 रुपये के नोट सहित विमुद्रीकरण करने की सिफारिश की गई थी किन्तु सरकार ने इन सिफारिशों की उपेक्षा की है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सब आपकी सहमति से हुआ और क्या अन्तरिम प्रतिवेदन को सदन के सभा पटल पर रखा जाएगा।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों ने बजट के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार प्रगट किये हैं। बजट को अव्यवहारिक तथा

निराशाजनक बताया गया है जबकि यह अत्यन्त यर्थाथवादी बजट हैं इसमें देश की वास्तविक स्थिति का चित्र खींचा गया है। यह देश में स्थिरता स्थापित करने एवं अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने में सहायक होगा।

भारत जैसे बहु संख्या वाले देश में केवल बजट ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय निष्ठाओं का दर्पण नहीं हो सकता। बजट को सरकार की नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारण आदि की नीतियों से पृथक नहीं किया जा सकता। बजट के संदर्भ में कराधान (संशोधन) विधेयक पर भी, जो प्रवर समिति को भेजा गया है, ध्यान देना उपयुक्त होगा। बजट की चर्चा करते समय श्री ज्योतिर्मय बसु ने काले धन का प्रमुख रूप से उल्लेख किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्तरिम प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ ? उसका क्या बना ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य केवल उन्हीं बातों को महत्व दे रहे हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं। गत दो तीन वर्षों में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सामाजिक पूंजी निवेश हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को दो बार दी गई अन्तरिम सहायता पर 150 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के जीवन स्तर को गिरने से बचाया गया है।

कुछ उद्योगों में सरकार का विचार 8⅓ प्रतिशत बोनस देने का है। श्रमिकों और प्रबन्धकों के मध्य मजूरी के सम्बन्ध में अनेक करार हुए हैं। इस्पात उद्योग में एक साधारण अपक्ष कर्मचारी को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी 350 रुपये मिलती है।

सरकार ने 100 करोड़ रुपए खाद्य के लिये राज-सहायता के रूप में भारतीय खाद्य निगम को दिये हैं ताकि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण किया जा सके।

शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निःसंदेह इसके कार्यान्वयन में कुछ विलम्ब हुआ है। सरकार ने अब नियतन तथा लेखापालन का एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे विलम्ब को कम किया जा सकेगा।

सरकार प्रगति की दर से संतुष्ट नहीं है तथा यह महसूस करती है कि समाज के निर्धन वर्ग को पूरी तरह ऋण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जून 1969 से इस तिमाही के अन्त तक लगभग 161 करोड़ अथवा इससे अधिक रुपए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दिये गये हैं। इस राशि से सबके प्रति न्याय करने में सहायता मिली है।

सरकार उत्पादक शक्तियों को बढ़ने का अवसर दे रही है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को आघात पहुंचाए बिना जिस सीमा तक भी एकाधिकार को समाप्त किया जा सकता है उसे समाप्त किया जाये। सरकारी क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

हमारी अर्थ व्यवस्था बंगला देश के संकट के कारण, पड़े बोझ को सहन करने में सफल सिद्ध हुई है। वह एक करोड़ शरणार्थियों का भार वहन करने में भी सफल रही है। वह 300 से 400 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त व्यय सहन करने में सफल रही हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था अतिरिक्त

घाटे को सहन करने में सफल हुई है । यह सब इसलिए सम्भव हो पाया कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत लचीली है , जिसका निर्माण पिछले 24 वर्षों में किया गया है ।

बेशक मूल्यों में वृद्धि हुई है परन्तु वृद्धि इतनी अधिक नहीं हुई कि जो असहनीय हो । मध्यावधि चुनावों तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश में आशाओं पर आधारित स्थिरता है ।

गत 24 वर्षों में श्री जवाहर लाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण देश का योजनाबद्ध विकास हुआ है । सरकारी क्षेत्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा राष्ट्रीय धन के समान वितरण का प्रयास किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने 75 एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया है । जब भी सरकार ने राष्ट्रीय हित में किसी का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा ऐसा किया है जैसा कि सरकार के गत 24 वर्ष के इतिहास से सिद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

दसवां प्रतिवेदन

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 10वें प्रतिवेदन से जो 22 मार्च, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 10वें प्रतिवेदन से, जो 22 मार्च, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

बेरोजगारी समस्या के बारे में संकल्प—जारी
RESOLUTION RE : UNEMPLOYMENT PROBLEM—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री विभूति मिश्र के बेरोजगारी सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा की जायेगी ।

Shri M. C. Daga (Pali) : I fully support the resolution moved by Shri Bibhuti Mishra. The Government should take concrete steps for removing unemployment. Only slogans will not do. People do not find any future and they blame the Government for it. Unemployment has become a very serious problem and unless this problem is solved, there will be great unrest in the country. Unemployment problem can be solved only by establishing small scale industries in the villages. We can solve this problem by accepting the advise given by Gandhiji in regard to Khadi. For a poor coutry like India, Khadi programme is most profitable and practicable.

There is no employment programme for even Law Graduates. In Arabian Countries people get jobs along with degrees.

The unemployed people have the feeling of inferiority complex. It results in the national standard of living going down and in such circumstances country cannot progress.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I congratulate Shri Bibhuti Mishra for bringing forward such an important resolution. It was announced that with the completion of the Second Five Year Plan, 8 million new jobs will be created. But now the number of unemployed has risen from 88 lakhs to 1 crore 25 lakhs. The unemployment problem has not been eased even with the completion of the Third Five Year Plan.

Great emphasis was given to 'remove poverty slogan'. But the capitalists are still here in one form or the other. The first step for removing poverty is to abolish monopoly. More than half the money of the country is in the hands of 75 families.

People after passing B. Sc. and M. Sc. are not getting jobs. They are not able to get their sisters married due to lack of money. In this way they have the feeling of revolt. This feeling of revolt can only be removed when the economic structure of the country is changed.

Only nationalization of banks will not serve the purpose. In socialist countries, whether it may be Russia or some other country, there is no unemployment problem. In our country on the one hand 27 crore people have the income between 8 annas and 75 paise and on the other hand Shri Birla has the income of rupees 2 lakhs per day. It is a mockery of socialism.

The problem of unemployment cannot be solved unless the monopoly of some people is removed.

Today the rich is becoming richer and the poor, the poorer.

There is lot of educated unemployment in the country. Educated people should be given unemployment allowance so that the people may have the feeling that they will be able to get employment in future.

I hope the Government will take an early step to remove poverty. If the Government do not take any steps in this direction unemployment problem will be move critical. I request that foreign oil companies should be nationalized and unemployment allowance should be paid to unemployed.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : In the interim report on unemployment presented in the House, it has been stated that the unemployment problem can be solved to some extent in case the work on rural electrification and minor irrigation is increased. But very little has been done in this direction.

There has been large increase in the number of matriculates and graduates in the

country. The number of unemployed graduates is increased day by day. If the educated unemployment goes on increasing in this way, the country will have to face a very critical problem.

The country is still facing the problem of poverty. Very little has been done in this connection. Minor irrigation is beneficial to some farmers only but lakhs of educated engineers and matriculates cannot be benefited by it. The measures taken to remove unemployment are not satisfactory.

The problem of employment cannot be solved unless it is employment-oriented.

This problem cannot be solved by appointing a committee and by its interim report. The Government should consider this problem seriously. I fully support Shri Bibhuti Mishra's resolution.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Shri Mishra has raised a very serious problem through his resolution. The number of persons registered with the employment exchanges during the years 1968, 1969, 1970 and 1971 were 30,11,642, 34,23,885, 40,68,554 and 50,99,919 respectively. But the respective figures of the persons who got the employment during this period were : merely 4,24,227 ; 4,32,182 ; 4,47,195 and 5,06,973 respectively. The hon'ble Minister has himself admitted that there are at least fifty per cent people who do not register their names with the employment exchanges.

In spite of family planning programme and other measures, the population has been rising at a very rapid rate. The rural population has been shifting to the cities. The employment potential is reducing day by day.

During the appraisal of Fourth Five Year Plan, some basic principles should be evolved to solve the problem of unemployment among the educated as well as uneducated people. According to 1970 figures the unemployment among graduates, under-graduates and Engineers was to the tune of 67%, 69% and 92% respectively.

The plan should be recast to help solve unemployment problem. The land reform programme should be implemented properly and there should be co-operative committees of landless persons, otherwise fragmentation of land would not stop.

The question of creating employment potential in various Government Departments should not be left at the sweet will of the bureaucracy.

It is the responsibility of the society and the Government to provide employment to every individual. If the problem of unemployment is not solved, the country would have to face a serious crisis.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The Government should not hesitate to accept this solution regarding unemployment problem. Huge amount of money is earmarked for solving this problem in every Five Year Plan, but the number of unemployed persons is growing at the end of every Five Year Plan.

It has been stated in the mid-term appraisal of the Plan that serious and growing unemployment among the non-technical educated is a chronic problem. In recent years, it has been deteriorating even faster than usual. This is indicated even if inadequately by the sharp

rise in the number of educated on the live register of employment exchanges. The total increased from 1.4 million in June 1969 to 2.1 million in June 1971. The money allocated for this problem was not utilised properly. This shows that Government is not paying due attention to the problem of unemployment.

There would be a law and order problem, if the Government fails to provide employment to the educated and technical hands. Agro-industries and small scale industries should be established in all the villages of the country. Such schemes should be given proper place in the plans.

There is no co-ordination in the Ministry of Planning and other Ministries. That is why proper atmosphere is not created for the growth of industries.

The constitution should be amended and right of employment should be included in the Fundamental rights. The unemployed persons should be given unemployment dole.

The number of educated and un-educated unemployed persons has grown to three crores of persons. The steps should be taken to provide them employment.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Concrete steps should be taken to solve the unemployment problem. All the Government employees should compulsorily be retired at the age of 55 years.

Every person should not be allowed to go in for higher studies. Persons should be allowed to join a course according to their talent and aptitude. Education should be job-oriented and it should be started in a phased manner.

The land reform programme should be implemented prompty so that rural population may not shift to cities. The land-ceiling should be enforced and surplus land should be given to the landless.

Massive road-construction programme and village industries programme should also be implemented immediately.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : It was stated in a congress resolution that at least one person should get employment in each family, but we see that in a family one member is a farmer, other is a shop-keeper, third is in Government service, while the fourth is in politics. The poor are unable to get any service whereas the members of a rich family are all employed. A committee should be appointed to enquire into this matter.

In other countries only 12 to 20% people are engaged in agriculture, whereas in our country 80% are engaged in farming. The persons engaged on land should be reduced from 80% to 50% and the rest should be diverted to industries.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri Balgovind Verma) : We are grateful to the Members for their suggestions. The Government is vigilant and taking all steps to solve the unemployment problem. It has been continuous effort of the Government to create employment potential through various projects. During the last three Plan periods, we have provided employment to 31 million people, but in the meantime 38 million more were found in search of jobs.

Due to increased educational and technical facilities, the number of educated and technical hands increased in proportion to the employment opportunities. The country had to

face famines and many external aggressions and lack of raw material resulted in the fall in production. This resulted in further decrease in employment opportunities.

D. G. E. T. carried out a sample survey which revealed that 50 per cent persons registered with the employment exchange were really unemployed, but 42.3% people had registered their names for higher posts, whereas 7% persons were students. I admit that many persons have not registered their names with the Employment Exchanges.

The Dantewala Committee has given certain guidelines to solve the unemployment problem. We have always been trying to create more employment potential. Small and medium scale industries are being given various incentives. The technical personnel are provided technical know how so that they may start an industry independently. The nationalised banks have been providing them financial assistance.

We have directed the ministries to start such schemes which may help in the solution of this problem. Marketing facilities are being provided to the persons who start their own industries.

The agency of petrol pumps would be given to the graduates. The small farmers development agencies are being established, which would provide employment to 50 thousand persons.

The Bhagwati Committee has given certain recommendations which are under consideration of the Government. The efforts are being made to implement them immediately. According to our scheme, twenty thousand agricultnral labourers would get employment. Dry farming and agro-service centres would provide employment to nearly 6 to 8 thousand and 50 thousand people respectively. We have made a provision of 50 crores of rupees so that at least one thousand persons may get employment in each district.

We have directed the State Governments to provide employment to at least one member in each family.

The unemployment problem is a very serious problem and it needs serious efforts. In Fourth Five Year Plan a provision of 24,398 crores of rupees was made, which was increased to 24,882 crores of rupees, so that all the projects could be implemented properly. 25 crores of rupees have been provided in this budget to eradicate unemployment among the educated people. Accordingly all efforts are being made towards this and the Planning Commission has also instructed the central and state Governments to keep in view the employment opportunities to the people. We are making all efforts to eradicate poverty.

I would request the hon. Member to withdraw his resolution as the Government is already seized of the problem.

The state Governments were instructed to utilise the last years budget provision of Rs. 50 crores earmarked for the removal of poverty for the execution of minor water supply scheme and construction of roads so that people could get employment.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The hon. Minister has stated that he has no data but what were the sources of the data contained in the Bhagwati Committee ?

We should know the manner in which the unemployment problem was solved in China. If the democracy cannot ensure bread, butter and clothing to all, then I do not want such type of democracy. We do not want such constitution which cannot provide us the basic necessities of life.

The hon. Minister says that our resources are limited : we should ensure equal distribution of the national income. Immediate reforms are also needed in the functioning of our nationalised banks. We should utilise the resources at our disposal. People will not keep quiet if they are not given employment.

I have been asked to withdraw the resolution. I will have to delete the word "तुरन्त" from the resolution in the interest of party discipline. We have to take effective measures to eradicate poverty in order to save democracy in India.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos 1 and 2 were put and negatived.

Shri Bibhuti Mishra : In case Government is prepared to give an assurance that they would make whole hearted efforts to remove unemployment. I am prepared to withdraw the resolution.

Shri Balgovind Verma : We also want that the unemployment should be removed as soon as possible, I would request the hon. Member to withdraw it.

सभापति महोदय : क्या सभा की यह राय है कि प्रस्ताव वापिस ले लिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री विभूति मिश्र : मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम नीति के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOUR POLICY

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"इस सभा की राय है कि औद्योगिक गतिरोध को दूर करने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और श्रमिक वर्ग के लिए अधिकाधिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार को एक नई औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम नीति अपनानी चाहिये, जिसके अन्तर्गत मजदूर संघ को मान्यता के अधिकारों, बाह्य हस्तक्षेप के बिना सामूहिक सौदाकारी, हड़ताल करने के अधिकार पर लगा प्रतिबन्ध हटाने और विभिन्न स्तरों पर उत्पादन पर कर्मकारों के प्रभावी नियन्त्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।"

मैं यह संकल्प इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि सर्वत्र इस बात का समर्थन किया जा रहा है कि हड़तालों और तालाबन्दी पर रोक लगाई जानी चाहिए । राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के सभापति, श्री मोईनुलहक चौधरी ने मजदूर वर्ग और श्रमिक संघों से अपील की है कि वे हड़तालों पर रोक लगाये जाने की बात मान लें । मेरे विचार में श्रमिक संबंध नीति पर चर्चा करने का यह उचित

समय है। देश में औद्योगिक योजना तथा आर्थिक योजना बनाते समय श्रमिक सम्बन्ध नीति की पूर्णतया अवहेलना की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है। केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक नई नीति अपनाने को तैयार है?

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

श्रमिकों की उपेक्षा का मूल कारण यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा पूंजीवादी है। अभी तक यह प्रवृत्ति व्याप्त है कि श्रमिक को उद्योग के पहिये का एक दांता अथवा मजूरी पर रखा हुआ दास समझा जाता है जिसका दायित्व केवल यही है कि वह मजूरी के बदले उसे बताए गए काम को करे। हमारे देश में सामन्तशाही विचारधारा का भी काफी प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर मालिक तथा नौकर के बीच कानून सम्बन्ध को कई बार औद्योगिक सम्बन्धों के बीच भी लाया जाता है।

कुछ विचार धाराएं हैं जिनमें कार्मिक संघ को एक आवश्यक बुराई समझा जाता है। श्रमिक संघ आन्दोलन को श्रमिक वर्ग का एक जागरूक संगठन नहीं समझा जाता जिसे किसी भी आधुनिक औद्योगिक समाज का अभिन्न अंग समझा जाना चाहिए। जब तक इस रवैये में परिवर्तन नहीं होता तब तक कोई आधुनिक आर्थिक समाज, चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी, प्रगति नहीं कर सकता। मजदूरों के प्रति मालिकों का रवैया चाहे वह सरकारी क्षेत्र के हों, या गैर सरकारी के, ठीक नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के मालिकों का व्यवहार गैर सरकारी क्षेत्र के मालिकों की तुलना में कहीं अधिक बुरा हैं।

इस समय देश भारी संकट से गुजर रहा है क्योंकि उसे या तो आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर होना है या पहले की तरह उसी पुरानी परिपाटी को जारी रखना है। ऐसे समय में सुदृढ़ तथा संगठित कार्मिक संघ आन्दोलन ही विकास के पथ पर अग्रसर होने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है जिसको या तो समझा ही नहीं जा रहा है अथवा उसकी अवहेलना की जा रही है अथवा मालिकों के कार्मिक संघ विरोधी रवैये द्वारा उसे असफल किया जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में श्रमिक सम्बन्धों का वही पुराना रूढ़िवादी ढांचा जारी है। यह ढांचा प्रक्रियात्मक सिद्धान्तों पर आधारित है जिसके अनुसार श्रमिकों को मूल रूप से गैर जिम्मेदार समझा जाता है और कहा जाता है कि इसीलिये उन्हें अवश्य नियंत्रणाधीन रखा जाना चाहिए।

देश का वर्तमान औद्योगिक सम्बन्ध ढांचा मूल रूप से दो अधिनियमों, अर्थात् वर्ष 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा कार्मिक संघ अधिनियम जो कि ब्रिटिश राज्य की देन है, पर आधारित है। कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत एक कार्मिक संघ को एक निर्धारित रूप से पंजीकरण करना होता है, जिससे कुछ विशेष प्रकार के रिकार्ड रखना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। कार्मिक संघ को वह रिकार्ड प्रतिवर्ष सरकार को जांच तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होता है। परन्तु ऐसा संघ, चाहे वह सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, मान्यता प्राप्त करने का हकदार नहीं होता।

जहां तक कार्मिक संघों के आधिक्य का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक संघ अधिनियम में ही यह उपबन्ध है कि कोई भी सात श्रमिक मिलकर एक कार्मिक संघ का पंजीकरण

करा सकते हैं। इस तरह एक कारखाने में जिसमें 700 श्रमिक काम करते हों, 100 कार्मिक संघ हो सकते हैं। अत: क्या यह अधिनियम असंगत नहीं है तथा क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस पर नए दृष्टिकोण से विचार किया जाये और इसमें अपेक्षित परिवर्तन किये जाएं।

यह दु:ख की बात है कि 25 वर्षों के बाद भी कार्मिक संघ के मान्यता के अधिकार को वैधानिक रूप नहीं दिया गया है। हमने चार पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं तथा समाजवाद लाने के नाम में उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। परन्तु कार्मिक संघों को मान्यता का अधिकार नहीं दिया गया है। बाह्य हस्तक्षेप के बिना सामूहिक सौदेबाजी की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र में श्रमिक उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण कर सके। कोई ऐसा कानून नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम निर्वाह मजूरी निर्धारित की गई हो। अत: यह स्पष्ट है कि कार्मिक संघों के आधिक्य की समस्या का मूल कारण औद्योगिक सम्बन्धों का यह वर्तमान ढांचा है तथा इस कारण कार्मिक संघों में पारस्परिक विरोध रहता है तथा वह राजनीतिक दलों के प्रभाव के शिकार हो जाते हैं।

इस समस्या का पता लगाने के लिये हड़तालों के लिए भड़काने तथा सामूहिक करारों में अस्थिरता होने की समस्या के मूल कारण क्या हैं, इसका एक बुनियादी तौर पर अध्ययन किया जाना चाहिए। उस कार्मिक संघ के साथ जो अपना दायित्व न निभा सके, कोई समझौता करने का कोई लाभ नहीं है। क्या इस तरह औद्योगिक शांति स्थापित की जा सकती है? श्रमिक पर यह आरोप लगाना कि वह भड़कावे में आ जाता है, उसके प्रति अनुमित रवैया है। जब तक कोई वास्तविक आधार न हो, श्रमिक कोई आन्दोलन नहीं करता। श्रमिक कोई कठपुतली नहीं है जिसे मनमाने तौर से बनाया जा सके। यदि मजदूर उद्योग के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारी समझें, तो यह समस्याएं उत्पन्न ही न हों। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में, जिनमें करोड़ों रुपये की राशि लगी है कोई मजदूर यह नहीं समझता कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी है और उस उद्योग के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसी बात आज देखने को नहीं मिलती।

अधिकांश नियोक्ता तब तक कार्मिक संघों को मान्यता नहीं देंगे जब तक कि उनको इसके लिए बाध्य न किया जाए। नियोक्ताओं ने 1958 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किन्तु उस पर कभी अमल नहीं किया गया। कार्यालय तंत्र के द्वारा कार्मिक संघ सदस्यता की तथाकथित जांच की प्रक्रिया भी एक धोखेबाजी बन गई है।

सरकारी क्षेत्र भी इन दोषों से अछूता नहीं है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उनके कई वर्षों के आन्दोलनों और अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप श्रम आयुक्त ने नियोक्ताओं से इसे मान्यता देने को कहा है। यही समस्या मैसूर के जो नाम लाई आयरन वर्क्स मजदूरों की है। उनकी एक यूनियन है जिसे अभी तक मान्यता नहीं दी गई। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का यह हाल है तो निजी कम्पनियों के बारे में क्या कहा जाए।

जहां तक हड़तालों का सम्बन्ध है, हमारे देश में हड़तालों को टकराव के रूप में माना जाता है जिसमें श्रमिकों को पीटा तक जाता है। इस सम्बन्ध में मुझे 19 सितम्बर, 1961 की केन्द्रीय कर्मचारियों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल अभी तक याद है जिसे रोकने के लिये राष्ट्रपति ने एकदम अध्यादेश जारी कर दिये थे। किन्तु अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। हाल ही में ब्रिटेन में कोयलाखान

मजदूरों की सात सप्ताह की जो हड़ताल हुई है, वह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसके परिणामस्वरूप 289 कोयला खानें बन्द हो गयीं। वहां किसी भी व्यक्ति को गोली से मारने अथवा गिरफ्तार करने की कोई घटना नहीं हुई। हमें श्रमिकों तथा कार्मिक संघों के अधिकारी का सम्मान करना सीखना चाहिए।

हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही जाती है। मैं यह पूछता हूं कि जब कीमतों, लाभों, छंटनी आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं, तो फिर हड़तालों पर किस प्रकार नियंत्रण की आशा की जा सकती है ?

यह तर्क कि औद्योगिक उत्पादन की मन्द गति के लिए हड़तालें ही जिम्मेदार हैं, अतिशयोक्ति-पूर्ण है। चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन तथा आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के खराब सम्बन्ध औद्योगिक उत्पादन की मन्दगति के लिए बहुत मामूली रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसी अन्य अनेक बातें हैं जिन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

देश भर के गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को एक सवेतन छुट्टी देने से 17,035,000 जन-दिन नष्ट हो जाते हैं। 1968 में जिस वर्ष हड़तालों का बोल बाला रहा सारे वर्ष में नष्ट हुए जन-दिनों की कुल संख्या 17,244,000 थी, जो देश भर के सभी कर्मचारियों को एक सवेतन छुट्टी देने से नष्ट हुए जन-दिनों की संख्या के समान है। किन्तु सामान्य रूप से होता यह है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। विवादों को निपटाने के संबंध में, हमें वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और इसे एक नए कानून द्वारा बदल देना चाहिए, जो मजदूर संघ को उचित मान्यता प्रदान करे। इसके साथ तीसरे दल के हस्तक्षेप के बिना सामूहिक सौदा करने का अधिकार भी प्रदान करे। हाल ही में इस प्रश्न से सम्बन्धित अनेक बातों पर तीनों केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन-इंटक, अखिल भारतीय कांग्रेस मजदूर संघ, हिन्द मजदूर सभा सहमत हुए हैं। उनके निर्णयों को नए विधान के आधार के रूप में श्रम मन्त्री को भेज दिया गया है। सरकार को इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इस आधार पर एक नया विधान पेश किया जाना चाहिए।

उत्पादन पर श्रमिकों के नियंत्रण के सम्बन्ध में निदेशक मंडल में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि लेने से ही प्रयोजन हल नहीं होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोक्ता इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उनके मतानुसार उत्पादन के सम्बन्ध में श्रमिकों को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। वास्तव में सरकार को ऐसी समितियों का गठन करना चाहिए जिसमें उत्पादन की समस्याओं पर विचार करने के लिए श्रमिकों को भी प्रबंधकों के साथ समान अधिकार प्राप्त हों। वस्तुतः श्रमिकों को उत्पादन के बारे में अधिक जानकारी होती है, क्योंकि यह स्वयं अपने हाथों से काम करते हैं।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार तीनों मजदूर संगठनों द्वारा पेश किये गये सुझावों के आधार पर कोई नया विधान बनाने को तैयार है ताकि औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक नया अध्याय खोला जा सके।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि औद्योगिक गति रोध को दूर करने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और श्रमिक वर्ग के लिए अधिकाधिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने हेतु, भारत सरकार को

एक नई औद्योगिक संबंध एवं श्रम नीति अपनानी चाहिए, जिसके अंतर्गत मजदूर संघ की मान्यता के अधिकारों, बाह्य हस्तक्षेप के बिना सामूहिक सौदाकारी, हड़ताल करने के अधिकार पर लगा प्रतिबन्ध हटाने और विभिन्न स्तरों पर उत्पादन पर कर्मकारों के प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए"

इस पर कुछ संशोधन हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्वागत करता हूं। इसका विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

हम अपनी अर्थव्यवस्था को आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं। यह उसी अवस्था में संभव है जब कि हम अपने आर्थिक क्रियाकलापों को बिना किसी विदेशी सहायता के चलाएं। चौथी योजना में अनुमान लगाया गया था कि हमें 4100 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता लेनी पड़ेंगी। किन्तु जैसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें 4590 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी और यदि हम वस्तुतः आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं, तो हमें उत्पादन को उस स्तर तक बढ़ाना पड़ेगा जहां पहुंच कर हमें अपने व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिये किसी अन्य देश की ओर न देखना पड़े। उत्पादन हमारी नीति का मुख्य आधार है। प्रश्न यह है कि उत्पादन कौन कर सकता है। वे लोग जो धन का निवेश करते हैं या जो प्रबंध में मुख्य भूमिका निभाते हैं किन्तु स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते। कारखानों में काम करने वाले श्रमिक ही इसे कर सकते हैं और वे लाखों की संख्या में हैं। प्रश्न यह है कि श्रमिकों को, चाहे वे कारखानों अथवा खेतों में काम करने वाले हों, कैसे एक किया जा सकता है ताकि उत्पादन कार्य में अपने आपका वे समर्पित समझें और किस प्रकार उनके प्रयास सफल किए जा सकते हैं और किस प्रकार उनके प्रयासों को प्रबंधकों के गलत हस्तक्षेप, उकसने, कारखानों को बन्द करने और आत्म सम्मान के साथ कार्य को करते रहना असंभव बना देने वाली गलत औद्योगिक सम्बन्धों को बनाए रखने वाली नीति के कारण असफल न होने दिया जाए।

यदि आत्मनिर्भरता ही हमारी आर्थिक नीति का मुख्य आधार है, तो औद्योगिक सम्बन्धों और श्रम संबंधों के प्रश्न को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जब कभी कोई कानून तैयार किया जाता है अथवा जब कभी भी कोई नीति बनाई जाती है, तो कोई भी व्यक्ति इस पर श्रमिकों अर्थात् सामूहिक श्रमिक वर्ग के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखता।

इस संकल्प में सरकार से मजदूर संघ मान्यता के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले नए औद्योगिक सम्बन्धों एवं श्रम नीति को लागू करने की मांग की गई है। इससे यह आभास मिलता है कि इस समय कोई ऐसा कानून नहीं है। एक कानून श्रमिक संघ अधिनियम के संशोधन के रूप में बना हुआ है हमारे पास बम्बई औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक अधिनियम है जिसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संघ अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश इस अधिनियम के विरुद्ध असंतोष व्याप्त है और वही इंटक, हिन्द मजदूर सभा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की आपसी त्रिपक्षीय चर्चा में मान्यता के

सिद्धान्त को अंतिम रूप देने के मामले में झगड़े की जड़ रहा है। हमने राष्ट्रीय श्रमिक संघ केन्द्र की स्थापना करके श्रमिक संघ आन्दोलन को संगठित करने का प्रयास भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ नहीं है। परस्पर चर्चा और समझ के द्वारा संहिता बनायी जा रही है और इसे चरणों में क्रियान्वित भी किया जा रहा है और हम आगे कार्यवाही करते रहे हैं और अब एक ऐसे चरण पर पहुंच चुके हैं जहां यह महसूस किया जा रहा है कि सारी बात पर पुनः विचार करना चाहिए। अतः एक श्रम आयोग की नियुक्ति की गई है और इसके प्रतिवेदन पर हम विचार कर रहे हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहित कुछ श्रमिक संघ इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। औद्योगिक संबंध आयोग एक ऐसा निकाय है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जा सकेगा।

जहां तक सामूहिक सौदेबाजी में तीसरे दल के हस्तक्षेप का प्रश्न हैं, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गई है। कई मामलों में तो ट्रेड यूनियन ने सरकार से हस्तक्षेप करने की सिफारिश की है। सरकार चाहती है कि एक उद्योग में एक ही यूनियन रहे। किन्तु दुर्भाग्यवश अनेक लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

जहां तक हड़तालों को रोकने का प्रश्न है यह कोई नया नारा नहीं है। यह 19वीं शताब्दी से चला आ रहा है। श्रमिक वर्ग ने हड़ताल के अधिकार को प्राप्त करने हेतु खून की नदियां बहाई हैं। आज वह अन्याय के प्रति आवाज़ उठा सकता है और काम करने से इन्कार कर सकता है। काम करने से इन्कार वस्तुतः अन्याय के प्रति असहयोग है कोई भी श्रमिक हड़ताल नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करने से उसे आर्थिक हानि होती है। हड़ताल के परिणाम स्वरूप केवल श्रमिक को ही नहीं, अपितु उसके परिवार को भी दुःख सहना पड़ता है। क्या किसी ने यह देखने की कोशिश की है कि आखिर श्रमिक हड़ताल क्यों कर रहा है।

हम केवल हड़तालों पर ही रोक नहीं चाहते, अपितु हम कारखानों को बन्द करने, कुप्रबन्ध, उत्पीड़न, बर्खास्तगी और समूचे ढांचे में नौकरशाही प्रभुत्व को लाने वाले लोगों द्वारा औद्योगिक मामलों के निपटाने पर रोक लगाना चाहते हैं। 'हड़ताल पर रोक' इस समय के अनुकूल आवश्यक नारा नहीं है। इसे क्रियान्वित करना सर्वथा असंभव है। जब तक नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बना रहेगा, औद्योगिक विवाद होते ही रहेंगे। औद्योगिक विवाद के निपटाने हेतु विवश करने के लिए श्रमिक के हाथ में एक मात्र हथियार उसकी काम में हड़ताल करने की योग्यता है। उसके पास धन नहीं है, परन्तु वह हड़ताल और असहयोग कर सकते हैं और आप यह हथियार भी उनके हाथ से छीनना चाहते हैं। औद्योगिक संबंधों को निपटाने के लिए कोई तंत्र बनाया जाना चाहिए और जब तक श्रमिकों की शिकायतों को दूर नहीं किया जाएगा देश में उत्पादन भली प्रकार न हो पाएगा।

आज प्रत्येक श्रमिक के मन में राजनीतिक प्रयोजन के लिए हड़ताल न करने की देश भक्ति पूर्ण भावना मौजूद है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक हड़ताल का आह्वान करने का प्रयास करता है, तो उसे मालूम हो जाता है कि श्रमिक इसका विरोध कर रहा है किन्तु कुप्रबंध ही उसके कार्य को असंभव बना देता है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उद्योगों में यही स्थिति है।

चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे गैर-सरकारी क्षेत्र, श्रमिक अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता है। प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसी है कि उसे काम करना असम्भव हो जाता है। श्रमिक को दोष देना बन्द कीजिए। देश के समग्र उत्पादन प्रयासों में उसके योगदान के महत्व को स्वीकार करना होगा।

इस संकल्प का उद्देश्य अच्छा है और इससे पता चलता है कि हड़ताल करने के उसके अधिकार पर रोक लगाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जायगा। अगर श्रमिकों का प्रभावी सहयोग आपको लेना है, तो यूगोस्लाविया की तरह की स्व-प्रबन्ध प्रणाली को अपनाना होगा।

इस संकल्प पर विचार करने के लिए $2\frac{1}{2}$ घंटे का समय पर्याप्त नहीं है। इस पर विस्तृत विचार के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। इस संकल्प में जिन मांगों का उल्लेख है, उनकी पूर्ति पहले ही हो चुकी है, अतः इस प्रस्ताव का मैं समर्थन नहीं कर सकता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह संकल्प पाकिस्तान के साथ युद्ध जीतने के बाद लाया गया है। उस समय सारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। अब गरीबी के विरुद्ध युद्ध जीतने का अवसर आया है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने औद्योगिक शान्ति बनाये रखने का अनुरोध किया है, ताकि आने वाले समय में आर्थिक स्वराज प्राप्त किया जा सके। इसलिए इस संकल्प को हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की भूमिका नहीं माना जाना चाहिए।

तीन साल तक उद्योगों में हड़ताल और तालाबन्दी न करने की अपील से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सारे देश में हड़तालों पर रोक लगा दी जाएगी।

आर्थिक स्वराज और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने हैं। जब श्रमिक वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक आर्थिक स्वाधीनता और उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो सकती, भले ही चाहे कितने कानून क्यों न बना दिये जायें।

आर्थिक समीक्षा और योजना के मध्यावधि मूल्यांकन इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस्पात उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ टन रखा गया था। अब मध्यावधि मूल्यांकन में अस्सी लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सत्तर लाख टन का लक्ष्य भी काफी है। रिजर्व बैंक की समीक्षा से पता चलता है कि 35 प्रतिशत औद्योगिक क्षमता अप्रयुक्त है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्मनिर्भरता की जो अपील सरकार ने की है, वह केवल श्रमिकों पर ही नहीं बल्कि यात्रियों, कर्मचारियों और समाज के सभी वर्गों पर लागू होती है।

इस सब पर विचार करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार श्रमिकों के हड़ताल करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को नहीं छीन सकती। संयुक्त प्रबन्ध परिषदों, श्रमिक समितियों और संयुक्त परामर्शदाता तंत्रों की स्थापना की गई है। परन्तु इन सबसे भी समस्यापूर्णतः हल नहीं होती। श्रमिकों का प्रबन्ध व्यवस्था में गम्भीर सहयोग होना चाहिए। हड़तालें गैर सरकारी क्षेत्र में भी होती हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपति लाभ के रूप में प्राप्त पूंजी का विनियोजन नहीं करते। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। श्रमिकों, प्रबन्धकों और सरकार के बीच नये औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित होने चाहिएं।

अगर हिन्दुस्तान स्टील लि० के निदेशक बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय, तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किसी किसी कम्पनी में चार चार मजदूर संघ हैं। अब पिछले कुछ वर्षों से सरकार की यह नीति रही है कि एक उद्योग में एक ही मजदूर संघ होना चाहिये

और मजदूर संघ नेताओं से नियमित परामर्श किया जाना चाहिए। यूगोस्लाविया में स्व-प्रबन्ध परिषदें हैं और वहां श्रमिक स्वयं निर्णय लेते हैं।

यहां भी श्रमिकों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सरकार को विभिन्न उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमताओं पर विचार करना चाहिये, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों, चाहे गैर-सरकारी क्षेत्र में। अर्थ-व्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र स्वायत्तशासी होना चाहिए। सरकार को समग्र राष्ट्र के लिये उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर देने चाहिएं, तत्पश्चात देश के प्रत्येक एकक को श्रमिकों के सहयोग से राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करनी चाहिए। श्रमिकों के सहयोग से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और आत्म-निर्भरता भी प्राप्त की जा सकती है।

बंगला देश की महान विजय और चुनावों में भारी समर्थन के पश्चात मुझे विश्वास है कि सरकार इस संकल्प में निहित सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेगी। सरकार को श्रमिकों को विश्वास में लेना चाहिए जिससे आर्थिक मोर्चे को नया रूप दिया जा सके।

Shri M. C. Daga : The workers should not be considered like machines. The labour department here is inactive, the workers are not guided by good leadership here. They are unable to prevail upon the workers to produce more. The trade union leaders of today are engaged in collection of funds and in supporting themselves.

Even the Minister, Shri Khadilkar has admitted that there is great discontentment among the working class. The workers are denied the fruits of their labour. The capitalists are becoming richer, but the lot of workers is the same. The worker should be given more importance than the capitalist.

The mill owners deliberately create many unions in a unit, thus they divide and rule. The workers should have a sense of participation. The labour department should be the Custodian of the interests of the labourers. It is a matter of regret that we have not associated the labourers with management even in Public Sector Undertakings. There is a vide gap between the management and the labour. The worker is looked down upon by the white collared officers.

Multiplicity of trade unions should be minimised. There should be some method for granting recognition. The recognised unions should protect the interests of the labour. If the recognised union fails to reach an accord with the management, there should be provision for an arbitration.

The trade unions should also change their attitude. It is possible only when we change our policy. The capitalists do not give due repect to the labour. The wide gap between the capitalists and the labour must be removed. The trade union movement should also help in the increase in production.

We would also have to nationalise the capital engaged in the industries.

Mr. Chairman : He may continue next time.

इसके पश्चात लोक सभा शनिवार, 25 मार्च, 1972/5 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, March 25, 1972/Chaitra 5, 1894 (Saka.)

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—30-4-72—490